मैनुअल–8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप मे या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण

A STATEMENT OF THE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES CONSISTING OF TWO OR MORE PERSONS CONSTITUTED AS ITS PART OR FOR THE PURPOSE OF ITS ADVICE,

AND AS TO WHETHER MEETINGS OF THOSE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES ARE OPEN TO THE PUBLIC, OR THE MINUTES OF SUCH MEETINGS ARE ACCESSIBLE FOR PUBLIC

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
8	मैनुअल–8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप मे या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे मे कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण	01–151
8.1	उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद	03–10
8.2	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	11–27
8.3	उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड	28–92
8.4	उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद	93–123
8.5	उत्त्राखण्ड गौ सेवा आयोग	124–151

8.1 उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद :–

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के गठन का मुख्य उद्‌देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु–प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है :

- पशुप्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओ, ट्रस्टों एवं स्वयमसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित/प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी/कृषकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख–रखाव व पालन–पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड़ नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।
- राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को उच्चीकृत/आधुनिकीकृत करके निरन्तर बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करके लाभार्थियों एवं कार्मिकों की दक्षता में आमूल–चूल सुधार करना।
- इस तरह संस्था का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित गतिविधियों को स्वावलंबी तथा रोजगारपरक बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है।
- इसके साथ–साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में चारा उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्ष 2004–05 में यू.एल.डी.बी. को सौंपा गया है।

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद का मिशन/विजन :–

मिशन : राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि कर उनकी उत्पादकता बढाने हेतु तत्सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को अंगीकृत, समावेशित, एकीकृत एवं उन्नयन करके उनका संगठन एवं प्रबन्धन करना।

विजन : राज्य की समस्त प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन के द्वारा गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाकर उनको इस कार्यक्रम से शत्–प्रतिशत आच्छादित करना।

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

उत्तराखण्ड राज्य के विषम भौगोलिक परिवेश में पशुपालन को स्वरोजगार एवं आय का एक प्रमुख संसाधन लक्षित करते हुए राज्य में पशुपालन पर आधारित व्यवसाय को सुदृढ़ एवं सुनियोजित करके स्वरोजगार की असीम सम्भावनाओं को प्राप्त करने हेतु तथा राज्य के कुल सकल उत्पाद में पशुपालन की 9.82: भागीदारी होने के बावजूद भी राज्य में उपलब्ध अवर्गीकृत गायों/भैसों की नस्ल में अपेक्षित सुधार इतने वर्षों के बाद भी परिलक्षित न हो सकने के कारण वर्ष 2001 –2002 में राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम एवं पशु प्रजनन सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने हेतु भारत सरकार के **राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना** के दिशा – निर्देशों के

अनुसार उत्तरांचल शासन द्वारा **उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद** (उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड) के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुसार यू.एल.डी.बी. का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नम्बर 343/ 2001–02 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा किया गया।

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू.एल.डी.बी.) का संक्षिप्त परिचय :–

स्थापना	– वर्ष 2001–02
कार्य प्रारम्भ	– जुलाई 2002
मुख्यालय	– पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला रोड, पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून।
पंजीकरण	– सं0 343, दिनांक 27.06.01 (सोसाईटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)
प्रायोजक	– भारत सरकार की राष्ट्रीय गौवंषीय एवं महिषवंषीय परियोजना।

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के कर्तव्य :–

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद) द्वारा राज्य में पशु प्रजनन की सभी विधाओं यथा नैसर्गिक अभिजनन, कृत्रिम गर्भाधान तथा भ्रूण प्रत्यारोपण के कार्यों के सुगमीकरण (**Facillitation**) हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य सम्पादन करना तथा राज्य में चारा घासों के संवर्द्धन,उत्पादन, विकास, शोध एवं विस्तार सम्बन्धी कार्यों/योजनाओं का संचालन करना।

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के मुख्य कृत्य :–

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम
- इनपुट वितरण कार्यक्रम
- नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम (दारिन्दा पद्धति पर)
- प्रशिक्षण कार्यक्रम (कृत्रिम गर्भाधान)
- भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम
- फील्ड परफारमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम
- चारा विकास कार्यक्रम
- पशुधन बीमा योजना
- सूचना प्रबन्धन पद्धति (एम.आई.एस.)
- बद्री संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम
- एन0डी0एल0एम0 कार्यक्रम

वन एवं विकास शाखा

उत्तरॉचल शासन

पशुपालन अनुभाग

संख्या 4071 / व0एवंग्र0वि0 / यू0सी0बी0बी0पी0 / 2001

दिनांक मार्च 02 2001

नैशनल प्रोजेक्ट फार कैटल एण्ड बफैलो ब्रीडिग को उत्तरॉचल राज्य में कार्यन्वित करने हेतु श्री राज्यपाल स्टेट इम्पैलीमेन्टिग एजेन्सी के रूप में उत्तरॉचल लाइबस्टाक डेवलमेन्ट बोर्ड के निम्नवत गठन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उत्तरॉचल लाइबस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड का मुख्यालय पशुलोक जनपद देहरादून होगा।

1– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रम्य विकास उत्तरॉचल शासन	पदेन अध्यक्ष
2– अपर सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास उत्तरॉचल शासन	पदेन सदस्य
3– अपर निदेशक, पशुपालन उत्तरॉचल	पदेन सदस्य
4–मुख्य डेयरी विकास अधिकारी उत्तरॉचल	पदेन सदस्य
5– प्रबन्ध निदेशक उत्तरॉचल सहकारी डेयरी फेडरेशन	पदेन सदस्य
6– गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर	सदस्य
7– नैशनल डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के (एन0डी0डी0बी0)	सदस्य
8– भारतीय एग्रो इंडस्ट्रील फाउण्डेशन (बाइफ)के प्रतिनिधि	सदस्य
9–सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (सी0पी0एम0यू0) के प्रतिनिधि	सदस्य
10–आई0बी0आर0आई मुक्तेश्वर नैनीताल के प्रतिनिधि	सदस्य
11– लाइबस्टाक डेवलपमेन्ट के विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
12– चारा विकास क्षेत्र के एक विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
13– उत्तरॉचल शासन के एक प्रतिनिधि (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सम्बन्धित)	सदस्य
14– एन0जी0ओ0 के एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
15– गौशाला के एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
16– उत्तरॉचल सहकारी दुग्ध संघों के एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
17– परियोजना प्रबधक स्टेट एम्ब्रोयो ट्रासफर सेन्टर लालकुँआ नैनीताल	सदस्य

sd/

(डा0 आर0एस0टौलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

वन एवं ग्राम्य विकास

यू.एल.डी.बी. के वर्ष 2025–26 के मुख्य कार्य :–

क्र. सं.	मद			वर्ष 2025–26 में प्रगति			माह मार्च 2026 तक की प्रगति	प्रारम्भ से प्रगति	
				वार्षिक लक्ष्य	माह में पूर्ति	क्रमिक		लक्ष्य	पूर्ति
1	नये/सचल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना			**100**	0	35	30	2681	2344
2	अवर्गीकृत अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र द्वारा वीर्य स्ट्रा का उत्पादन			**1500000**	89177	1013841	1461547	36770000	35977756
	उत्पादित अवर्गीकृत वीर्य स्ट्रा का विक्रय/वितरण			**1500000**	111061	1493926	1498185	28850000	34769581
3	लिंगवर्गीकृत अतिहिमिकृत वीर्य का उत्पादन			**300000**	20530	298543	209697	2000000	2200169
	लिंगवर्गीकृत अतिहिमिकृत वीर्य का विक्रय/वितरण			**300000**	9350	133890	173524	2000000	1768050
4	वर्गीकृत वीर्य द्वारा **(SSS)**								
	कृत्रिम गर्भाधान	गाय		.	45213	167863	170766	.	823791
		भैंस		.	21054	63511	59220	.	310525
	योग – कृत्रिम गर्भाधान			**300000**	**66267**	**231374**	**229986**	**2300000**	**1134316**
	अनुश्रवण किये गये पशु	गाय		**-**	20933	94031	90579	.	473721
		भैंस		**-**	14166	42568	33603	.	185737
		योग		**-**	**35099**	**136599**	**124182**	.	**659458**
	गर्भित पशु	गाय		**-**	12970	55739	51207	.	245146
		भैंस		**-**	7305	23614	18808	.	93518
		योग		120000	**20275**	**79353**	**70015**	.	**338664**
	कन्सेप्शेन रेट	गाय %		-	28.69	33.21	29.99	-	29.76
		भैंस %		-	34.70	37.18	31.76	-	30.12
	योग (कन्सेप्सन रेट) %			**-**	**30.60**	**34.30**	**30.44**	**-**	**29.86**
	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	गाय	नर	-	1209	4818	4284	.	14430
			मादा	-	13307	47090	39420	.	153278
			योग	**-**	**14516**	**51908**	**43704**	.	**167708**
		भैंस	नर	-	976	2333	1612	.	5313
			मादा	-	6238	17462	14495	.	54101
			योग	**-**	**7214**	**19795**	**16107**	.	**59414**
		कुल मादा %		**-**	**89.94**	**90.03**	**90.14**	**-**	**91.31**
	कुल योग – कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति			110000	21730	71703	59811	785000	227122

5	अवर्गीकृत वीर्य द्वारा								
	कृत्रिम गर्भाधान	.			41026	411924	403255		7858279
		.			17604	200738	204992		3351256
	योग – कृत्रिम गर्भाधान			**550000**	**58630**	**612662**	**608247**	**10021500**	**11209535**
	अनुश्रवण किये गये पशु	गाय		-	27416	240374	227981	.	5171378
		भैंस		-	11281	116455	107048	.	2240799
		योग		**-**	**38697**	**356829**	**335029**	**.**	**7412177**
	गर्भित पशु	गाय		-	21002	147203	126414	.	3072301
		भैंस		-	7697	68916	59622	.	1257268
		योग		**-**	**28699**	**216119**	**186036**	**.**	**4329569**
	कन्सेप्शन रेट	गाय %		-	51.19	35.74	31.35	-	39.10
		भैंस %		-	43.72	34.33	29.09	-	37.52
	योग (कन्सेप्सन रेट) %			**-**	**48.95**	**35.28**	**30.59**	**-**	**38.62**
	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	गाय	नर	-	16175	62863	83320	.	1550368
			मादा	-	28407	63808	75922	.	1801148
			योग	**-**	**44582**	**126671**	**159242**	**.**	**3351516**
		भैंस	नर	-	6990	30744	40503	.	626705
			मादा	-	13159	30569	37140	.	792743
			योग	**-**	**20149**	**61313**	**77643**	**.**	**1419448**
	कुल योग – कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति			**215000**	**64731**	**187984**	**236885**	**4033435**	**4770964**
6	वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत वीर्य द्वारा								
	कृत्रिम गर्भाधान	गाय		.	86239	579787	574021	.	8682070
		भैंस		.	38658	264249	264212	.	3661781
	योग – कृत्रिम गर्भाधान			**850000**	**124897**	**844036**	**838233**	**12321500**	**12343851**
	अनुश्रवण किये गये पशु	गाय		**-**	48349	334405	318560	.	5645099
		भैंस		**-**	25447	159023	140651	.	2426536
		योग		**-**	**73796**	**493428**	**459211**	**.**	**8071635**
	गर्भित पशु	गाय		**-**	33972	202942	177621	.	3317447
		भैंस		**-**	15002	92530	78430	.	1350786
		योग		**-**	**48974**	**295472**	**256051**	**.**	**4668233**
	कन्सेप्शन रेट	गाय %		-	39.39	35.00	30.94	-	38.21
		भैंस %		-	38.81	35.02	29.68	-	36.89
	योग (कन्सेप्सन रेट) %			-	**39.21**	**35.01**	**30.55**	**-**	**37.82**
	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	गाय	नर	-	17384	67681	87604	.	1564798
			मादा	-	41714	110898	115342	.	1954426
			योग	**-**	**59098**	**178579**	**202946**	**.**	**3519224**
			नर	-	7966	33077	42115	.	632018

		भैंस	मादा	-	19397	48031	51635	.	846844
			योग	**-**	**27363**	**81108**	**93750**	**.**	**1478862**
	कुल योग – कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति			**325000**	**86461**	**259687**	**296696**	**4818435**	**4998086**

7	पशुपालकों, ए.आई कर्ताओं आदि का प्रशिक्षण						
	पशुलोक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा	-	.	90	442	509	.
	कालसी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा	-	.	47	503	525	.
	***राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) कार्यक्रम द्वारा	-	.	137	799	803	.
8	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी हर्ड स्ट्रेन्थ	-	.	567	567	502	.
	दुग्ध उत्पादन (किलोग्राम में)	**200000**	13413.00	191732.00	222915.00	**4725000**	4640707.00
	गौ मूत्र अर्क का उत्पादन (लीटर में)	**15000**	1687.00	13863.00	18419.00	**224000**	309832.50
	कुल चारा उत्पादन(कुन्तल में)	**200**	1898.00	18117.00	17602.00	**-**	-
	दुग्ध वेट एवरेज (किलोग्राम में)	**7**	6.90	6.70	7.40	-	6.80
9	हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक–ऋषिकेश हर्ड स्ट्रेन्थ	-	253	253	233	.	253
	दुग्ध उत्पादन (किलोग्राम में)	-	8737.50	135430.00	115747.50	-	851701.50
	कुल चारा उत्पादन(कुन्तल में)	-	894.00	12771.00	9326.00	**-**	-
	वेट एवरेज (किलोग्राम में)	-	6.42	6.42	-	-	-
10	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत हर्ड स्ट्रेन्थ	-	636	636	530	.	636
	दुग्ध उत्पादन (किलोग्राम में)	-	6334.530	73081.195	61925.844	-	404417.103
	कुल चारा उत्पादन(कुन्तल में)	-	36.00	799.00	1635.00	**-**	-
	वेट एवरेज (किलोग्राम में)	-	2.10	2.10	1.82	-	-
11	भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र, कालसी						
	Donars Flushed/ OPU	.	9	98	117	.	269६632
	Embryo Recovered	90	30	395	547	**1620**	4228
	Transferable Embryos	65	30	391	536	**1165**	3575
	Embryo Preserved	25	11	138	188	**495**	1364
	Embryo Transferred	100	19	300	352	**1440**	2671
	Pregnancies Established	40	20	100	135	**561**	1037
	Calves Born	35	0	63	83	**498**	795
12	**नेशनल लाईवस्टाक मिशन रिस्क मैनेजमेन्ट एण्ड इंश्योरेंस योजनान्तर्गत बीमित पशु	**100000**			**11837**		
13	चारा विकास कार्यक्रम						

	13.1 नैपियर घास की रूट कटिंग का वितरण (कुन्तल में)						
	श्यामपुर प्रक्षेत्र द्वारा	**1500**	170.00	1190.00	64.00	**40000**	29236.75
	कालसी प्रक्षेत्र द्वारा	**1500**	0.00	11.35	26.50	**27500**	15421.95
	अन्य नर्सरी द्वारा	**1500**	0.00	0.00	0.00	**23500**	14572.00
	योग	**3000**	**170.00**	**1201.35**	**90.50**	**89500**	**59230.70**
	13.2 चारा बैंक						
	काम्पैक्ट फीड ब्लाक का उत्पादन (मी. टन)	**3500**	555.354	7358.477	6480.466	**46500**	51132.000
	काम्पैक्ट फीड ब्लाक का वितरण (मी. टन)	**3500**	550.054	7366.237	6474.358	**46500**	51108.692
	चाटन भेली (यू.एम.एम.बी.) का उत्पादन (संख्या)	**15000**	0	9840	8720	**362500**	241092
	चाटन भेली (यू.एम.एम.बी.) का विक्रय (संख्या)	**15000**	0	6840	4790	**362500**	231047

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड का स्वरूप

मुख्य अधिशासी अधिकारी

यू.एल.डी.बी. मुख्यालय
- संयुक्त निदेशक (01)
- वरिष्ट पशुचिकित्साधिकारी (01)
- पशुचिकित्साधिकारी (04)
- लेखाकार (01)
- वरिष्ठ सहायक (01)

यू.एल.डी.बी. शेक्षण केकेन्द्र
- प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (01)
- कनिष्ठ सहायक (01)

पशु प्रजनन फार्म कालसी
- परियोजना निदेशक/ संयुक्त निदेशक (01)
- वरिष्ट पशुचिकित्साधिकारी (01)
- पशुचिकित्साधिकारी (03)

सीमेन बैंक लालकुंआ
- पशुचिकित्साधिकारी (02)
- मैकेनिक (01)

डा0 शिवानन्द विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण
- परियोजना निदेशक/ संयुक्त निदेशक (01)
- पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2

डी.एफ.एस. श्यामपुर–ऋषिकेश
अपर
प्रबन्धक / वरिष्ट
पशुचिकित्साधिकारी
(01)
पशुचिकित्साधिकारी
(03)

8.2 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड :–

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के शासनादेश संख्या 568/प.म.दु.–उ.वि. बो/2003 देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर 2003 के अनुसार उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के गठन के निम्न उद्देश्य है–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के कर्तव्य :–

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड का मिशन निम्नवत् है :–

- भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम।
- भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम
- भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना
- भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी/ प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
- हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना।
- भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान कर

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के मुख्य कृत्य :–

1– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम।
2– नस्ल सुधार कार्यक्रम।
3– उत्पादकता विकास कार्यक्रम।
4– भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना।
5– ऊन की ग्रेडिंग।
6– मशीन द्वारा ऊन कतरन।
7– उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता।
8– प्रशिक्षण कार्यक्रम।
9– बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका उदय देश के 27 वें राज्य के रूप में 09 नवम्बर, 2000 को हुआ। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 100,86,292 है, जिसमें से 16,909 भेड़ पालक हैं, वर्ष 2019 की 20वीं पशुगणना के आधार पर इन भेड़ पालकों के पास कुल भेड़ों की संख्या 284615 लाख है। उत्तराखण्ड में ऊन उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास बहुत समय पूर्व से किये जाते रहें हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में भेड़ पालन व्यवसाय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1950 में राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, पीपलकोटी, चमोली की स्थापना की गयी। तत्पश्चात सन् 1953–54 में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश तथा चमोली में 03, बागेश्वर में 03 मेढ़ा केन्द्रों की स्थापना की गयी।

भेड़ों की संख्या में विगत वर्षों से निरन्तर कमी आ रही है, जिसके प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :–

- भेड़पालकों का आधुनिक सुख–सुविधाओं के कारण व्यवसाय से पलायन।
- रोजगार साधनों का विविधीकरण।
- भेड़पालकों के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त न होना।
- भेड़ पालन कार्य कठिन श्रम का होना।
- पारम्परिक भेड़पालकों में शिक्षा का व्यापक प्रसार होने के कारण इस कार्य में कम योगदान देना।
- भेड़ पालकों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से हेय की दृष्टि से देखा जाना।
- वनों एवं चारागाहों की कमी।
- विभिन्न सेन्चुरियों का निर्माण कर चरान–चुगान क्षेत्र को प्रतिबन्धित करना।
- बुग्यालों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आना।
- वन अधिनियम के लागू होने से चरान–चुगान क्षेत्रों को प्रतिबन्धित करना।
- भेड़ पालन कार्यक्रम को एकीकृत रूप से विकसित करने तथा भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की स्थापना की गई।

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना :– भेड़पालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं तथा उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन शासनादेश सं0 568/प.म.दु.ऊ.वि.बो./2003 दिनांक 29.10.03 के माध्यम से करते हुए इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं0 21,1860 के अधीन सं0 1998 दिनांक 31.10.03 के द्वारा किया गया।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के उद्देश्य/नीतियाँ :

- उत्तराखण्ड में भेड़, बकरियों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम।
- उत्तराखण्ड में भेड़, बकरियों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम।
- उत्तराखण्ड के भेड़, बकरी पालकों की भेड़–बकरियों में नस्ल सुधार कार्यक्रम।
- उत्तराखण्ड के भेड़–बकरी पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
- राज्य के भेड़–बकरी पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़–बकरी पालकों को भेड़, बकरी पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़–बकरी पालकों को भेड एवं बकरी पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़–बकरी पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।

- शासनादेश संख्या 256/XV/व0ग्रा0वि0/प0पा0–यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0/773 (2)/2004 दिनॉक 16 अप्रैल 2004 के अनुसार बोर्ड में पशुपालन विभाग की विभिन्न संस्थाओं के विपरीत वर्तमान में पदों का विवरण निम्न प्रकार है।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, मुख्ख्यालय देहरादून में स्वीकृत पदों का विवरण

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	मुख्य अधिशासी अधिकारी/ संयुक्त निदेशक	01	01	0
2	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1	01	01	0
3	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1	01	01	0
4	उपप्रबन्धक/पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2	02	02	0
5	वाहन चालक	01	01	0
6	वरिष्ठ सहायक	01	0	01
7	कनिष्ठ सहायक	02	02	0
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	02	0

- शासनादेश संख्या 1031/XV–2/16/7(7)/2008 दिनॉक 22 दिसम्बर 2016 के द्वारा पशुपालन विभाग के 216 पदों को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किया जाना था जो वर्तमान में अपेक्षित है।

उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग

संख्या 568/प.म.दु.–उ.वि.बो./2003

देहरादून दिनांक अक्टूबर 29. 2003

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा।

1– माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2– सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3– अपर सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव/सदस्य
4– प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
5– सचिव उद्योग उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव
6– मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन विकास बोर्ड कपडा मंत्रालय भारत सरकार	पदेन सदस्य
7– मुख्य कार्यकरी अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
8– प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
9– प्रबन्ध निदेशक कुँमायूं मण्डल विकास निगम	पदेन सदस्य

sd/-

(ओम प्रकाश)

सचिव

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून द्वारा संचालित योजनाओं का विवरणः–

1. आयातित मैरीनों भेड़ के माध्यम से संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम (Structured Breeding Program) के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम

- वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission), भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड के सीमान्त भेड़ पालकों के जीवन स्तर में सुधार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वाहन में **"किसानों की आय दोगुना"** के लक्ष्य की पूर्ति हेतु, आस्ट्रेलिया से महीन (Fine Wool) एवं उच्च गुणवत्ता के ऊन उत्पादक 240 मैरीनो भेड़े दिसम्बर 2019 के अन्तिम सप्ताह में राज्य के टिहरी जनपद स्थित राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार पर आयात कर व्यवस्थित की गयी थी।
- वर्ष 2020–21 में प्रथम प्रजनन काल में आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ो से 881 मैरीनो संतति (137 Pure line and 744 Cross breeding) प्राप्त हुये।
- वर्ष 2021–22 में द्वितीय प्रजनन काल के दौरान 583 मैरीनो संतति (69 Pure line and 514 Cross breeding) प्राप्त हुये।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में तृतीय प्रजनन काल के दौरान 971 मैरीनो संतति (125 Pure line and 846 Cross breeding) प्राप्त हुये।
- वर्ष 2023–24 में वर्तमान तक कुल चतुर्थ प्रजनन काल के दौरान राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों मे 1026 मैरीनो संतति (87 Pure Breed मैरीनों तथा 939 Cross Breed) संतति प्राप्त हुये है।
- वर्ष 2024–25 में वर्तमान तक कुल पांचवी प्रजनन काल के दौरान राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्रों में 783 मैरीनो संतति (691 Cross Breed मैरीनों तथा 92 Breed) संतति प्राप्त हुये है।
- वर्ष 2025–26 में वर्तमान तक कुल छठवीं प्रजनन काल के दौरान राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्रों में 848 मैरीनो संतति (57 Pure Breed मैरीनों 791 Cross Breed) संतति प्राप्त हुये है।

2. Artificial Insemination in Sheep and Goat:

- योजना के अन्तर्गत पशुलोक ऋषिकेश में एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।
- योजनान्तर्गत आयातित मैरिनो रैम के वीर्य तथा विभिन्न प्रजाति के बकरियों के वीर्य का उपयोग कर के राज्य में हीट सिंक्रोनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया है।
- योजनान्तर्गत भेड़ बकरियों में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 410 बकरी में कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया गया तथा इस वित्तीय वर्ष 126 बकरी संतति प्राप्त हुई।

3. राज्य भेड़ बकरी अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला–

- प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता के नर बकरे व मेरिनों भेड के वीर्य का हिमीकृत वीर्य (Frozen Semen) उत्पादन तथा मैरीनों भेड़ (Liquid Semen) के वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान तक 61324 बकरे तथा 725 मेरिनों भेड़ के फ्रोजन वीर्य व 4979 मेरिनों भेड़ के लिक्विड सीमन डोज उत्पादित किये जा चुके।

➢ कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला के निर्माण वर्ष 2020–21 से वर्तमान तक 17411 सीमन डोज का विक्रय/वितरण किया जा चुका है।

5. अंशदान पर मेंढ़ा वितरण योजना

उत्तराखण्ड राज्य के भेड़पालको के हितार्थ हेतु स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार के लिए **अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना** का शुभारम्भ मा0 पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को किया गया। योजना का संचालन पहले आओ पहले पायो के आधार पर किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बाहुल्य क्षेत्र के भेड़पालक को निम्न दिशानिर्देशों के आधार पर "अंशदान पर मेंढ़ा वितरण योजना" में शामिल किया जाना हैः–

- उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो।
- लाभार्थी के पास कम से कम 50 भेड़ें हो।
- मेंढ़ें का बीमा यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0/भेड़पालक के माध्यम से किया जायेंगा।
- लाभार्थी का चयन सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा अंशदान पर प्राप्त मेंढ़ें का रख–रखाव/समय–समय पर टीकाकरण/दवापान इत्यादि किया जायेगा। बीमार होने पर सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी से उपचार करना तथा मृत्यु होने पर सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी को सूचित कर शव विच्छेदन की कार्यवाही करवानी होगी।
- लाभार्थी द्वारा अंशदान पर प्राप्त मेंढ़ें का दुरूपयोग करने की पुष्टी होने पर लाभार्थी से मेंढ़ें की कीमत पुस्तकीय मूल्य के अनुसार वसूल की जायेगी।
- लाभार्थी तथा यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, के प्रतिनिधि (सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी) के बीच अनुबन्ध रू0 10 के Non Judicial Stamppaper पर किया जायेगा।
- अंशदान की धनराशि मेंढ़े की आयु के अनुसार कुल पुस्तकीय मूल्य के 20 प्रतिशत भाग के बराबर रहेगी जो लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में प्रस्तावित पुस्तकीय मूल्य					
क्र. स.	आयु सीमा	भारतीय मैरिनों क्रॉस ब्रीड	लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत के अनुसार दी जाने वाली धनराशि	भारतीय मैरिनों **Pureline**	लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत के अनुसार दी जाने वाली धनराशि
1	12 माह से 02 वर्ष तक	7500.00	1500.00	20500.00	4100.00

- योजना का संचालन **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर किया जायेगा।
- चयनित लाभार्थी को उसकी माँग के अनुसार निकटतम प्रक्षेत्र से अंशदान पर मेंढ़ा उपलब्ध कराया जायेगा।
- लाभार्थियों के निकटतम प्रक्षेत्र पर मेंढ़ा उपलब्ध न होने की दशा में अन्य प्रक्षेत्र से उपलब्ध कराने में यातायात पर होने वाले व्यय का भार सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित से रू0 500.00 प्रति मेंढ़ें की दर से यातायात शुल्क लिया जायेगा। मेंढ़ों का परिवहन उस क्षेत्र के कम से कम 08 से 10 भेड़पालकों द्वारा मेंढ़ें की माँग के उपरान्त ही उनके बताये गये क्षेत्र के एक गन्तव्य स्थल तक मेंढ़ों का परिवहन किया जायेगा।
- अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 263 मेढ़ों, जिसमे 55 Pure Bred तथा 208 क्रास ब्रीड मैरिनों मेढ़े वितरित किये गये है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत 08 Pure Bred तथा 29 क्रास ब्रीड मैरिनों मेढ़े वितरित किये गये है।

6. राज्य सेक्टर व अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मेढ़ा वितरणः–

- उक्त योजना अन्तर्गत राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों से उच्च नस्ल के मेढ़े , भेड़ इकाई यूनिट (10+1) हेतु वितरित किये गये।
- राज्य सेक्टर SCP/TSP अन्तर्गत वर्तमान तक लगभग 347 मेढ़े वितरित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 122 मेढो का वितरण किया गया।
- अन्य योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के बाहर अबतक 116 मेढ़ों का वितरण प्रक्षेत्रों से किया जा चुका है।

<u>वित्तीय वर्ष 2025–26 में मेढ़ों के वितरण का विवरण</u>

क्र० सं०	जनपद	अंशदान योजनान्तर्गत		राज्य सेक्टर SCP/TSP योजनान्तर्गत कॉस ब्रीड नर मेढ़ों का वितरण	कुल मेढ़ों का वितरण	कुल लाभन्वित भेड़पालकों की संख्या
		Pure Merino मेढ़ों का वितरण	कॉस ब्रीड नर मेढ़ों का वितरण			
01	उत्तरकाशी	0	02	55	57	57
02	टिहरी	-	0	0	0	0
03	रूद्रप्रयाग	-	07	25	32	32
04	चमोली	-	08	0	08	08
05	पिथौरागढ़	-	12	09	21	21
06	बागेश्वर	-	0	33	33	33
07	उत्तर प्रदेश	-	0	0	0	0
कुल		**0**	**29**	**122**	**151**	**151**

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम **(Training)**

पशुचिकित्सा परिषद्, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान तक प्रगतिशील पशुपालकों, पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा समस्त जनपद के पशुचिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र में अन्य विभागों के प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जा रहा है।

पशुचिकित्सा परिषद्, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

S.No.	Firm Name	Training Topic	No. Of Trainee
1	Dr. R.S. Tolia, Nainital	Training of Hosing and Urban Development Authorty	30
2	Dr. R.S. Tolia, Nainital	Training of Hosing and Urban Development Authorty	46
3	NHM	R.B.S.K. Medical Officer Training	35
4	IPDP Compus, Odisha	Oestrus Synchronization A.I. Goat	80
5	NHM	Kayakalp Internal Assessor Tarining	48
6	Dr. R.S. Tolia, Nainital	Inudation Trainging J.E.	46

7	Directorate A.H. Shimla	V.O. Tarining A.I. Goat	20
8	Red Cross Society D.Dun	Inudation Traing	20
9	Dr. R.S. Tolia,	Inudation Trainging J.E.	46
10	Registrar U.V.C.	ASCAD V.O. Trainging	24
11	Registrar U.V.C.	Pharmacy Trainging	5
12	Registrar U.V.C.	Pharmacy Trainging	17
13	Registrar U.V.C.	Pharmacy Trainging	8
14	Managing Director, Federation Sheep &Wool	FPO- Trainging	24

8. राजकीय भेड़ बकरी शशक प्रजनन प्रक्षेत्रो का सुदृढीकरण एवं आधुनिकरण योजना :

- **CMRKVY**-राजकीय भेड़ बकरी, शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृरणीकरण एवं आधुनिकरण (बायोस्क्यूरिटी) योजनान्तर्गत राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्र कर्मी (बागेश्वर) तथा बारापट्टा, (पिथौरागढ़) का आधुनिकिकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है।
- **NABARD-RIDF:-** योजनान्तर्गत राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्र शामालिती (बागेश्वर), पांगू, (पिथौरागढ़), मक्कू (रूद्रप्रयाग), ग्वादलम (चमोली) तथा बंगाली (चमोली) प्रक्षेत्रों का आधुनिकिकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है।

9. राजकीय भेड़ बकरी शशक प्रजनन प्रक्षेत्रो की समीक्षा, मूल्यांकन एवं प्रगति में सुधार :

- राजकीय भेड़ बकरी शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की नियमित समीक्षा एवं प्रक्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुये आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये तथा उचित प्रबन्धन उपलब्ध कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में वर्तमान तक 11 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों से कुल 1026 संतति प्राप्त हुये तथा 199 पशुधन की हानि हुयी है। मार्च 2025 तक प्रक्षेत्रों में कुल 3612 पशुधन (65 मेढे, 2094 भेड़, 499 नर मेमने तथा 954 मादा मेमने) व्यवस्थित है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान तक 11 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों से कुल 848 संतति प्राप्त हुये तथा 11 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों तथा 02 मेंढा पालन इकाई को सम्मिलित करते हुये कुल 500 पशुधन की हानि हुयी है। मार्च 2026 तक 172 पशुधन की नीलामी की गयी। मार्च 2026 तक 11 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों तथा 02 मेंढा पालन इकाइयों में कुल 3487 पशुधन (49 मेढे, 1942 भेड़, 542 नर मेमने तथा 893 मादा मेमने तथा मेढा पालन ईकाई में 61 मेढा) व्यवस्थित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रक्षेत्रों में कुल ऊन 5941 कि.ग्रा.(1022 कि.ग्रा.मेरिनों ऊन व्यास 17µ से 18 µ तथा 4919कि.ग्रा. क्रास मेरिनों व्यास 20µ से 22 µ) का उत्पादन हुआ है।

10. ग्रोथ सेन्टर योजनाः

- मा0 मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना ऊन ग्रोथ सेन्टर के अन्तर्गत 06 भेड़ बाहुल्य जनपदों में 10 ग्रोथ सेन्टर विकसित किये गये है।
- प्रत्येक सेन्टर में 02 शियरिंग मशीन, 01 ग्राईन्डर तथा 01 जनरेटर उपलब्ध कराया गया है।
- जैविक भेड़ कृषक उत्पादक संगठन का गठन व पंजीकरण की कार्य गतिमान है तथा UOCB के सहयोग से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा।
- State Wool Lab पशुलोक ऋषिकेश का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

➢ वर्तमान तक 09 जैविक भेड़ कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड (यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)
वार्षिक प्रगति वर्ष : 2020–26

राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की प्रगति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष					जन्म			अन्य प्राप्ति		मृत्यु			नीलामी		वि0/ स्था		अन्तिम शेष				
	मेढ़ा	भेड़	नर मेमना	मादा मेमना	योग	माह में	क्रमिक	%	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	%	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	मेढ़ा	भेड़	नर मेमना	मादा मेमना	योग
2020	109	1914	300	473	2800	152	746	38.97	0	309	24	239	8.51	4	59	20	346	106	1909	347	544	**2906**
2021	35	1886	472	836	3227	164	1015	53.81	0	84	44	162	5.10	3	24	113	619	38	1898	513	845	**3281**
2022	26	1797	400	861	3084	192	814	45.29	4	372	35	400	12.9	0	208	124	738	28	1782	354	957	**3121**
2023	37	2018	399	816	3270	94	979	48.27	51	339	39	250	7.23	0	118	54	654	44	2038	477	858	**3417**
2024	66	2097	466	927	3556	151	1026	49.52	0	309	24	239	8.63	0	103	66	966	65	2094	499	954	**3612**
2025	46	2150	399	736	3331	239	783	37.77	32	449	49	576	16.49	0	96	85	731	55	2110	451	829	**3445**
2026	42	2053	543	784	3422	224	848	23.32	11	329	139	499	14.00	20	172	72	216	49	1942	542	893	**3426**

राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की प्रगति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष					जन्म		अन्य प्राप्ति		मृत्यु		नीलामी		वि0/ स्था		अन्तिम शेष				
	बकरा	बकरी	किड नर	किड मादा	योग	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	बकरा	बकरी	किड नर	किड मादा	योग
2020	9	147	28	28	212	5	61	0	55	2	167	0	0	6	38	9	144	31	29	**213**
2021	22	132	25	31	210	16	62	0	24	0	70	0	0	4	23	22	132	31	37	**222**
2022	21	118	15	17	171	1	32	1	69	5	80	0	4	0	0	22	118	14	14	**168**
2023	13	93	9	12	128	1	33	0	8	3	41	0	5	0	18	13	91	9	11	**124**
2024	13	80	14	14	121	0	25	0	3	1	20	0	5	0	3	13	80	13	14	**120**
2025	14	66	08	13	101	02	20	0	21	0	10	0	19	0	26	14	66	09	14	**103**
2026	12	64	16	26	121	6	43	0	11	1	16	0	0	0	4	15	64	21	26	**126**

राजकीय अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की प्रगति

वर्ष	प्रारम्भिक शेष				प्राप्ति				मृत्यु		वि0/ स्था		अन्तिम शेष			
	नर	मादा	बच्चे	योग	जन्म	क्रमिक	अन्य	क्रमिक	माह	क्रमिक	माह	क्रमिक	नर	मादा	बच्चे	योग
2020	72	74	20	166	0	42	0	0	6	42	1	24	76	77	6	**159**
2021	68	69	4	141	0	10	0	0	2	26	3	6	69	70	0	**139**
2022	60	63	4	127	0	10	0	0	5	27	0	0	56	62	4	**122**
2023	28	26	16	70	0	31	0	0	0	48	0	8	35	35	0	**70**
2024	28	28	43	99	0	44	0	0	2	13	43	43	47	46	0	**93**
2025	50	47	0	97	0	45	0	02	04	30	0	14	49	44	0	**93**
2026	72	60	46	178	16	82	0	50	2	29	0	4	72	60	60	**192**

ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, की मार्च, 2020 से 2026 तक की कार्य प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	कुल	राजकीय भेड़ फार्म		स्थानीय क्षेत्र		कुल योग (राजकीय+स्थानीय)	
		वार्षिक लक्ष्य	संचित	विश्लेषित	संचित	विश्लेषित	संचित	विश्लेषित
1.	2019—20	750	1218	851	615	16	1833	867
2.	2020—21	750	1307	436	1022	658	2329	1094
3.	2021—22	750	1722	856	657	386	2379	1242
4.	2022—23	750	1849	783	723	375	2572	1158
5.	2023—24	750	1715	969	823	375	2538	1344
6	2024—25	750	1525	794	649	509	2174	1303
7	2025—26	750	1574	988	539	333	2113	1321

2 ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय—विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी की ऊन क्रय—विक्रय की प्रगति

क्र.सं.	मद		वर्ष 2025—26 में प्रगति		
			वार्षिक लक्ष्य	माह में पूर्ति	क्रमिक
राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना (राज्य सेक्टर)					
1.	मशीन द्वारा ऊन कतरन शिविरों का आयोजन	शिविरों की संख्या	—	03	**16**
		लाभान्वित भेडपालकों की संख्या	—	**13**	**37**
		शियरिंग की गयी भेंडों की संख्या	—	**975**	**4373**
		उत्पादित ऊन की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	—	**1317**	**7211**

2	ऊन शियररों का प्रशिक्षण		–	–	
3	बोर्ड द्वारा क्रय की गयी कच्ची ऊन	स्थानीय ऊन(कि0ग्रा0 में)	60000	–	3780
		मैरीनो ऊन(कि0ग्रा0 में)		–	2181
	कुल				5350
4	बोर्ड द्वारा विक्रय की गयी कच्ची ऊन	स्थानीय ऊन(कि0ग्रा0 में)	–	3780	**3780**
		मैरीनो ऊन(कि0ग्रा0 में)	–	4027	**4027**
	कुल			7807	7807
5	अवशेष ऊन की मात्रा	स्थानीय ऊन(कि0ग्रा0 में) –	–	......	
		मैरीनो ऊन(कि0ग्रा0 में)	–	....	
	कुल		–		1857
6	बोर्ड के सहयोग से अन्य एजेन्सी द्वारा विक्रय ऊन (कि0ग्रा0 में)		–	...	12585
7	ऊन ग्रेडिंग का विवरण	ऊन ग्रेडिंग (कि0ग्रा0 में)	–	7807	15614
		बेल्स का निर्माण(संख्या)	–	192	384

.ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पर संचित/विश्लेषण नमूनों का विवरण, वर्ष 2025–26

कुल वार्षिक लक्ष्य	राजकीय भेड़ फार्म				स्थानीय क्षेत्र				कुल योग (राजकीय+स्थानीय)	
	संचित		विश्लेषित		संचित		विश्लेषित			
	माह में	कर्मिक	माह में	कर्मिक	माह में	कर्मिक	माह में	कर्मिक	संचित	विश्लेषित
750	20	**1575**	**147**	**988**	**29**	**539**	**78**	**333**	**2113**	**1321**

कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला पशुलोक, ऋषिकेश की प्रगति
मार्च 2026

S.No	Breed	Pre. Balance (A)	No. of Doses Produced		No. of Doses Sold/ Distribute		Balance	आय (रू0 में)	
			Monthly	Cumulative	Monthly	Cumulative		माह	क्रमिक
1	Sirohi	1217	1002	6103	30	6095	2189		436875
2	Barbari	479	743	4105	20	4893	1202		360825
3	Jamunapari	1456	1660	5693	0	4023	3116		312325
4	Jakharana	372	159	842	0	1000	531		27500
5	Beetal	181	0	464	30	1400	151		66500
6	Boar	1367	333	1110	0	0	1700		32000
	Total	5072	3897	18263	80	17411	8889		1236025
Sheep Semen Production (FSD)									
	Merino		725	–	725		725	–	
Sheep Semen Production (Liquid Semen)									

	Merino			4979 (Since Start Lab)		4979 (Since Start Lab)		–	

Sheep & Goat AI Progress Report-

माह – मार्च, 2026

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माह में किये गये कृ0ग0		क्रमिक		माह में उत्पन्न संतति		क्रमिक	
		भेड़	बकरी	भेड़	बकरी	भेड़	बकरी	भेड़	बकरी
1.	ऊधमसिंहनगर	–	21	–	174	–	6	–	41
2.	हरिद्वार	–	2	–	73	–	1	–	27
3.	देहरादून	–	12	–	28	–	3	–	10
4.	नैनीताल	–	1	–	99	–	1	–	40
5.	उत्तरकाशी	–	0	–	0	–	0	–	0
6.	AI Lab ऋषिकेश	–	0	–	9	–	3	–	8
7	पैरावेट द्वारा की गयी AI	–	6	–	27	–	0	–	0
कुल योग–		–	42	–	410	–	14	–	126

उत्तराखण्ड भेड़ बकरी शशक पालक को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 देहरादून –

नवगठित राज्य में भेड़ और बकरी पालन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए तथा राज्य के ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका के अवसर बनाने और बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में भेड़, बकरी पालन और मांस उत्पादन के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने हेतु एक राज्य स्तरीय उत्तराखंड भेड़–बकरी शशक पालक को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 लिमिटेड यू.एस.जी.सी.एफ., की स्थापना 2019 में की है। यू.एस.जी.सी.एफ. उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के तहत एक पंजीकृत निकाय के रूप में अस्तित्व में आया।

नज़रिया (Vision)

यू.एस.जी.सी.एफ. द्वारा उत्तराखंड के असंगठित भेड़ और बकरी क्षेत्र को आत्मनिर्भर संगठित सहकारी क्षेत्र में बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आजीविका में पर्याप्त सुधार करना तथा किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए उन्हे आत्मनिर्भर बनाना है।

उद्देश्य (Mission)

उत्तराखंड के 10,000 से अधिक भेड़ और बकरी पालकों को उत्तराखंड भेड़–बकरी शशक पालक को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 लिमिटेड यू.एस.जी.सी.एफ., की छत के नीचे प्राथमिक भेड़ और बकरी समितियों में संगठित किया गया है एनसीडीसी द्वारा समर्थित इस परियोजना के तहत भेड़–बकरी सहकारी सदस्य को लाभान्वित करते आर्थिक रूप से भेड़–बकरी व्यवहार्य इकाई स्थापित करना है।

मूल्य श्रृंखला में सुधार को कुशल विपणन चैनलों द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों में गुणवत्ता के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष और ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वस्थ, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला हिमालयन बकरी मांस उपलब्ध करना है।

उत्तराखंड के 10,000 से अधिक भेड़ और बकरी पालकों जो उत्तराखंड भेड़–बकरी शशक पालक को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 लिमिटेड यू.एस.जी.सी.एफ. के शेयरधारक भी हैं, को अद्वितीय मॉडल से बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेज में सहायता प्रदान करना है।

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विकास परियोजना–भेड़ बकरी सेक्टर भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना (प्रथम चरण)

- योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में गठित प्राथमिक भेड़ बकरी सहकारी सदस्यों को 10 भेड़/बकरियां तथा 01 उच्च गुणवत्ता का मेढ़ा/बकरा उपलब्ध करा कर 21(20+1) की एक इकाई स्थापित की गयी।
- भेड़/बकरी इकाई के स्वास्थ परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण एवं बीमा निःशुल्क कराया गया तथा सदस्य के पास उपलब्ध सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण के साथ अन्य आवश्यक उपचार की सुविधा भी फेडरेशन के द्वारा कराया गया।
- योजना के प्रथम चरण में 1511 लाभार्थीयों का चयन कर 9741 बकरियां तथा 734 बकरियां वितरित की गयी।

गोट वैली परियोजना (Goat Valley) (द्वितीय चरण)

- दिनांक 16 नवम्बर 2022 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में कलस्टर आधारित बकरी पालन को

बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गोट वैली परियोजना का उद्घाटन किया गया। एक वैली के अन्तर्गत न्यूनतम् 100 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया जाना है।

- गोट वैली का मुख्य उद्देश्य राज्य के बकरी पालको को कलस्टर के रूप में संगठित करते हुये व्यवसायिक गोट फार्मिग को केन्द्रित कर एकीकृत/समेकित आजीविका संवर्द्धन का माडल विकसित करना है तथा गोट वैली की स्थापना के द्वारा व्यवसायिक बकरी पालन को कलस्टर में संतृप्त/आच्छादित (Saturate) करना है।
- राज्य में चल रही परम्परागत बकरी पालन को शुद्ध लाभ वाली गतिविधि में परिवर्तित कर एक उद्यम के रूप में स्थापित करते हुये युवाओं के लिए स्व–रोजगार के रूप में स्थापित किया जायेगा।
- राज्य में स्थापित की जाने वाली गोट वैली से बकरी से सम्बन्धित उत्पाद जैसे Export Quality Meat उत्पादन एवं बकरी के दूध (Goat Milk) की मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को विकसित किया जाएगा।

गोट वैली का क्रियान्वयन :

प्रदेश में बकरी पालन गतिविधि को सहयोग, सशक्त व उच्चीकरण करने हेतु गोट वैली (Goat Valley) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–भेड़ बकरी सेक्टर तथा पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर, जिला सेक्टर एवं सहकारिता विभाग की दीन दयाल उपाध्याय योजना का युगपतिकरण किया जा रहा है।

गोट वैली उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत एक वैली में 100 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया जाना है।

चयनित वैली के अन्तर्गत लाभार्थीयों को सर्वप्रथम राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत न्यून्तम् रू0 30000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे लाभार्थी द्वारा 5 से 6 बकरियों का क्रय किया जाता है। तद्पश्चात् पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर योजना से 10 बकरियां तथा 01 बकरे हेतु रू0 63000.00 (90 प्रतिशत) अथवा जिला योजना के माध्यम से 5 से 10 बकरियों हेतु अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

गोट वैली की प्रगतिः–

KPIs	Overall Progress		Financial Year 2025-26Progress	
	Target	Achievement	Target	Achievement
No. of Goat Valley	-	37	-	5
No of Block	-	50	-	9
Beneficiaries Selected	6261	6249	2315	2330
No. of Unit Complete	6261	6119	2315	2275
Female Goat Induction	93,915	88,614	37,040	33425
Buck Induction	6261	6119	2315	2775
Total Goat Induction	1,00,176	94,733	39,355	36,200
Goat Insurance	1,00,176	86,344	39,355	33074
No. of Society / FPO / SHG		112		32

BAKRAW-the Himalayan Goat Meat and Goat Milk Sale

वर्तमान में Himalayan Goat Meat, Himala Chiken एवं Uttara fish का Joint Venture करते हुये Himalayan Nutrifresh Product Pvt. Ltd कम्पनी का गठन किया गया है जो गोट Meat Value chain में forward linkage का कार्य कर रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 12,120कि0ग्रा0 BAKRAW-the Himalayan Goat Meat उत्पाद की बिक्री की गयी है जिससे लगभग 86.44 लाख की आय अर्जित की है तथा लगभग 2,29100 कि0ग्रा0 चिकन की बिक्री से 511,70 लाख की आय अर्जित की है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत ACBF पशुलोक के माध्यम से 8152.00 लीटर Goat Milk की भी बिक्री की जा रही है जिससे लगभग 24.456 लाख की आय प्राप्त की गयी है।

बकरी किसान उत्पादक संगठन (Goat Farmer Producer Organization) :

- भेड़ बकरी सेक्टर के अन्तर्गत नाबार्ड के सहयोग से भेड़–बकरी किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में **उधमसिंहनगर भेड़ बकरी किसान उत्पादक सहकारी समिति लि0** का दिनांक 23.10.23 को पंजीकरण कर लिया गया है। जिसमें 140 से अधिक सदस्यों को जोड़ लिया गया है।
- जनपद देहरादून के कालसी प्रक्षेत्र में **कालसी भेड़ बकरी किसान उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता कालसी, देहरादून** 22.9.2023 को पंजीकरण कर लिया गया है। जिसमें 230 से अधिक सदस्यों को जोड़ लिया गया है।
- बकरी किसान उत्पादक संगठनों के गठन हेतु उत्तराखण्ड राज्य भेड़ बकरी शशक पालक को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (यू0एस0जी0सी0एफ0), देहरादून को नाबार्ड द्वारा Producer organization promotion Institution (POPI) नामित किया गया है।

ITBP, Army व अन्य सैन्य संस्थानों को स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति

- वाईब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिये Vocal for Local परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति हेतु पशुपालन व मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को अनुबंध किया गया।
- वर्तमान में आई0टी0बी0पी0 के साथ–साथ भारतीय सेना व सशस्त्र सीमा बल को भी मांग आधारित **बकरी/भेड़, कुक्कुट एवं मछली** आपूर्ति की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड के सीमान्त किसानों द्वारा आई0टी0बी0पी0, भारतीय सेना व सश्स्त्र सीमा बल को **2,27,439 कि०ग्रा० जीवित भेड़,/ बकरी 217,059 कि०ग्रा० जीवित कुक्कुट व 33,536 कि०ग्रा० ट्राउट मछली आई०टी०बी०पी०को उपलब्ध कराया गया है। जिससे किसानों को उनके उत्पाद के सापेक्ष रू0 11 करोड़ 62 लाख 21 हजार से अधिक का भुगतान DBT के माध्यम से किया गया।**
- योजना प्रारम्भ से मार्च 26 तक 32 सहकारी समिति/किसान उत्पादक संगठनों के 350 से अधिक किसानों द्वारा उत्पाद की आपूर्ति की गयी है जिन्हें कुल 13 करोड़ 29 लाख 65 हजार का भुगतान किया गया है।
- इस अभिनव पहल को सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal SDG-1: गरीबी उन्मूलन) के अन्तर्गत SDG Achiever Award 2024–25 से सम्मानित किया गया।

Establishment of Goat Unit & Value-added Product

- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) का संचालन अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के वित्तपोषण से किया जा रहा है। परियोजना में उत्पादों की Value Chain के आधार पर ग्रामीण सामुदाय के उद्यमों की स्थापना करायी जानी है।
- योजना के अन्तर्गत मुख्यतः प्रत्येक जिले में हब यूनिट (100 Female Goat + 5 Male Goat) एवं (70 Female Goat + 5 Male Goat) की Goat Breeding यूनिट की स्थापना की जानी तथा 650 स्पोक यूनिट (10 Female Goat + 1 Male Goat) की स्थापना की जानी है।

योजनान्तर्गत निम्न गतिविधियां संचालित की जा रहीहै–

➢ **Establishment of Goat Breeding Center "Hub" (100+5):-**प्रत्येक जिले में 100 मादा बकरियों व 05 नर बकरों के 01 हब की स्थापना की जा चुकी है। जिसके क्रम में वर्तमान में कुमाऊँ मंडल के जनपद अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा नैनीताल और गढ़वाल मंडल में जनपद हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी एवं रूद्रप्रयाग में लाभार्थीयों का चयन कर लिया गया है तथा बकरीबाड़ा के निर्माण/सुद्ढरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

➢ योजनानुसार लाभार्थीयों को बाड़ों के निर्माण व हरे चारे हेतु 13 लाभार्थियों को प्रथम किश्त व 100 मादा बकरियों तथा 5 नर मादा को क्रय करने हेतु 12 लाभार्थियों को धनराशि निर्गत की गयी है।उक्त सम्बन्धित ब्रीडिंग सेन्टर में लगभग 900बकरियों व्यवस्थित की गयी है।

➢ **Establishment of Goat Breeding Center "Hub" (70+5):-**प्रथम चरण में 06 जनपद गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर 70मादा बकरियों व 05 नर बकरो के 01 हब की स्थापना की जानी है। जिसके क्रम में वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी, देहरादून एवं उधमसिंहनगर में लाभार्थी को चयनित कर लिया गया है तथा बकरी बाड़ा के निर्माण/सुद्ढरीकरण का कार्य गतिमान है।

➢ **Training / Exposure Visit(In purchasing location) Hub Operator:-**

- गतिविधि के अन्तर्गत चयनित Hub Operatorsको बकरी पालन में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना तथा बकरी फार्म का Exposure Visitकराया जाना है।
- वर्तमान तक चयनित सभी को बकरी पालन में एक दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुये बकरी फार्म का Exposure Visit कराया जा चुकाहै।

➢ **Goat Meat Unit Establishment (Spoke) &Training:-**

- गतिविधि के अन्तर्गत पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर की बकरी पालन तथा यू0एस0जी0सी0 एफ0 के साथ अभिसरण कर 650 यूनिट स्थापित किया जाना है।
- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले से 50 लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है, जिनको विभाग के अन्तर्गत संचालित गोट वैली परियोजना में सम्मिलित कर लाभान्वित किया जा रहा है।
- वर्तमान तक सभी 13 जनपदों द्वारा 650 लाभार्थियों का चयन कर गोटवैली परियोजना के अन्तर्गत बकरी इकाइ ́उपलब्ध कराय ̀जाने का कार्य प्रगति पर है।

- 05 जनपदों में 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है।

- **Establishment of 2 Goat Milk breeding unit (100+5)**–Aggregation cum Breeding Farm, पशुलोक ऋषिकेश में01 Goat Milk Breeding Unit स्थापित की गयी है। यूनिट से उत्पादित Goat Milk को पतंजली हरिद्वार को विक्रय किया जा रहा है।

8.3 उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड :–

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV–12(3)/2006 के अनुरुप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत नियमावली के बिन्दु 6 के अनुसार पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट के निवारण, पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के कानूनी प्राविधानों में बदलती हुयी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरुप संशोधन हेतु राय देने, पशुओं में उत्पादकता बृद्धि हेतु नयी तकनीकों के समावेश की स्वीकार्यता एवं प्रेरणा के विकास तथा पशुओं के कष्ट तथा पीड़ा में कमी लाने हेतु कार्ययोजनाओं को तैयार करने तथा क्रियान्वित करना उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के गठन का उद्देश्य है।

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरुप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत नियमावली के बिन्दु– 7 के अनुसार बोर्ड के निम्न कृत्य एवं कर्तव्यों का हिन्दी अनुवाद निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

पशु कल्याण कार्यों को बढावा देना एवं पशु कल्याण हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।

पशुओं के प्रति ूरता के निवारण के लिए प्रवृत विधि का निरन्तर अध्ययन करते रहना तथा समय–समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधनों पर शासन को परामर्श देना।

पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण करने की दृष्टि से और विशेषतया जबकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा हो अथवा जबकि उनका प्रयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जाता है अथवा जबकि उन्हें बन्दी व्यवस्था या बन्धन में रखा जाता है, इस अधिनियम के अध्याधीन नियमों के बनाने में सरकार को परामर्श देना।

सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को मानकों के आधार में सुधार के विषय में मन्त्रणा देना जिसमें कर्षण (खींचने वाले) पशुओं पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकें।

ऐसी समस्त कार्यवाही करना जैसा कि बोर्ड पशु कल्याण हेतु उपयुक्त समझे यथा; शेड्स, पानी की नादें इत्यादि के निर्माण को प्रोत्साहित करने अथवा उपलब्ध कराने अथवा अन्य कार्य तथा पशुओं की दशा सुधारने के लिए पशु चिकित्सा सहायता।

वध–शालाओं की रूपरेखा (Design) अथवा वध–शालाओं के संधारण (Maintenance) के विषय पर अथवा वध एवं वध से पूर्व पशुओं के अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा एवं यातनारहित विधि से पशुओं के हनन (Slaughter) के सम्बन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन से परामर्श देना कि, पशुवध यथासंभव मानवीय विधि से कराना सुनिश्चित हो सके।

ऐसी समस्त कार्यवाही करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड उपयुक्त समझे कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब कभी ऐसा करना आवश्यक हो, अवांछनीय पशुओं को या तो तत्काल या पीड़ा अथवा यातना से संज्ञाहीन किये जाने के पश्चात विनष्ट किया जाये।

आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा या अन्यथा पिंजरा पोल, पशुसंरक्षण गृह, पशुशरणालय, पशु–पक्षी उद्यान (Sanctuaries) इत्यादि बनाये जाने को प्रोत्साहित करना जहां पशु या पक्षी वद्ध और निरूपयोगी हो जाने की स्थिति में जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, आश्रय पा सकें।

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ अथवा पशु और पक्षियों के संरक्षण हेतु स्थापित संस्थाओं एवं निकायों के साथ सहयोग करना और कार्यो का समन्वय करना।

किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाली पशु कल्याण संस्थाओं को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी पशु कल्याण संस्थाओं के आचरण को प्रोत्साहित करना जो बोर्ड की सामान्य देखरेख और निर्देशन के अधीन कार्य करें।

चिकित्सकीय देखभाल तथा सावधानी सम्बन्धी मामलों में जिनकी कि व्यवस्था पशु अस्पतालों में की जा सके। सरकार को परामर्श देना तथा पशु–अस्पतालों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना जब कभी बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझे।

पशुओं के साथ सद्व्यवहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना, व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचारपत्रों, चलचित्र प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचायें जाने के विरूद्व एवं पशु कल्याण

के उत्कर्ष के लिए जनमत बनाने में प्रोत्साहन देना।

पशुओं के प्रजनन तथा उत्पादन हेतु स्थापित पशुफार्मों तथा पशु चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पशुओं पर अनुसंधान एवं प्रयोगों में पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण के प्रयोजन से राज्य सरकार को नियमों/प्रक्रियाओं में संशोधन हेतु परामर्श देना।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों की भावनाओं के अनुरुप शब्दशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।

राज्य में समस्त स्थानीय क्षेत्रों में पशु कल्याण संस्थाओं की स्थापना, पशु कल्याण कार्यों में रत संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं पशु कल्याण कार्यो का निरीक्षण करना।

पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण एवं पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित पशु कल्याण समितियों/निकायों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना तथा इस प्रकार की समस्त संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।

पशुकल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठनों को वित्तीय अनुदान (Financial Grant) हेतु अनुमोदन करना, उनका मार्गदर्शन तथा निरीक्षण करना।

स्वयं के कार्यों एवं प्रसाशनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु बोर्ड द्वारा उचित निमावलियां तैयार की जायेंगी तथा तद्नुसार शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जायेंगी।

अपने कार्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों तथा अन्य संवैधानिक निकायो (Statutory Bodies) से उनके कार्यों से संबधित सूचनाऐं मांगी जायेंगी तथा अपने कार्यों की परिपूर्ति हेतु राज्य में किसी भी स्थान पर भ्रमण किया जायेगा।

बोर्ड द्वारा पशुकल्याण एवं संबधित क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु पशुपालन विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित किया जायेगा।

मानव शिक्षा कार्यक्रम (Human Education Programme) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा पशु कल्याण विषय पर त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जायेगा। इस कार्य हेतु बोर्ड में मानव शिक्षा हेतु स्टैडिंग कमेटी (Standing Committee on Human Education) का गठन किया जायेगा।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन द्वारा राज्य में पशुओं के कल्याण एवं एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु राज्य स्तरीय उत्तरांचल पशु कल्याण बोर्ड के गठन हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 187/पशुपालन/ 2003 दिनांक 19 मई, 2003 के अनुसार ज्ञापित किया गया। जिसके अनुसार बोर्ड का गठन निम्नवत किया गया :–

1-	मा0 मंत्री, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल सरकार	पदेन अध्यक्ष
2-	सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव
3-	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
4-	मुख्य वन्य जीव संरक्षक, उत्तरांचल	सदस्य
5-	गौशालाओं के 10 चयनित प्रतिनिधि	सदस्य
6-	उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित पांच पशु प्रेमी	सदस्य
7-	समाजसेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशु कल्याण का कार्य कर रहे हो (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8-	प्रमुख सचिव गृह, उत्तरांचल शासन	सदस्य
9-	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल	
10-	जिला पंचायत अध्यक्ष (उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

11- उत्तरांचल विधान सभा के दो मा0 विधायक — सदस्य

12- सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुडे दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित) — सदस्य

13- सचिव, न्याय, उत्तरांचल शासन — सदस्य

कालान्तर में सचिव पशुपालन उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–531/XV/पशुपालन /2004–4/2004 देहरादून दिनांक 23 नवम्बर 2004 के अनुसार उत्तरांचल राज्य में पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु राज्य स्तर पर उत्तरांचल पशु कल्याण बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया गया :–

1-	मा0 मंत्री, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल सरकार	पदेन अध्यक्ष
2-	राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण सेवा के आधार पर)	उपाध्यक्ष
3-	सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव
4-	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
5-	मुख्य वन्य जीव संरक्षक, उत्तरांचल	सदस्य
6-	गौशालाओं के 10 चयनित प्रतिनिधि	सदस्य
7-	पांच पशु प्रेमी	सदस्य
8-	समाजसेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशु कल्याण का कार्य कर रहे हो (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9-	प्रमुख सचिव गृह, उत्तरांचल शासन	सदस्य
10-	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल	सदस्य
11-	जिला पंचायत अध्यक्ष (उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
12-	विधान सभा के दो मा0 विधायक	सदस्य
13-	सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुडे दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

संरचनात्मक ढांचा

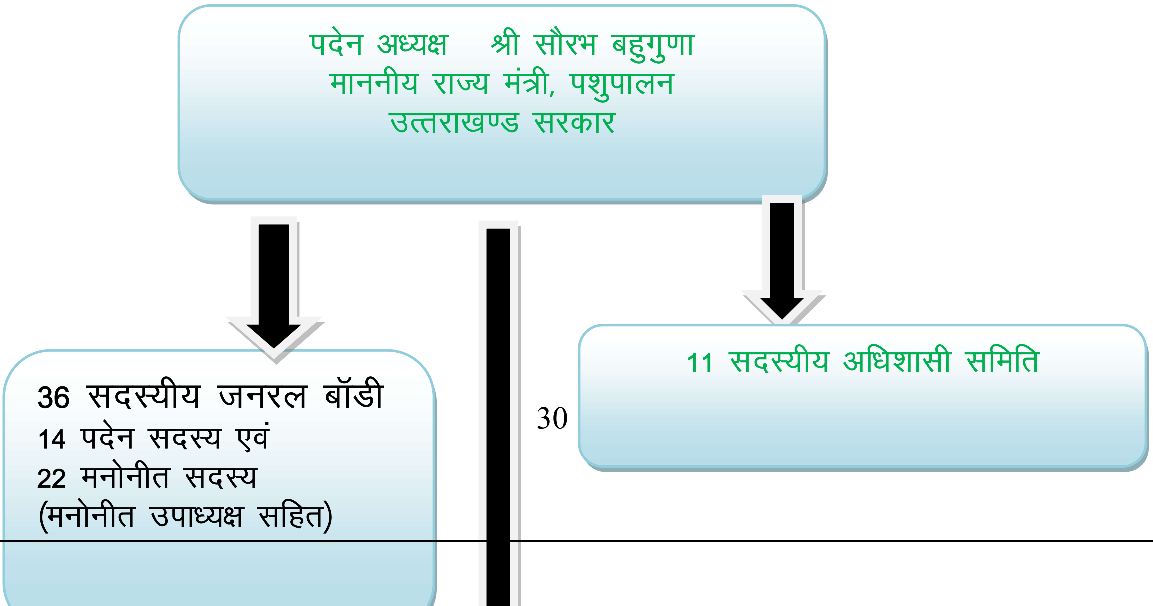

उपाध्यक्ष अधिशासी समिति
डा0 बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, आई.ए.एस.
सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड

पदेन सदस्य सचिव, डा0 उदय शंकर
निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड

प्रभारी अधिकारी : डा0 हरेन्द्र शर्मा
एवं
उ0प0क0 बोर्ड का अधीनस्थ सहयोगी स्टाफ

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की जनरल बॉडी

क्र०	पदनाम / वर्ग	बोर्ड में पदस्थान
1.	मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सराकार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/ कृषि उत्पाद आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
3.	प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
4.	प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
5.	प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
6.	प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
7.	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
8.	अपर सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
9.	मुख्य वन्य जीवजन्तु प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
10.	निदेशक शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
11.	अधीष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पन्तनगर विश्वविद्यालय	पदेन सदस्य
12.	रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद	पदेन सदस्य
13.	निदेशक विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
14.	निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्यसचिव
15.	02 माननीय विधायक, उत्तराखण्ड विधानसभा	मनोनीत सदस्य
16.	01 माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तराखण्ड	मनोनीत सदस्य
17.	05 पशु प्रेमी, उत्तराखण्ड	मनोनीत सदस्य
18.	01 न्यायिक सेवाओं के सेवानिवृत अधिकारी	मनोनीत सदस्य
19.	01 प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत अधिकारी	मनोनीत सदस्य
20.	10 गौशाला प्रतिनिधि	मनोनीत सदस्य
21.	02 जिला एस०पी०सी०ए० प्रतिनिधि	मनोनीत सदस्य

वर्तमान समय में निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा सदस्य सचिव के पद का कार्यभार/दायित्वों का वहन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड का उद्देश्य :–

- पशुओं के कल्याणार्थ समर्पित संस्थाओं का चिन्हीकरण, मान्यता प्रदान करना समन्वयन एवं सहयोग।
- पशुओं के प्रति की जा रही क्रूरता के निवारण हेतु पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गोवंश तथा पशुओं के कल्याण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों/ नियमावलियों/ शासनादेशों/दिशा–निर्देश नीतियों के सृजन तथा संशोधन हेतु परामर्श एवं अनुशंसा प्रस्ताव।
- मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल तथा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली अन्तर्गत गोवंश तथा पशुओं के कल्याण से सम्बन्धित प्रकरणों पर प्रतिशपथ पत्र योजित किये जाने हेतु परामर्श एवं सहयोग।
- पशुपालन विभाग/ शहरी विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग के माध्यम से निराश्रित गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजनाओं की अनुशंसा/ क्रियान्वयन/ समन्वयन।
- पशुपालन विभाग/ शहरी विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग के माध्यम से निराश्रित श्वान पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु योजनाओं की अनुशंसा/ क्रियान्वयन/ समन्वयन।
- पशुओं के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, उपनियमों एवं विभिन्न विधिक प्राविधानों का प्रचार–प्रसार।
-

कृत्य एवं कर्तव्य

बोर्ड की नियमावली के अनुरुप *'उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड'* के निम्न उद्देश्य है :–

1. पशुओं के प्रति ूरता के निवारण के लिये प्रवृत विधि का निरन्तर अध्ययन तथा समय–समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधनों पर शासन को परामर्श देना।
2. पशुओं के परिवहन एवं करतब दिखाने एवं बन्दी व्यवस्था में अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण हेतु इस अधिनियम के अध्याधीन नियमों के बनाने में सरकार को परामर्श देना।
3. सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को मानकों के आकार में सुधार के विषय में मन्त्रणा देना जिसमें कर्षण (खींचने वाले) पशुओं पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकें।
4. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को वधशालाओं की रुपरेखा, रखरखाव (Maintenance) अथवा पशुओं के हनन के सम्बन्ध में पशुवध से पूर्व अनवाश्यक शरीरिक एवं मानसिक पीड़ा वा वेदना से बचाव हेतु विधिक प्राविधानों/संशोधनों के क्रम में परामर्श देना।
5. आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा वृद्ध बीमार, विकंलांग अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस द्वारा पशुूरता के प्रकरणों में जब्त किये गये पशुओं हेतु गोसदनों, पशुशरणालयों, पिंजरा पोल, कॉजी हाउस इत्यादि बनाये जाने को प्रोत्साहन।
6. राज्यान्तर्गत कार्य करने वाली पशुकल्याण संस्थाओं को सहयोग, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, दिशा–निर्देशन, सहयोग एवं आर्थिक सहायता।
7. चिकित्सकीय देखभाल तथा सावधानी सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना।
8. पशुओं के साथ सद्व्यवहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना, व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचार पत्रों, चलचित्र प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पँहुचाये जाने के विरुद्ध एवं पशु कल्याण के उत्कर्ष के लिए जनमत बनाने में प्रोत्साहन देना।

उपलब्धियाँ

मा० पशुपालन मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की समीक्षा बैठकों में विभिन्न सम्बन्धित विभागों के शासन/निदेशालय स्तरीय अधिकारियों तथा गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मध्य पशु कल्याण विषयक विभिन्न प्राविधानों/प्रकरणों पर अद्यतन प्रगति समीक्षा, विचार–विमर्श, समन्वयन तथा प्रयास।

➢ *'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960'* की *'धारा–38'* के तहत प्राख्यापित *'पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी का गठन और विनियमन नियम, 2001'* के अनुरुप राज्य के सभी 13 जनपदों में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में *'जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों'* का गठन।

➢ वित्तीय वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण निधि के माध्यम से राज्य के पांच जनपदों की जिला एस०पी०सी०ए० को ` 1.90 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ वित्तीय वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की जिला एस०पी०सी०ए० को ` 2.60 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ पशुओं में आक्सीटोसिन एवं डायक्लोफिनिक दवा का पशुओं पर प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध।

➢ गोवंशीय पशुओं के कल्याण एवं संरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु *'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007'* का प्राविधान। अधिनियम के तहत *'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011'* का एवं *'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015'*एवं *'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, (संशोधन) 2018'* प्राख्यापन।

➢ निराश्रित गोवंशीय पशुओं के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गोसदनों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये राजकीय सहायता अनुदान।

➢ राज्य में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों को राजकीय सहायता अनुदान धनराशि स्वीकृति हेतु विभिन्न प्रयिाओं एवं अनुश्रवण में सहयोग।

➢ उत्तराखण्ड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेन्द्रनगर, आर्म्ड ट्रेनिंग सेन्टर हरिद्वार, पुलिस लाइन देहरादून, पौडी गढ़वाल, पुलिस प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।

➢ मा० कानून मंत्री, भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरुप भा०जी०ज०क० बोर्ड, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वयन से उजाला (उत्तराखण्ड जूडिशिल एण्ड लीगल एकेडमी) में मा० न्यायधीशगणों हेतु पशुकल्याण सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों पर दो दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

➢ पूर्व में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के आलोक में जिला पुलिस–प्रशासन के सहयोग/समन्वयन से पशुबलि कुप्रथा के निवारण हेतु जनचेतना गोष्ठियों का आयोजन।

➢ वित्तीय वर्ष 2012—13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ड्राई डेरी कार्यक्रम अन्तर्गत, निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने वाली मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह 10 गोसदनों को गोशाला निर्माण हेतु ` 68.44 लाख की सहायता।

➢ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ड्राई डेरी कार्यक्रम अन्तर्गत, उरेडा के माध्यम से सात स्थानों पर गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु ` 52.40 लाख की सहायता।

➢ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ड्राई डेरी कार्यक्रम अन्तर्गत, राजकीय जैविक प्रक्षेत्र ढकरानी पर स्थित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्सी में ड्राई डेरी के सुदृढीकरण हेतु ` 17.14 लाख की सहायता।

➢ वित्तीय वर्ष 2012–13 में अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह 18 संस्थाओं को भरण–पोषण मद में `15.00 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ वित्तीय वर्ष 2013–14 में अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह 22 संस्थाओं को भरण–पोषण मद में ` 1600 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ वित्तीय वर्ष 2014–15 में अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह 21 संस्थाओं को भरण–पोषण मद में ` 15.00 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ वित्तीय वर्ष 2015–16 में अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह 24 संस्थाओं को भरण–पोषण मद एवं 6 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को गोशाला निर्माण मद में ` 65.00 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ वित्तीय वर्ष 2016–17 में अलाभकर गोवंश को शरण देने वाली 22 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद एवं तथा 1 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोबर गैस संयंत्र के निर्माण में `32.36 लाख की राजकीय सहायता अनुदान।

➢ वित्तीय वर्ष 2017–18 में 21 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद में `44.72 लाख की राजकीय सहायता तथा 1 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोशाला निर्माण मद में ` 7.64 लाख की राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2018–19 में 22 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद में `124.87 लाख की राजकीय सहायता तथा 10 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोशाला निर्माण मद में ` 72.04 लाख की राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2019–20 में 26 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद में ` 220.00 लाख की राजकीय सहायता एवं 01 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोशाला निर्माण मद में ` 6.55 लाख की राजकीय सहायता तथा पशुलोक परिसर ऋषिकेश को गोशाला निर्माण मद में ` 23.45 लाख राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2020–21 में 30 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद में ` 230.00 लाख की राजकीय सहायता तथा पशुलोक परिसर ऋषिकेश को गोशाला निर्माण मद में ` 20.00 लाख राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2021–22 में 38 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद में ` 183.74 लाख की राजकीय सहायता दी गई एवं पशुलोक परिसर ऋषिकेश को गोशाला निर्माण मद में `28.06 लाख राजकीय सहायता दी गई तथा 05 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोशाला निर्माण मद में ` 38.20 लाख की राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 में 41 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण मद में `10, 11, 85, 3200 लाख की राजकीय सहायता दी गई एवं पशुलोक परिसर ऋषिकेश को भरण पोषण मद में ` 4.10 लाख राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोशाला निर्माण मद में `72.04 लाख की राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10 मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन को गोशाला निर्माण मद में `72.04 लाख की राजकीय सहायता दी गई।

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 से उक्त भरण–पोषण का अनुदान उत्तराखण्ड शासन से जिलाधिकारियों को किये जाने की व्यवस्था प्रावधानित है।

➢ वित्तीय वर्ष 2025–26 से उक्त भरण– पोषण का अनुदान उत्तराखण्ड शासन से जिलाधिकारियों को किये जाने की व्यवस्था प्रावधानित है।

➢

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत वर्तमान समय में मान्यता प्रदत्त गोसदन

भौतिक प्रगति (मार्च, 2026)

उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की सूची

क्र०सं०	जनपद का नाम	गोसदनों के नाम एवं पता	गोवंशीय पशुओं की संख्या
1.	अल्मोड़ा	**श्री लक्ष्मण सिंह कडाकोटी**, ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम पोस्ट तोल्यो (तल्ला सल्ट), जनपद–अल्मोड़ा।	291
2.		**श्री खीमानन्द नैनवाल**, श्री गुरू कृपा गो–सुरक्षा समिति, ग्राम–जैखाल, विकासखण्ड–स्यालदे, जिला अल्मोडा।	106
3.		**श्रीमती यशवन्ती टम्टा** श्री नीम करौरी महाराज मॉ गायत्री ट्रस्ट मासी, जनपद अल्मोडा	63
4.		**श्री दयाकृष्णकाण्डपाल**, गोसेवा न्यास गुरुकुल, ग्राम ज्योली तोक शोले जनपद अल्मोडा।	75
5.		**सुश्री कामिनी कश्यप**, भौमिक पशुसुरक्षा सेवा समिति, खोल्टा जनपद अल्मोडा	44
6.		**श्री हरीश असवाल**, गोग्राम उत्थान ट्रस्ट ग्राम कोटली साजक ग्राम पंचायत थापला तहसील भिकियासैण जनपद अल्मोडा।	40
7.		**श्री दलीप सिंह बंगारी, नारायण गोसेवा समिति बिजराड़(भरसोली) पो0 देघाट वि0ख0 स्याल्दे अल्मोड़ा**	65
8.		**श्री धर्म सिंह, सरवती देवी मैमोरियल ट्रस्ट मासी**	39
9.	नैनीताल	**श्री रामेश्वर दास**, श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्री श्री गौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्दूचौड़, जिला नैनीताल।	1701
10.		**श्री महेश भट्ट**, उत्तराखण्ड जनविकास समिति, बिन्दुखत्ता, जनपद नैनीताल	52
11.		**श्रीमती निकिता सुयाल** ऐजल्स शेल्टर होम फॉर रेस्क्यू एनिमल इन थार्न समिति, देवलचौर बन्दोबस्ती, रामपुर रोड हल्द्वानी जनपद नैनीताल।	65
12.		**श्री भगवान सिंह रौतैला,श्री कृष्ण विश्व मंगल गौ आश्रम धाम, ग्राम रतनपुर बैल पड़ाव तहसील कालाढूंगी नैनीताल।**	194
13.	ऊधमसिंह नगर	**श्री सत्यभूषण सिंघला**, श्री राधेकृष्ण, गौ–सेवा सदन ट्रस्ट, ग्राम–लखनपुर, बेरिया रोड, बाजपुर जिला–ऊ०सि०न०।	1225
14.		**श्री नारद जोशी**, गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रूद्रपुर, तहसील–किच्छा, जिला–ऊ०सि०न०।	481
15.		**श्री शीतल सिंघल** श्री कृष्ण प्रणामी महाराज अग्रसेन गोशाला ट्रस्ट सितारगंज ऊधमसिंहनगर।	496
16.		**श्री राधा बल्लभ गौ सेवा ट्रस्ट, पीपलवाली गली,नेहरू कार्मेट गदरपुर जनपद ऊधमसिंहनगर।**	53
17.	पिथौरागढ़	**श्री गणेश चन्द्र जोशी**, श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मूनाकोट, पिथौरागढ़।	94

18.		मॉ नन्दा देवी गोसेवा संरक्षण केन्द्र डाडाधार पापडी मुनस्यारी पिथौरागढ़	84
19.	चम्पावत	**श्री शंकर दत्त पाण्डे**, मॉ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, पो धेनीशिलिंग, चम्पावत।	300
20.		**श्री ओम प्रकाश जोशी** गर्ग ऋषि गोसेवा समिति, ग्राम किमाड पो० रीठाखाल विकासखण्ड पाटी जनपद चम्पावत।	194
21.		**श्री धर्मानन्द पाण्डेय** श्री नित्य आश्रम गोसेवा समिति कालाझाला टनकपुर चम्पावत।	228
22.		**श्री भुवन चन्द्र,** मां पूर्णागिरी गौसेवा समिति ग्राम गरसाडी तहसली पाटी रेंज देवीधुरा जनपद चम्पावत।	87
23.		**श्री कृष्णानन्द शर्मा,** भारद्वाज गोसेवा समिति, ग्राम जमाड थापलागूंठ, पो०ओ० रज्यूडा जैंती, चम्पावत	97
24.	बागेश्वर	कत्यूर गोसेवा समिति गोलोकधाम निकट चक्रवत्तेश्वर मन्दिर गरुड बैजनाथ	140
25.		**श्री अनिल पाण्डेय** श्री राम गोशाला दुगनाकुरी ग्राम धामी हथरसिया जनपद बागेश्वर।	105
26.		**श्री गोपाल दत्त काण्डपाल** श्री नन्दगोपालकृष्णा गोशाला न्यास ग्राम मनकोट पो० उरेडा तहसली एवं जनपद बागेश्वर	56
27.		**आचार्य पं०महेशचन्द्र भट्ट स्व०श्री अम्बादत्त जन विकास समिति खौलसीर**	46
28.	चमोली	**श्री अनिल नेगी,** कृष्णा गोसेवा समिति, निकट केशवाज स्कूल गौचर जनपद चमोली।	130
29.		**श्रीमती अंजली** मॉ चण्डिका कर्मस्थल सेवा समिति, सिमली कर्णप्रयाग, चमोली गढ़वाल	39
30.		**श्री भागचन्द आगरी,** श्री नन्दादेवी कामधेनू गोशाला एवं गोरक्षा समिति, झिझौंणी नारायणबगड़, जनपद चमोली	75
31.		**श्री योगेन्द्र सिंह बर्त्वाल** राजपूत समाज सभा अनुबन्धित गोसदन नियर पी0जी0 कालेज गोपेश्वर चमोली गढ़वाल	51
32.		श्री ऐश्वरनाथ श्री उमा महेश्वर आश्रम ट्रस्ट, बद्रीनार्थ मार्ग वार्ड नं०–3 कर्णप्रयाग चमोली गढ़वाल।	38
33.	टिहरी गढ़वाल	**श्री गिरजा शंकर,** उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन, गो–तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	72
34.		**श्री दीपक कुमार,** अरण्यक जनसेवा संस्था, शान्ता आश्रम, नियर शान्ता नदी देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।	63
35.		**श्री कुलानन्द स्वरुप बह्मचारी**, श्री सेमनागराजा सेवा आश्रम, सदड़गांव, जनपद टिहरी।	63
36.		**श्री विनोद प्रसाद जोशी,** स्वधर्म गो गोपाल सेवाश्रम सोसाइटी, गनगर सिलासेरा, पो० सिल्यारा (चमियाला) तहसील घनसाली, टिहरी ।	285
37.		**श्री किशन सिंह रावत,** हरे कृष्णा गौधाम गौसेवा आश्रम समिति चानी बासर, जनपद टिहरी गढ़वाल	71
38.		**श्री देव सिंह**	74

		जीव सेवा समिति, दुकान नं०10 महानन्दा काम्पलेक्स तपोवन, टिहरी गढ़वाल	
39.		**श्री रामकिशोर दास,** श्री राम गोसदन ट्रस्ट ग्राम कोटी महरोकी विकासखण्ड थौलधार टिहरी गढ़वाल	125
40.	उत्तरकाशी	**श्री रामकिशोर दास,** अखिल भारतीय श्री हनुमान गो–सेवा ट्रस्ट ग्राम–हिटारा, बड़ेती, बिष्ट पट्टी, चिन्यालीसौण	257
41.		**श्री राजेन्द्र सेमवाल,** अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान बडकोट जनपद उत्तरकाशी।	46
42.		**श्रीमती ज्योति रमोला,** अध्यक्ष, देवांश गौग्राम सेवा ट्रस्ट, विकासखण्ड डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी।	34
43.		**श्री सरवीर चन्द रमोला, श्री इन्द्र कृपा ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट कल्याण पट्टी भएडारस्यूँ तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी**	52
44.	देहरादून	**श्री सीताराम चौहान,** महासू गोसेवा सहयोग समिति, देहरादून।	317
45.		**श्री अमितानन्द महाराज,** हरि ओम आश्रम कड़वा पानी न्यास ग्राम–भुडडी डाकघर–कारबारी शिमला बाईपास रोड़, देहरादून।	38
46.		**श्रीमती जगजोत कौर,** दून एनिमलवेलफेयर ट्रस्ट ग्राम हसनपुर शिमला बाईपास रोड, जनपद देहरादून	1138
47.		**श्रीमती सविता देवी** शाकुम्बरी गोरक्षा सेवा समिति, हडोवाला पो०ओ० अशोक आश्रम विकासनगर देहरादून।	23
48.		**श्री अश्वनी कुमार अरोडा**दून एनिमलवैलफेयर फाउडेशन सभावाला देहरादून।	0
49.		**श्री मुकुल पंवार** हरि ओम आश्रम तिमली, ग्राम चिड़िभेल्ली पो०ओ० तिमली विकासनगर देहरादून।	661
50.		**स्वामी अमितानन्दजी** शिव ओम आश्रम गोसेवा सदन, शीशमबाडा तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून	225
51.		**श्री अश्वनी पाण्डेय** मां रुकमणी सेवा संस्थान, गोशाला सौड़ा सरौली, थानो रोड़ रायपुर जनपद देहरादून	134
52.		**कुमारी कल्पना बिष्ट** आशा मैमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी बडोवाला दूधली विकासखण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून	118
53.	पौडी गढ़वाल	**श्री रणूलाल,** पर्वतीय गोरक्षा गोसेवा समिति, थलीसैण, पौडी गढ़वाल।	96
54.		**श्री अरुण नौटियाल,** गोवर्धन, गो–तीर्थाश्रम, ग्राम–गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, जिला पौड़ी गढ़वाल।	160
55.		**श्रीमती सुषमा जखमोला,** आकृति प्राणि सेवा संस्था, ग्राम मानपुर, कोटद्वार, जनपद पौडी	272
56.		**श्री अमित सिह,** उपकार सेवा समिति, ग्राम राईसेरा पो० ढौटियालविकासखण्ड जयहरीखाल तहसील लैन्सडॉन पौडी	49
57.		**श्री माधव सिंह भण्डारी**गोवंश संरक्षण उत्थान समिति ग्राम मेलधार चौखाल वि०ख०वीरोंखाल पौडी गढवाल।	28
58.		**श्री गोपालकृष्ण अग्रवाल,** श्री गोपाल गोलोक सेवा संस्थान निकट शनिदेव मन्दिर गोडीघाटकोटद्वार जनपद पौडी।	99
59.		**श्री गणेश चन्द्र शर्मा,** गोरक्षा सेवा समिति खैड़, ग्राम खैड़, मनकोट पो०ओ० बरसू, जनपद पौडी गढ़वाल।	252
60.		**श्री धर्मयादव, सर्वम सेवा संस्थानम्**	71

		64 ऋषिकेश कालोनी ऋषिकेशविकासखण्ड यमकेश्वर जनपद पौडी।	
61.		**श्री सी०पी० बंगवाडी**, गुरुदेव फाउन्डेशन सोसाइटी, ग्राम खाडीगांव, पट्टी इण्डवालस्यू पौडी गढ़वाल।	105
62.		**श्री गिरीश चन्द्र कण्डवाल**, डाडामण्डल क्राफ्ट एशोसिएशन, ग्राम व पो० किमसार पौडी गढ़वाल।	124
63.		**श्री दयाल सिंह कोली** बीना फाउडेशन ट्रस्ट, ग्राम नौली पो० जखेटी पट्टी कपोलस्यू जनपद पौडी गढ़वाल	177
64.		**श्री गुरुचरण मिश्र**, उत्तरांचल तीर्थ विकास परिषद, डालमिया कोठी स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, जनपद पौडी गढ़वाल	182
65.		**श्री रामकृष्ण पोखरियाल**, पारम्परिक वैद्य समिति, लेन नं०–4 बिहान्डि सी०ओ० आफिस भकतियाना श्रीनगर जनपद पौडी गढ़वाल	46
66.		**श्री सुमित मंमगाई** सदानन्द गोरक्षा सेवा ट्रस्ट, ग्राम जखोला पो० थलीसैण, पौडी गढ़वाल।	61
67.		**श्री सुधीर प्रधान**, डिवाइन योगा लाइफ, ओंकारानन्द सत्यनारायण मंदिर लक्ष्मणझूला, जिला– पौड़ी गढ़वाल	98
68.		**श्री राजेन्द्र प्रसार बिजल्वाण** बैजवाणगांव विकास समिति, ग्राम बैजणगांव, पो० ओ०घिण्ड़वाडा, विकासखण्ड कोट, पौडी गढ़वाल	54
69.		श्री गोधाम महातीर्थ लोक पुण्यर्थन्यास,पथमेडा नगर निगम कोटद्वार	189
70.		श्री रोहित कुमार हिमसुत गोसवा सदन एवं सामाजिक सेवा समिति,ग्राम गौली पो०पोखरी पिकासखण्ड खिसू पौड़ी।	27
71.		श्रीमती सविता राणा, मॉ ज्वाल्पा देवभमि सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति,चकतुनवाला रायपुर देहरादनू द्वारा संचालित हिरांश गोधाम ग्राम डांग पैडुल जनपद पौड़ी गढ़वाल।	72
72.		श्री देवेन्द्र, अध्यक्ष, श्री राधे गौसेवा ट्रस्ट,ग्राम चौंरा मल्ला,पो,ओ० ०मटियालना विकास खण्ड एकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल	62
73.		श्री दीपचन्द डबराल,स्व जगदीश प्रसाद,गौ संरक्षण एवं सेवा समिति,ग्राम पदमपुर मोटाढाक तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल।	38
74.	हरिद्वार	**श्री धर्मवीर सिंह** भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, ग्राम झीवरहेड़ी, पोस्ट खेड़ी शिकोहपुर जिला–हरिद्वार।	157
75.		**श्री विरेन्द्र कुमार गर्ग**, गौशाला सभा रूड़की, चाव मण्डी, रूड़की जिला–हरिद्वार।	399
76.		**स्वामी ईश्वरदास जी**, श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति, डा० गंगा चन्दोला, श्री भागीरथी धाम आश्रम, नर्मदा विहार, ग्राम पो० हरिपुर कला द्वारा रायवाला जिला–देहरादून।	2130
77.		**श्री अश्वनी कुमार** श्री गोपीनाथ जी गौषाला समिति, ग्राम कालूबांस पो० मानूबास जनपद हरिद्वार।	157
78.		**श्री रामनिवास चौहान**, शिमला देवी गोसेवा धाम ट्रस्ट, ग्राम रायपुर रामगढ़ी पो० भीकमपुर जीतपुर लक्सर जनपद हरिद्वार।	168

79.		श्री बलराम आर्यवृत गोरक्षा शाला ट्रस्ट निकट एंकरहेल्ट एवंब्यूटीकेयर प्राइवेट लिमिटेड धनपुरा जनपद हरिद्वार।	194
80.		श्री सतेन्द्र, मॉ मनसा गोशाला ट्रस्ट, ग्राम व पोस्ट निरजंपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।	81
81.	रुद्रप्रयाग	श्री विमल सिंह, गौरक्षा विभाग ट्रस्ट, वार्ड नं०– 2, नया बस अड्डा तहसील रुद्रप्रयाग।	50
कुल योग			15980

उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुबन्धित गोसदनों की सूची

क्र० सं०	जनपद का नाम	गोसदनों के नाम एवं पता	गोवंश की औसत संख्या
1.	नैनीताल	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्री श्री गौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्दूचौड़ का अनुबन्ध ग्राम गंगापुर कब्डाल लालकुआ	462
2.		ऐजल्स शेल्टर होम फॉर रेस्क्यू एनिमल इन थार्न समिति, देवलचौर बन्दोबस्ती, रामपुर रोड ग्राम राजपुरा हल्द्वानी	274
3.	ऊधमसिंह नगर	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्री श्री गौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, ग्राम हल्दूघेरा तहसील खटीमा	164
4.		श्री राधेकृष्ण, गौ–सेवा सदन ट्रस्ट गुलजारपुर बाजपुर ऊधमसिंहनगर	27
5.	टिहरी गढ़वाल	नगर पालिका परिषद नई टिहरी हरि ओम आश्रम	28
6.		नगर पालिका परिषद कीर्तिनगर अरण्यक गोसेवा	85
7.	देहरादून	शंकरपुर सेलाकुई देहरादून	335
8.		केदारपुरम कांजी हाउस देहरादून	201
9.	उत्तरकाशी	अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान बड़कोट (भाटिया) विकासखण्ड नौगांव उत्तरकाशी	27
10.		अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान पुरोला विकासखण्ड पुरोला उत्तरकाशी	33
11.		अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान बाडाहाट उत्तरकाशी	35
12.		अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान नौगावं उत्तरकाशी	37
13.	पौड़ी गढ़वाल	नगर निगम श्रीनगर	50
14.		नगर पंचायत सतपुली	31
15.		नगर निगम पौड़ी	25
16.	रूद्रप्रयाग	विकस खण्ड अगस्तमुनि वार्ड नं 7 सिल्ला सेरा	53
17.		वार्ड नं० 7 रैतोली	32
18.		नगर पालिका रूद्रप्रयाग वार्ड नं 7 भणाधार (गौरक्षा विभाग ट्रस्ट)	30
19.	बागेश्वर	ग्राम मनकोट बागेश्वर (श्री नन्दगोपालकृष्ण गोशाला)	45
योग			2179

संख्या 43 / XV-1/24/44570

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल / उत्तराकाशी / अल्मोड़ा /
नैनीताल / पिथौरागढ़ / चम्पावत।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2025

विषय– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम्य गोसेवक योजना अन्तर्गत ग्राम्य गोसेवक को राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 2930–32 **UVWB(52 TOP)**@2023–24 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्राम्य गोसवेक योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकृत ग्राम्य गोसेवकों को भरण–पोषण मद में रू0 80 / – प्रतिदिन प्रति नर गोवंश की दर से निम्न तालिकानुसार धनराशि निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि। (रू0 में)
पौड़ी गढ़वाल	रू0 1,01,500
उत्तरकाशी	रू0 5,40,290
अल्मोड़ा	रू0 8,45,550
नैनीताल	रू0 3,66,740
पिथौरागढ़	रू0 2,22,700
चम्पावत	रू0 60,400
कुल	**रू0 21,37,180 (रू0 एकीस लाख सैंतीस हजार एक सौ अस्सी मात्र)**

1. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नही ंकी जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबध प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
5. बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके

नूमना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

6. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाए एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
7. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण **(Doubling)** पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
8. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वार निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित गोसेवकों द्वारा निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
9. पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाले गोसेवकों का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं योजना के समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकि औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
12. सचिव, पशुकल्याण बोर्ड गोसेवकों के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–25–ग्राम्य गो सेवक योजना–42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/**XXVII(1)**/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

4. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त धनराशि को आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से अवमुक्त किये जाने हेतु तत्काल निदेशक, कोषागार से समन्वय स्थापित करते हुए मैपिंग करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या 43 (1)/XV-1/23/44570 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या 1861 / XV-1/24/1(8)22/3 2017

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 नवम्बर, 2024

विषय– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को द्वितीय किश्त के रूप में राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 2614–16 न्टॅठ;52 ज्व्व्द्ध/2023–24 दिनांक 06 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गौ सदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय में अवशेष कुल धनराशि **रू0 14,57,96,000 (रू0 चौदह करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)** एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0 **5,00,00,000 (रू0 पांच करोड़)** अर्थात कुल उपलब्ध बजट **रू0 19,57,96,000 (रू0 उन्नीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)** का राजकीय अनुदान मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को रू0 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण मद में निम्न तालिकानुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि (रू0 में)
देहरादून	3,25,93,165.00
हरिद्वार	4,31,55,840.00
पौड़ी	1,88,40,640.00
टिहरी	80,14,000.00
उत्तरकाशी	49,14,080.00
चमोली	23,00,480.00
अल्मोड़ा	37,77,280.00
नैनीताल	3,48,25,360.00
बागेश्वर	22,27,680.00
पिथौरागढ़	21,11,200.00
चम्पावत	82,70,080.00
ऊधमसिंहनगर	3,47,66,195.00
1 कुल	19,57,96,000.00 (रू0 उन्नीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)

1. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नही की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबध प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
5. बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नूमना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।
6. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाए एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
7. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण **(Doubling)** पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
8. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वार निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित गोसेवकों द्वारा निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
9. पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिचिश्त करेगी।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं योजना के समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकि औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
12. सचिव, पशुकल्याण बोर्ड गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्ष्ता में गठित समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गोसदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/**XXVII(1)**/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या 43 (1)/XV-1/24/44570 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करम राम)
अनु सचिव

संख्या 886 / XV-1/24/1(8)22/3 2017

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 20 जून, 2024

विषय– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को प्रथम किश्त के रूप में राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 780–83 **न्टॅठ;52 ज्व्द्द** / 2024–25 दिनांक 10 जून, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गौ सदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय में प्राविधान कुल धनराशि **रू0 29,57,96,000 (रू0 उनतीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)** के सापेक्ष **रू0 15,00,00,000 (रू0 पन्द्रह करोड़)** तथा लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–23–गो संरक्षण को बढ़ावा (आबकारी सेस)–42–अन्य विभागीय व्यय में प्राविधान कुल धनराशि **रू0 8,00,00,000 (रू0 आठ करोड़)** अर्थात कुल उपलब्ध बजट **रू0 23,00,00,000 (रू0 उन्नीस करोड़ मात्र)** का राजकीय अनुदान मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को रू0 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण मद में निम्न तालिकानुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	उपलब्ध बजट के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि। (रू0 में)
देहरादून	रू0 5,37,07,555
हरिद्वार	रू0 4,33,92,960
पौड़ी	रू0 1,89,44,160
टिहरी	रू0 55,92,480
उत्तरकाशी	रू0 37,77,120
रूद्रप्रयाग	रू0 18,30,000
चमोली	रू0 23,13,120
अल्मोड़ा	रू0 68,51,520
नैनीताल	रू0 2,82,99,120
बागेश्वर	रू0 22,39,920
पिथौरागढ़	रू0 21,22,800
चम्पावत	रू0 84,61,920
ऊधमसिंहनगर	रू0 5,24,67,325
कुल	रू0 23,0000000 (रू0 उन्नीस करोड़ सतावन लाख छियानवे हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि गोवंश के भरण–पोषण हेतु शासनादेश संख्या–**759/XV-1/1(3)/2008** दिनांक 16.12.2008 एवं शासनादेश संख्या–1063/**XV-1/16/1(3)/2008** दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप स्वीकृत की जायेगी।
2. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नही ंकी जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
5. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबध प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
6. बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नूमना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।
7. प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाए एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
8. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण **(Doubling)** पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
9. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वार निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित गोसेवकों द्वारा निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
10. पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिचिश्त करेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
12. उक्त धनराशि का व्यय अधिसूचना संख्या **67/XV-1/23/7(14)22/36254** दिनांक 16.01.2024 एवं शासनादेश संख्याः **170840/XV-1/23/7(14)22/36254** दिनांक 24.11.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
13. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकि औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. उक्त धनराशि का व्यय निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन सम्बन्धी शासनादेश संख्याः **36254 /XV-1/23/7(14)22** दिनांक 26.06.2023 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
15. सचिव, पशुकल्याण बोर्ड गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्ष्ता में गठित समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2\. उक्त धनराशि में से रू0 8,00,00,000/– (रू0 आठ करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–23–गो संरक्षण को बढावा (आबकारी सेस)–42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू0 15,00,00,000/– (रू0 पन्द्रह करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गोसदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/**XXVII(1)/2024** दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं सचिव महोदय से प्राप्त आदेश के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या 886(1)/**XV-1/23/1(8)22** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–1
ई संख्या–194345/XV-I/24/67779
देहरादून : दिनांक 29 फरवरी, 2024

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2024 को जिला/राज्य सेक्टर में संचालित अवस्थापना परियोजनाओं हेतु "Funding for faster Implementation of important projects including Link Projects" कार्यक्रम के अन्तर्गत नए प्रस्तावों पर अनुमोदन के सम्बन्ध में आहूत बैठक के कार्यवृत्त संख्याः 55/759/विविध पत्राचार/रा०यो०आ०/2021–22 दिनांक 12 जनवरी, 2024 के क्र०सं०–7 पर पशुपालन विभाग/जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा जनपद चम्पावत एवं उक्त कार्यवृत्त के क्रम संख्या –17 पर विभिन्न 07 अन्य जनपदों में गेसदनों की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किये गये आंगणन/प्रस्तावों के अनुसार कुल आंकलित धनराशि रू० 4006.05 लाख में से मिसिंग लिंक फण्ड से रू० 10.00 करोड़ की धनराशि दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा शेष राशि को वर्ष 2024–25 की विभागीय बजट से अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. उल्लेखित है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2024 को आहूत बैठक (कार्यवृत्त संलग्न) में यह निर्णय लिया गया कि नगरीय परिधि से बाहर गोसदनों हेतु आवश्यक अनुदान/सुविधा निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पशुपालन विभाग द्वारा **Facilitator** के रूप जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कुल 24 गोसदनों के निर्माण कार्य को पी०एम० गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करते हुए मिसिंग लिंक फण्ड से रू० 10 करोड़ का बजट प्राविधान किये जाने की कार्यवाही की गयी। अब उक्त गोसदनों का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है। पशुकल्याण बोर्ड द्वारा उक्त गोसदनों के निर्माण हेतु निम्नवत् विवरण उपलब्ध कराया गया:–

ज्नपद – अल्मोड़ा

1. (नवीन गोसदन निर्माण हेतु)

क्र.स.	चिन्हित भूमि का स्थान	Missing Link Fund से अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	तहसील – रानीखेत, वि0ख0–द्वाराहाट, ग्राम–ऐना, रा0उ0नि0 क्षेत्र कुवांली में 0.600 हेक्टेयर भूमि	36.87
2	तहसली–अल्मोड़ा, वि0ख0–भैसियाछाना, ग्राम–डालाकोट, रा0उ0नि0 क्षेत्र पेटशाल में 0.208 हेक्टेयर श्रेणी 9(3) ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि।	65.06
3	तहसली–भिकियासैण, वि0ख0–भिकियासैण, ग्राम–रिखाड, रा0उ0नि0 क्षेत्र मानिला में 0.274 हेक्टेयर श्रेणी 9(3) ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि।	35.05
4	तहसील–सोमेश्वर, वि0ख0–ताकुला, ग्राम–ककराड़, रा0उ0नि0	34.70

	क्षेत्र टाना सजोली में 0.08 हेक्टेयर श्रेणी 9(3) ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि।	
5	राजकीय चारा प्रक्षेत्र, भैसवाड़ा, अल्मोड़ा	36.60

2. (वर्तमान में संचालित गोसदनों की क्षमता वृद्धि हेतु)

क्र.स.	गोसदनों का नाम	36.87
1	श्री गुरूकृपा गौ सुरक्षा समीति कसाणीखेत, जैखाल, देघाट	20.32
2	ग्राम्य समाज कल्याण समिति तोल्यो, सल्ट	26.75
3	श्री नीम करौली महाराज मॉ गायत्री ट्रस्ट मांसी	15.45
4	गो सेवा न्यास गुरूकुल शोले, कटारमल, ज्योली	26.74

जनपद – बागेश्वर

क्र.स.	प्रस्तावित गोसदनों का नाम	
1	ग्रा0 मनकोट वि0ख0 बागेश्वर में नवीन गोसदन की स्थापना	17.09 (रू0 20.41 लाख पशुपालन विभाग के राज्य सेक्टर के बजट से अवमुक्त किया जा रहा)
2	ग्रा0 जैंसर वि0ख0 गरूड़ में नवीन गोसदन की स्थापना	14.63

जनपद – देहरादून

क्र.स.	प्रस्तावित गोसदनों का नाम	
1	चकराता क्वासी (जोगियो)	21.23
2	डोईवाला	122.26

जनपद – नैनीताल

क्र.स.	प्रस्तावित गोसदनों का नाम	
1	आनन्द नगर (रामनगर)	141.84
2	श्री नित्यानंद पाद आश्रम गौशाला हल्दूचौड	45.35

जनपद – टिहरी गढ़वाल

क्र.स.	स्थानीय निकायों द्वारा निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु प्रस्तावित गोसदन	
1	नगर पालिका परिषद चम्बा	9.17
2	नगर पंचायत लम्बगॉव	11.89

जनपद – उत्तरकाशी

क्र.स.	प्रस्तावित गोसदनों का नाम	
1	फोल्ड (डुण्डा)	27.65
2	जमक (भटवाडी)	27.65
3	बंगोडी (चिन्यालीसौड़)	27.45

जनपद – चम्पावत

क्र.स.	प्रस्तावित गोसदनों का नाम	

1	गर्ग ऋषि सेवा, किमाड गागर (रीठाखाल)	56.43
2	मॉ पूर्णागिरि गौशाला, गरसाडी	52.80
3	ग्राम पंचायत मड विकास खण्ड लोहाघाट में गौसदन केन्द्र का निर्माण।	1802

जनपद – ऊधमसिंहनगर।

क्र.स.	प्रस्तावित गोसदनों का नाम	
1	ग्राम दिया झनकट–खटीमा	79.15 (रू0 1 करोड़ पशुपालन विभाग के राज्य सेक्टर के बजट से अवमुक्त किया जा रहा)

2. उक्त गोसदनों का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत संबंधित जनपदों के जिला पंचायत द्वारा किया जाना है। अतः उक्त गोसदनों के निर्माण हेतु मिसिंग लिंक फण्ड से आवंटित धनराशि रू0 10 करोड़ का उपयोग करते हुए कृपया उक्त गोसदनों का निर्माण कार्य करने का कष्ट करें।

(डा0 बी0वी0 आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

संख्या 194345 / ग्ट.ध्24ध्67779 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त गोसदनों के निर्माण हेतु मिसिंग हेत मिसिंग लिंक फण्ड से अनुमोदित धनराशि रू0 10 करोड को पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे शीर्ष प्राथमिकता पर उक्त गोसदनों के निर्माण कार्य की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या–284499 / IV-(2)-1 / श०वि०.2025–16(सा०)23 (56690)

प्रेषक,

गौरव कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 21 मार्च, 2025।**

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में निराश्रित गौवंश के संचालन हेतु आय–व्ययक में उपलब्ध धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक–3502–04 UAWB(52 TOP)/2024–25 दिनांक 10.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नवत् गौसदनों में शरणागत गौवंशीय पशुओं हेतु रू0 1,39,92,160/– का अनुदान स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है :–

क्र. स.	गौसदन का नाम	गौवंशीय औसत संख्या	राजकीय अनुदान (द्वितीय किश्त)
1.	हरिओम आश्रम ग्राम भुडडी, शिमला, बाईपास रोड़, देहरूदन	387	56,34,720
2.	हरिओम आश्रम तिमली ग्राम चिडिभेल्ली विकासनगर, शिमला,देहरादून	574	83,57,440
योग–		**961**	**1,39,92,160**

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहनें का निर्देश हुआ कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में निराश्रित गोवंश के संचालन हेतु आय–व्ययक में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0 **1,39,92,160 (रू0 एक करोड़ उनचालीस लाख बयानवे हजार एक सौ साठ मात्र)** की धनराशि को स्वीकृत करते हुए उक्त धनराशि व्यय हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदार करते है।

1. उक्त धनराशि रू0 **1,39,92,160 (रू0 एक करोड़ उनचालीस लाख बयानवे हजार एक सौ साठ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, देहरादून को यथा व्यवस्था इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगी कि उक्त के फलस्वरूप सुसंगत मद से कराये जाने वाले अन्य कार्य/देयता प्रभावित न हो एवं जिस **Account** में धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह **State SNA Account** हो।
3. गौवंशीय पशुओं हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि मात्र जिलाधिकारी, देहरादून को हस्तान्तरित की जा रही है, जबकि निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक–3502–04 UAWB(52 TOP)/2024–25 दिनांक 10.02.2025 के क्रम में प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को हस्तान्तरित की गयी धनराशि के सापेक्ष उक्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के स्तर से प्रदान की जायेगी।
4. उक्त धनराशि वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

5. धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता/व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये समस्त शासनादेशों के पूर्णयता अनुपालन किया जाए।
6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 201358/09(150)2019/XxVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–0331–निराश्रित पशुओं हेतु आश्रय–56–सहायक अनुदान (सहायक गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
4. उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XxVII(1)/2024 दिनांक 22.03. 2024 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. महालेखाकार,(आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या–286812/IV-(2)-/श०वि०.2025–16(सा०)(53924)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 27 मार्च, 2025।**

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में निराश्रित गौवंश के संचालन हेतु आय–व्ययक में उपलब्ध धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासन के पत्र संख्या 284499 दिनांक 21.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक–3502–04 UAWB(52 TOP)/2024–25 दिनांक 10. 02.2025 के क्रम में निम्नवत् गौसदनों में शरणागत गौवंशीय पशुओं हेतु रू0 **1,39,92,160**/– की धनराशि अवमुक्त की गयी थी:–

क्र. स.	गौसदन का नाम	गौवंशीय औसत संख्या	राजकीय अनुदान (द्वितीय किश्त)
1.	हरिओम आश्रम ग्राम भुडडी, शिमला, बाईपास रोड़, देहरूदन	387	56,34,720
2.	हरिओम आश्रम तिमली ग्राम चिडिभेल्ली विकासनगर, शिमला,देहरादून	574	83,57,440
योग–		**961**	**1,39,92,160**

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहनें का निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 21.03.2025 के प्रस्तर–2(2) में निम्नवत् संशोधन किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

प्रस्तर	वर्तमान व्यंवस्था	संशोधित व्यवस्था
2(2)	यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त के फलस्वरूप सुसंगत मद से कराये जाने वाले अन्य कार्य/देयता प्रभावित न हो एवं जिस **Account** में धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह **State SNA Account** हो।	यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त के फलस्वरूप सुसंगत मद से कराये जाने वाले अन्य कार्य/देयता प्रभावित न होएवं उक्त धनराशि जिलाधिकारी/मुख्या विकास अधिकारी,देहरादून के पी०एल०ए० खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

3– पशुपालन निदेशालय/पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त के फलस्वरूप सुसंगत मद से कराये जाने वाले अन्य कार्य/देयता प्रभावित न हो एवं अवमुक्त की रही धनराशि अनुश्रवण किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4– पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक संख्या–**284499 दिनांक 2103.2025** में उल्लिखित शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,(आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. अनुभाग अधिकारी, पशुपालन अनुभाग–2, उत्तरखण्ड शासन।
9. गाई फाईल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

ई पत्र संख्या–217923 /ग्ट.1154;12द्ध22631871

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 जून, 2024

विषय– श्री केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 483 **ukd.AWB(1518)**/2024–25 दिनांक 07.05.2024 के क्रम में श्री केदारनाथ एवं हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 775/**XV-1/23/4(12)22** दिनांक 01.05.2023 एवं शासनादेश संख्याः 213899 **XV-1/24/4(12)22/31871** दिनांक 28.05.2024 को अवक्रमिक करते हुए श्री केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं यमुनात्री यात्रा मार्ग पर अश्वंशीय पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता हैः–

- मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा की गयी यात्रा मार्ग की जांच के अनुरूप केदारनाथ यात्रा मार्ग पर (19 किमी की दूरी) पशु हानि की आशंका के निवारण हेतु अधिकतम 5000 अश्ववंशीय पशु (जिमें से 4000 यात्रियों हेतु एवं 1000 समान ढुलान हेतु –आना एवं जाना) एवं श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रामार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि0मी0 की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) एवं मा० एन0जी0टी0 में योजित **Execution Application No. 27/2023 O.A No 561/2022 (M.A No 54) Urvashi Shobhna kachari Vs Union of India & Others** के क्रम में यमुनात्री यात्रा मार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 8.5 कि०मी० की दूरी हेतु 595 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित की जाती है।
- यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाये जाने वाले समस्त अवश्वंशीय पशुओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा नामित पशुचिकित्सक द्वारा किया जायेगा। पशु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के पहचान चिन्हीकरण हेतु पशु के कान में टैग अथवा जैसा भी जिला प्रशासन द्वारा निहित किया जाए। जिला पंचायत द्वारा अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण कराया जायेगा। जिसका समस्त रिकार्ड समुचित माध्यम से यात्रा ट्रैक पर उपरस्थित समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु का ग्लैण्डर टेस्ट परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। ग्लैण्डर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के उपरान्त ही पशु का पंजीकरण वैध माना जायेगा।
- यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशु को साफ एवं गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जायेगा व पशु स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर चारे व इलैक्टोलाइट पिलाने की व्यवस्था रखी जायेगी। जिससे अधिक चढ़ाई वाले स्थानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाया जा सकेगा।
- अश्ववंशीय पशुओं के ऊपर प्रयोग में लाये जाने वाली काठी हल्की एवं काठी के नीचे एक मोटे कम्बल का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, जिससे पशु के शरीर पर काठी से घाव न बन पाये। यात्रा प्रारम्भ से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय काठी उतारकर पशु स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाए कि पशु के शरीर पर काई घाव न हो, वह लंगडाकर न चल रहा हो व अस्वस्थ्य प्रतीत न हो रहा हो।
- यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा यात्रा के दौरान एक अश्ववंशीय पशु को प्रतिदिन एक ही टोकन निर्गत किया जायेगा जो कि पूर्ण एक चक्कर (आना एवं जाना) हेतु मान्य होगा।

- यात्रा के दौरान अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पशुस्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त यदि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दोषी पाए जाते है तो उनका लाइसेंस, लाइसेंस निर्गत करने वाली संस्था के माध्यम से रद्द करने की संस्तुति की जायेगी। ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाय।
- यदि किसी लाइसेंसधारी पर पशु लाइसेंस पर पशु क्ररता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस मुकदमे की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मुकदमे के निपटारे पर यदि लाइसेंसधारी बरी हो जाता है, तो उसके अश्ववंशीय पशुओं का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के उपरान्त यात्रा मार्ग पर प्रयोग न लाया जा सकेगा।
- इस नीति के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों की सूची टोकन देने वाली ऐजन्सी के माध्यम से पुलिस विभाग, सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, **Mule Task Force** जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- टोकन प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी और व अन्य सभी सम्बन्धित यह सुनिश्चित करेगे कि इस नीति के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट में डाला गया कोई भी व्यक्ति यात्रा मार्ग पर घोड़े न चला रहा हो।
- यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जाए जिससे की पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सके।
- यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्वंवशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि, पशुओं हेतु कुछ–कुछ दूरी पर अस्थायी शेडशैल्टर की उचिव व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पशुओं को पानी पिघाले के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा। बारिश ओलावृष्टि, बर्फ गिरने पर अश्ववंशीय पशुओं का संचालन प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यात्रा मार्ग पर वर्षा व ओलावृष्टि होने पर पशुस्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशुओं को शेड में रोककर खडा किया जायेगा। पशुओं पर किसी भी प्रकार की बाहरी सजावट साज–सज्जा किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
- निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित होगी :–
  - पशु पर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लादना।
  - घायल अथवा बीमार प्रतीत हो रहे पशु से कार्य कराना।
  - पशु के मुहँ के अन्दर नुकीली बीट डालकर चलाना।
  - पशु को यात्रा मार्ग पर तेज गति से दौड़ाना जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा हो।
  - पशु को मारना, पीटना व दागना।
  - बिना टोकन व पंजीकरण के पशु का यात्रा मार्ग पर संचालन।
  - मृत पशु के शरीर को लावारिस छोड़ना।
  - पशु के ईयर टैंग व माइक्रोचिप के साथ छेड़खानी करना।

- अश्ववंशीय पशुओं के मल–मूत्र के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के निदान हेतु समुचित सफाई व्यवस्था की जायें, जिससे यात्रा मार्ग पर हो रही गन्दगी की समस्या का निवारण किया जा सके।
- जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों हेतु पशुओं के कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाऐं/रीतियों अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था–ब्रूक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत पशुचिकित्साविदों के दिशा–निर्देशन में, पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेगे।

- यात्रा में प्रयोग में लाये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं हेतु दाने एवं चारे की व्यवस्था यात्रा मार्ग पर निर्धारित स्थानों पर किया जाना उचित होगा। जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत विक्रेताओं द्वारा यात्रा मार्ग अथवा आस–पास पशुओं हेतु चारा एवं दाना का व्यापार अथवा निःशुल्क वितरण किया जा रहा हो, पशुपालन विभाग को अधिकार होगा कि, वह विक्रय योग्य सामग्री का औचक निरीक्षण/जांच कर सकेंगे और यदि आश्वयकता हो तो नियमानुसार सैम्पलिंग भी कर सकेंगे।
- यात्रा मार्ग पर संचालित पशुचिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु आये समस्त अश्ववंशीय पशुओं हेतु चिकित्सा रजिस्टर अभिलेखीकरण किया जायेगा व चिकित्सा के दौरान आये पशु यदि कार्य करने योग्य नहीं है तो पशुचिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान करने वाली संस्था अथवा कन्ट्रोल रूम को उनके ईयर टेंग नं० से अवगत कराया जायेगा। उन अश्ववंशीय पशुओं को स्वस्थ हो जाने तक यात्रा में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रा मार्गो में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमिता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।
- यात्रा मार्गो के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशुचिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। पशुचिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट कदापि नहीं दी जायेगी।
- यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गो पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।
- यात्रा के दौरान घायल/बीमार हुये अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अस्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है, तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिय जायेगा।
- यात्रा मार्गो पर अश्ववंशीय पशुओं की मृत्यु की दशा में अतिशीघ्रता से मृत अश्ववंशीय पशुओं का शवविच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चिन्हीत भूमि पर शवनिस्तारण किया जाना होगा। मृत अश्ववंशीय पशु के देह को **Body bag** से ढक कर रखा जायेगा।
- यदि प्रारम्भिक नियमित जांच में कोई मादा अश्ववंशीय पशु गर्भवती पायी जाती है तो उसे यात्रा मार्ग पर संचालित न किया जाय।
- यात्रा मार्गो पर टोल फ्री नम्बन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोडने हेतु आश्वयक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

ई संख्याः 217923 /XV-1/24/4(12)22/31871तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
5. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव।

संख्या 138/XV-1/2023/-1(23)/2011

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2023

विषय– ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजक्ट के रूप में क्रियान्वयन किये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड के पत्र संख्या–3630–32/**ukd.AWB(52)**/2022–23 दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तथा पत्रांक 4551–53 **ukd.AWB(52)**/2022–23 दिनांक 10 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु प्रदेश के सभी विकासखण्डों में जहाँ सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें उपलब्ध नहीं है तथा जिन स्थानों पर सरकारी और गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित गो सदन उपलब्ध होने पर भी स्थानाभाव तथा संशाधनों के अभाव में नर गोवंश को शरण दिये जाने की क्षमता का विस्तार सम्भव नहीं हो पा रहा है, उन स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रवासी पशुपालक के माध्यम से ग्रामों में ही नर गोवंश को शरण दिये जाने ग्राम गौ सेवक गो सदन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्ययोजना की संस्तुति निम्नवत् की जाती है:–

i. उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य राज्यमार्गो के निकटवर्ती गांव एवं जहां पर निराश्रित नर गोवंश की संख्या अधिक हो उन गांव में ग्राम्य गोसेवक का चयन किया जाना किया जाये।
ii. ग्राम्य गोसेवकों का चयन – अल्पशिक्षित बेरोजगार हों, पशुपालन का अनुभव रखता हों, गोवंश एवं जीव दया हेतु समर्पित हो तथा ग्रामों में निवास करते हों एवं जिनके पास नर गोवंशीय पशुओं के रख–रखाव हेतु गोशाला उपलब्ध हो, तथा पेयजल के प्रचुर स्त्रोत उपलब्ध हों।
iii. प्रत्येक ग्राम्य गोसेवक पशुपालन द्वारा अधिकारी 05 परित्यक्त नर गोवंशीय पशु को शरण दी जायेगी।
iv. सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, पहचान चिन्हींकरण एवं टैगिंग कराई जायेगी।
v. सम्बन्धित ग्राम्य गोसेवकों को रू० 30/–प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।
vi. इस क्रम में उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण निधि के माध्यम से मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह नर गोवंश का स्थलीय निरीक्षण एवं बिलों के सत्यापन उपरान्त ही ग्राम्य गोसेवक के बिलों का भुगतान ग्राम्य गोसेवक के खाते में किया जायेगा।

<u>ग्राम्य गोसेवक के चयन हेतु कमेटी का गठन –</u> सर्वप्रथम ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम्य गोसवक का चयन किया जायेगा। अतः चयनोपरान्त अनुमोदन हेतु उक्त चयनित गोसेवकों के नाम निम्नवत् गठित कमेठी को अन्तिम चयन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे। सम्बन्धित उपजिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथानिर्देशित संख्या में ग्राम्य गोसेवकों का चयन किया जायेगा। जिसमें चयन कर्ता के रूप में गठित कमेठी निम्नवत् होगीः–

1.	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1	सदस्य सचिव
3.	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	सदस्य

ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजक्ट के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु जनपदीय स्तरीय समिति की अध्यक्षता में नीति निर्धारित कर राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उक्त समिति जनपद स्तरीय ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना हेतु जनपद स्तर पर पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी।
जनपद स्तरीय कमेटी जो ग्राम्य गोसेवक योजना का संचालन एवं निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होगीः–

1.	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4.	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव
5.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

- जिला प्रशासन की अनुशंसा पर, राजकीय पशुचिकित्सालय पर पदस्थापित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, ईयर टैगिंग तथा पहचान चिन्हीकरण के उपरान्त ग्राम्य गोसेवक पशुपालक को अधिकतम 05 परित्यक्त गोवंश आबंटित किया जायेगा। ग्राम्य गोसेवक पशुपालक द्वारा इन परित्यक्त गोवंशीय पशुओं को निकटवर्ती चारागाह में चरान–चुगान किया जायेगा। सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह गोवशं का भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम्य गोसवक पशुपालक को 30/– प्रतिगोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्ययोजना का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अन्य योजनाओं के साथ किसी प्रकार की **Dupicacy/Overlaping** न हो।

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव

संख्याः /**XV-1/2023**तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री को मा०मंजी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमॉऊ, मण्डल पौड़ी।
4. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या 233350/XV-1/24/1(23)11/44570

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 14 अगस्त, 2024

विषय– ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजक्ट के रूप में संचालित किये जाने हेतु पुनरीक्षित कार्य योजना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड के पत्र संख्या–1572–73/ **ukd.AWB(206)**/2024–25 दिनांक 08 अगस्त, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्राम्य गोसेवक गोसदन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने हेतु निर्गन शासनादेश संख्याः **138/XV-1/23/1(23)/11** दिनांक 27.02.2023 को निम्ननानुसार पुनरीक्षित किया जाता है–

- उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य राज्यमार्गो के निकटवर्ती गांव अथवा जहां पर निराश्रित नर गोवंश की संख्या अधिक हो उन गांव में ग्राम्य गोसेवक चयन किया जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवकों का चयन – प्राथमिकता के आधार पर पशुपालन का अनुभव रखता हो, गोवंश एवं जीव दया हेतु समर्पित हो तथा ग्राम में निवास करते हो एवं जिनके पास नर गोवंशीय पशुओं को रखने की व्यवस्था हो।
- आवेदक को सम्बन्धित ग्राम प्रधान से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि वे ग्राम निवासी है तथा उनके पास नर गोवंशीय पशुओं को रखने की व्यवस्था है।
- ग्राम्य गोसेवक का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा। परित्यक्त नर पशुओं की संख्या के आधार पर एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम्य गोसेवकों का चयन किया जा सकेगा।
- ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम्य गोसेवक के चयन उपरान्त निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं के उचिव रख–रखाव करने के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित रु० 100/– के शपथ पत्र चयन समिति को प्रस्तुत करेगा। ग्राम्य गोसेवक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा अनुशंसा कर भेजे गये नर गोंवशीय पशुओं को रखने हेतु बाध्य होगा।
- ग्राम्य गोसेवक गोसदन में नर गोवंशीय पशुओं को रखे जाने की अनुशंसा सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक ग्राम्य गोसेवक द्वारा अधिकतम 05 परित्यक्त (6 माह से अधिक आयु के) नर गोवंशीय पशु को ही शरण दिये जाने हेतु मान्य होंगे।
- प्रत्येक ग्राम्य गोसेवक द्वारा निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं की एक पंजिका बनायी जायेगी जिसमें समस्त नर गोवंशीय पशुओं से सम्बन्धित विवरण अभिलेखबद्ध किया जाना अनिवार्य होगा। जिसका अवलोकन सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचित्सिा अधिकारी अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण पहचान चिन्हीकरण एवं टैगिंग कराया जायेगा एवं टैगिंग किये जाने के उपरानत टैगिंग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। टैगिंग किये गये पशुओं की पंजिका बनायी जायेगी जिसमें पशुओं की उम्र, टैग नम्बर, स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सा टीकाकरण का समय–समय पर विवरण अंकित किया जायेगा। ग्राम गोसेवकों का पशुओं के टैग खो जाने की दशा में रिटैगिंग का विवरण अंकित किया जायेगा। ग्राम गोसेवकों का विवरण/पशुओं का फोटोग्राफ व टैगिंग सहित विवरण तथा डी०बी०टी० के माध्यम से किया गया भुगतान पशुपालन विभाग के सम्बन्धित **Software** पर अपलोड एवं प्रदर्शित किया जायेगा।

- सम्बन्धित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह नर गोवंश की संख्या का सत्यापन के उपरानत भरण पोषण हेतु अनुदान का बिल मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। ग्राम्य गोसेवक के बिलों का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से सीधें ग्राम्य गोसेवक के खाते में किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा–7 एवं धारा–8 के अनुरूप ग्राम्य गोसेवक द्वारा संरक्षित किये गये गोवंशीय पशुओं को यदि छोड़ा जाता है अथवा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ग्राम्य गोसेवक क विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उसकी मान्यता को तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं ग्राम्य गोसेवक का बकाया अनुदान देय नहीं होगा।
- ग्राम्य गोसेवक के द्वारा नर गोवंशीय पशुओं को छोडे जाने की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान/नगरीय निकाय/जिला पंचायत को सूचित करना अनिवार्य होगा। जिसके क्रम में उक्त निराश्रित गोवंशीय पशुओं को सम्बन्धित ग्राम प्रधान/नगर पालिका/जिला पंचायत द्वारा तत्काल किसी अन्य गोसदन अथवा ग्राम्य गोसेवक को स्थानान्तरित किया जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवक के द्वारा नर गोवंशीय पशु की मृत्यु होने की स्थिति में सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा **Post Mortem** होने तक शव को संरक्षित रखा जोयगा।
- ग्राम्य गोसेवक गोसदन को गोशाला निर्माण हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।
- सम्बन्धित ग्राम्य गोसेवकों को रू० 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।
- ग्राम्य गोसेवकों का पंजीकरण, चयन आदि को ऑनलाईन किया जायेगा। गोवश का स्वास्थ्य परीक्षण शैड्यूल, डाईट प्लान आदि का ऑनलाईन किया जायेगा।
- पायलट योजना के रूप में प्रारम्भ की जा रही उक्त योजना का दो वर्ष बाद मूल्यांकन किये जाने के पश्चात ही इसका विस्तार किया जायेगा।

, कृपया उपरोक्तानुसार पुनरीक्षण कार्ययोजना का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्याः 138/**XV-1/23/1(23)11** दिनांक 27.02.2023 को इस सीमा तक पुनरीक्षित समझा जाय।

उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या 233350/**XV-1/2024/1(23)11/44570** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री को मा०मंजी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमॉऊ, मण्डल पौड़ी।
4. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव।

संख्या 775 / XV-1/23/4(12)/22

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 01 मई, 2023

विषय– यात्रा मार्गो पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु **Standard Operating Procedure** के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ई पत्र संख्य 11390 / 2023 / पशुधन–तीन / प0क0बो0शि035(8) / 2023–24 दिनांक 25.04.2023 के क्रम में यात्रा मार्गो पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत~ **Standard Operating Procedure** निर्धारित किया जाता है :–

1. यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000 (पाँच हजार) अश्ववंशीय पशु की क्षमता जिसमें 4000 (चार हजार) यात्रा हेतु एवं 1000 (एक हजार) माल वाहन हेतु निर्धारित किया जाता है। प्रति किलोमीटर (आना–जाना) के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 263 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 19 कि०मी० के यात्रामार्ग हेतु 5000 अश्ववंशीय पशु) एवं हेमकुण्ड यात्रामार्ग में अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेड शैल्टर की उचित व्यवस्था हेतु प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारित क्षमता निर्धारित किया जाता है।
2. यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा। प्रतिदिन एक अश्ववंशीय पशु से एक चक्कर लगाने की अनुमति होगी।
3. यात्रा मार्गो पर अत्याधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि पशुओं हेतु कुछ–कुछ दूरी पर अस्थायी शेड शैल्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पशु को पानी पिलाने के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा।
4. यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गो पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।
5. यात्रा रवीजन से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों द्वारा ळसंदकमत परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट यात्रा से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। ळसंदकमत परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा में सम्मिलित किया जायेगा।
6. पंजीकृत पशुचिकित्सा अधिकारी के द्वारा अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निर्गत किया जायेगा, जिसमें अश्ववंशीय पशुओं के कान पर **Applied Ear Tag** का नम्बर, पशु का साइज, वजन, मुख्यतः दर्शाया जायेगा।
7. कतिपय पशुस्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाने की दशा में रोक लगाये जाने के उपरान्त भी पशुओं को यात्रामार्ग से हटाया नहीं जाता है। इन पशुओं के अतिशोषण के कारण मृत्यु होने पर पशुस्वामियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पशुपालन विभाग एवं अन्य किसी कार्यदायी संस्था के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हेतु नियमित रूप से समन्वयन समीक्षा बैठक आहूत किया जायेगा तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को साफ्टवेयर एक्सेस दिया जायेगा।
8. कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रामार्ग में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आबंटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।

9. यात्रा मार्ग के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शेल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशु चिकित्सालय की स्थापना कि जायेगी। पशु चिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।

10. यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जायेगी जिससे कि पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सकें।

11. जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिको हेतु पशु कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाऐं/रीतियाँ अपनाई जाती है। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉपर्स अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था–ब्रूक्स इण्डिया में सेवारत भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के दिशा–निर्देशन में पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।

12. यात्रा मार्गो पर अत्याधिक कठिन एवं ठण्डे वातावरण में अश्ववंशीय पशुओं की अकाल मृत्यु की दशा में महामारी फैलने तथा जल स्त्रोतों के प्रदूषित होने की आशंका बनी रहती है। 24 घण्टे के भीतर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव निस्तारण से पूर्व शवविच्छेअन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से जमीन के भीतर गहरा गाड़ दिया जाए अथवा शवदाह कर पशु देह का निस्तारण किया जाय। शवविच्छेदन रिपोर्ट में विलम्ब की स्थिति में मृत अश्ववंशीय पशु के देह को ढक कर रखा जाय।

13. यात्रा के दौरान घयाल/बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अस्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14. यदि पशुस्वामी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15. पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता किये जाने अथवा अत्याधिक शोषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला एस०पी०सी०ए० में पदेन सदस्यों के रूप में सम्मिलित विभागों (पशुपालन विभाग, स्थानीय निकाय/जिला पंचायत, वन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस विभाग) के अधिकारियों के प्रतिनिधि कार्मिकों के दल में प्रान्तीय रक्षा दल/होम गार्ड्स के स्टाफ के सहयोग से यात्रा मार्ग में दैनिक रूप से आवंटित अश्वटोकन की जाँच, अश्व संचालक टोकन की जाँच, प्रत्येक पशु द्वारा चक्रों की संख्या की जाँच, घायल/रोगी पशुओं का चिन्हाकन कर भारवाहन से अलग किये जाने, पशु मृत्यु की दशा में पशुस्वामी की पहचान, शव निस्तारण की रीति की जाँच की जायेगी तथा अनियमितता मिलने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

16. तीर्थाटन मार्गो की मुख्य बस्ती/आधार शिविरों से 1 से 2 किमी दूरी पर पशुस्वामियों को किराये पर स्थायी अश्वशालाऐं उपलब्ध करायी जाए। इन अश्वशालाओं में बिजली एवं शरीर तापमान वाले गुनगुने पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा मांग के अनुरूप उचित दरों पर पशुआहार एवं चारे की उपलब्धतता सुनिश्चित की जायेगी।

17. यात्रा मार्गो पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त **Standard Operating Procedure** का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या 775 / XV-1/23/4(12)/22 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
4. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल / कुमॉऊ, मण्डल उत्तराखण्ड।
5. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव।

संख्याः 1505/XV–1/2025/1(8)/2022/32017

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषयः **वित्तीय वर्ष, 2025–20 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1313–16–Ukd.AWB (52 Top)/2024–25 दिनांक 30 जून, 2025 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गो सदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय में मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों/ग्राम्य गोसेवकों में शरणागत गोवंशीय पशुओं हेतु भरण–पोषण हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि रु० 50,00,00,000.00 में से प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 21,44,73,480 (सं० इक्कीस करोड़ चवालीस लाख तेहत्तर हजार चार सौ अरसी मात्र) की धनराशि (अगस्त 2025 तक धनराशि रू0 20.59.38.000 एवं गत वित्तीय वर्ष के बकाया भुगतान रू0 85.35.480) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	योग	गत वित्तीय वर्ष का अवशेष अनुदान	कुल योग
अल्मोड़ा	7270560		7270560
नैनीताल	29229120		29229120
ऊधमसिंहनगर	27637920		27637920
पिथौरागढ	2337840		2337840
चम्पावत	9853200		9853200
बागेश्वर	3390480		3390480
चमोली	3806640	871000	4677640
टिहरी	6768720		6768720
उत्तरकाशी	5740560		5740560
देहरादून	45630720		45630720
पौड़ी गढ़वाल	23451840	7664480	31116320
हरिद्वार	40820400		40820400
	205938000	**8535480**	**214473480**

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं एवं योजना के संगत शासनादेशोधदिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित् कर लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है. उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।

(3) आगामी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय काविवरण/उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं लाभार्थियों का विस्तृत विवरण भी वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) आगामी प्रस्ताव के साथ Updated डेटा एवं गोसदनों का ऑनलाईन डाटा का लिंक भी उपलब कराया जायेगा। पशुओं की Tagging के सम्बन्ध में भी सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त अनुदान से गौसदनों द्वारा निराश्रित पशुओं का ही संरक्षण किया जा रहा है एवं कोई अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप जैसे देरी उद्योग आदि संचालित नहीं किये जा रहे है।
(6) बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर रामस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय. अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।
(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–१ बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।
(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
(9) संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा संस्था में रखे गये निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित संस्था द्वारा गोसदन में रखे गये निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
(10) पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुयेतथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(12) सचिव, पशुकल्याण बोर्ड गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–07 गोसदनों की स्थापना–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
3 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1/287566/E-79713/9(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्याः 1505/XV–1/25/1(8)/2022/32017तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. निजी सचिव मा० पशुपालन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।

5. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(करम राम)
अनु सचिव

संख्या:1378 / XV–1 / 2025 / 1(8) / 2022–89844

प्रेषक,
सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषयः गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय रामिति एवं विकासखण्ड स्तरीय रामिति के गठन एवं कार्य / दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1427 / दिनाक–11 जुलाई 2025 एवं संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या–1623–30 / दिनांक 23 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति के गठन किये जाने एवं समितियों को कार्य / दायित्व आवंटित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2–उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–909 / XV–1 / 25 / 63495 दिनाक 02 जून 2025 द्वारा निराश्रित गोव्श हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नीति के कम में पशुपालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक्ष विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसदन के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन एवं उनके कार्य / दायित्व निम्नवत् निर्धारित किये जातेहैं:–

जनपद स्तरीय समिति का गठन–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3	नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	तकनीकी सदस्य

जनपदस्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व

1. निराश्रित गोबसको शरण दिये जाने हेतु गोसदन शरणालयों की स्थापना हेतु भूमिका चिकीकरण।

2. जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ रामन्यवन स्थापित करते हुए निराश्रित गोवशीय पशुओं की पशुगणना।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के आवेदन प्रकरणों का परीक्षण एवं अनुमोदन।
4. गोसदनों के पंजीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त आवेदनों का प्रेषण उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड स्तर पर किया जायेगा।
5. गोसदन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन।
6. Gap Fundingहेतु धनराशि आवंटन (श्रोत. शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिंग फण्ड Untied Fund, CSR आदि।
7. चिन्हांकित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना के लिये आगणन तैयार कर TAC कराने के उपरान्त Gap Fundingके माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव का शासन को प्रेषण।
8. गोशाला निर्माण हेतु बजट उपलब्ध हो जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से यथासमय कार्य पूर्ण कराना।
9. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना एवं संचालन की प्रक्रिया का जनपद स्तर पर मासिक मूल्यांकन।
10. डीबीटी के माध्यम से गोसदनों को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान का भुगतान करना।

विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
2	वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3	क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य

<u>कार्य एवं दायित्व–</u>

1. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम
से नवीन प्राप्त गोसदनों की जांच आख्याध्पूर्व से संचालित गोसदनों की मासिक निरीक्षण आख्या का प्रेषण।
1. वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से नवीन गोसदनो का निरीक्षण एवं पूर्व से सचालित गोसदनों की मासिक प्रगति का प्रेषण।

३. जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन।
3– कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

<u>संख्याः1378/XV–1/2025/89844 तद्दिनांकित</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, गा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव पशुपालन, उत्त्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल ।
5. सनस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02. उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. सगस्त पशुचिकित्साधिकारी उत्तराख
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(करम राम)
अनु सचिव

संख्याः1534/XV–1/2025/–89943

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषयः **गोसदनों को मान्यता दिये जाने सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1428/दिनांक–11 जुलाई 2025 एवं संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1629–30ध दिनांक–23 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये हैं।

2–उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–909/XV–1/25/63495 दिनांक–02 जून 2025 द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनो के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नीति के कम में पशुपालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसदनों को मान्यता दिये जानेध्सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु निम्नगुनसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

<u>गोसदनों को मान्यता दिये जाने हेतु</u>

उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 श्उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली 2018 एवं तदसम्बन्धित शासनादेशों के के प्राविधानों के आलोक में नवीन आवेदक संस्था हेत. हेतु, निर्धारित मानको को सम्मिलित करते हुए पंजीकरण किया जाए। इसके लिए –

1. आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. गो सदनों की स्थापना हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण निम्नानुसार होना आवश्यक हैः–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा

(ख) अलाभकर गोवृश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्यअधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत धमार्थ सस्था हो अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पूजीकृत संस्था हो अथवा

(घ) कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिर्क ट्रस्ट हो।

3. आवेदक संस्था द्वारा आवेदन किये जाने उपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा नाभित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी से निर्धारित जांच आख्या प्रपत्र पर जाच कर जाच रिपोर्ट (स्थलीय भूअभिलेख व पशुओं की संख्या टैंग नम्बर सहित) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
4. मैदानी क्षेत्रों में राचालित गोसदनों में न्यूनतम 50 अलाभकर गोवश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिया जाना आवश्यक है। संस्था की गोसदन में शरणागत अलाभकर गोवंश की स्थलीय फोटोग्राफ्स (पशुओं के साथ–गोसदन के अन्दर व बाहर) भेजना अनिवार्य होगा।
5. सस्था की नियमावली में अलाभकर गोवंश को संरक्षण एवं शरण दिये जाने के क्रम में संकल्प या प्राविधान का होना अनिवार्य होगा।

6. सस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, पता, दूरभाष संख्या एवं आधार संख्या अनिवार्य होगी।
7. ऐसी आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो।
8. राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख अथवा भूमिस्वामित्वधारी द्वारा संस्था के नाम न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि का लीज अभिलेख अथवा दान/क्रय से अर्जित भूमि की दशा में दाननामा/भूविक्रेता के अभिलेख तथा भूमिस्वामित्वधारी के नाम भूमिस्वामित्व के अभिलेख (खाता खतौनी) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संस्था द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष के लीज अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर केवल भरण–पोषण हेतु आंशिक मान्यता दी जायेगी। संस्था द्वारा 50 वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लीज अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की दशा में पूर्ण मान्यता (भरण पोषण, विस्तार एवं सुदृढीकरण) दी जायेगी।
10. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपऩकवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिवद्ध होगी। तङ्क्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
11. स्थानीय ग्राम सभाध्नगर पालिकाध्अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापित मूल प्रति उपलब्ध (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक अंकित) कराना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक संस्था को निराश्रित गोवंशीय पशुओं के प्रबन्धन रख–रखाव एवं भरण–पोषण का न्यूनतन एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

13. गत वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट (लेखा रिपोर्ट में गोवशीय पशुओं के प्रवन्धन एवं भरण–पोषण का विवरण) होना अनिवार्य होगा।
14. नोटरी द्वारा सत्यापित रू० 100/– के अनुबन्ध पत्र पर संस्था की प्रवन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से हस्ताक्षरित एवं पारित प्रस्ताव अभिलेख कि, सस्था मैदानी क्षेत्रों में संचालित गोसदनों में न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु संकल्पबद्ध है तथा स्वयं के संसाधनों से भरण–पोषण हेतु सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा गोवंश के भरण–पोषण में निर्गत आंशिक अनुदान का शतप्रतिशत सदुपयोग किये जाने हेतु प्रतिवद्ध है।
15. उक्त समस्त मानको को पूर्ण किये जाने के उपरान्त नवीन आवेदक संस्था की मूल पत्रावली को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त, पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
16. उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा आवेदक संस्था को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
17. आवेदक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किये जाने के उपरान्त अनुबन्ध की शर्तों में अनियमितता पाये जाने पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा जांच करायी जायेगी, जाचं उपरान्त मान्यता निरस्त किये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
18. शासनध्प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था के निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

<u>सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु (Category 1 & Category 2) मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु</u>

1. नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

2. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, अलाभकर गोवंश (वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तङ्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत/जारी होने वाले शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु वाच्य होगी।

2. राजकीय सहायता/भरण पोषण हेतु अनुदान केवल वृद्ध बीमार विकलांग, अनुत्पादकनिराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवश्श हेतु देय होगा। उत्पादक गोवंशीय पशुओं हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।

4. गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से सचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन

5 जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/समीक्षा एवं अनुशंसा की जाएगी।

6. अर्हताऐं पूर्ण करने के उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन किया जाएगा।

7. गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु समिति द्वारा स्वतः स्पष्ट अनुबन्ध किया जाएगा।

8. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन+कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तद्क्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन /स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।

9. आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख, भरण पोषण हेतु राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध होगी।

10. सम्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही संस्था से रू० 100/– के अनुबन्ध पत्र में समस्त शर्तों को उल्लिखित करते हुए अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमें भरण–पोषण मद में दी गयी राजकीय अनुदान धनराशि को शरणागत गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा।

11. जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जा सकेगी।

12. गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा ।

13. गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय अनुबन्धित संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

14. अनुबन्ध निररत होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्हसंस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

15. शासनधजिला स्तरीय समिति/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा सस्था का औचक निरीक्षण किये जाने हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना अपेक्षित रहेगा।

16. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर सुसंगत अभिलेखीय विवरण के साथ विस्थापित किया जायेगा तथा गोरादन को मानक संख्या के अनुरुप राजकीय अनुदान देय होगा।

17. निराश्रित पशुओं को गोसदनों तक पहुंचाये जाने हेतु Cattle Lifting Van/Hydraulic उपलब्ध कराये जाने का दायित्व, नगरीय परिधि में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण परिधि में पंचायतीराज विभाग का होगा।

18. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति तथा यथावश्यकता पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।

19. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

3–कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्याःसंख्याः1534/XV–1/2025/–89943 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, गा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव पशुपालन, उत्त्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल ।
5. सनस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02. उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. सगस्त पशुचिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(करम राम)
अनु सचिव

संख्याः 1882/XV–1/2025/1(8)/2022/32017

प्रेषक,

सन्तोष बहोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 27 अक्टूबर, 2025

विषय : वित्तीय वर्ष, 2025–26 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को सेंस के माध्यम से आबंटित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त द्वारा राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3756–59–**UAWB** (52)/ 2025–26 दिनांक 29 सितम्बर 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–23–गौ संरक्षण को बढ़ावा (आबकारी सैस) 42–अन्य विभागीय व्यय में मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों/ग्राम्य गोसेवकों में शरणागत गोवंशीय पशुओं हेतु भरण–पोषण हेतु आबकारी सेस के माध्यम से आबंटित बजट (10 करोड़) के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू० 100000000 (रू० दस करोड मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

जनपद का नाम	द्वितीय किश्त हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि
अल्मोड़ा	2288720
नैनीताल	16008160
ऊधमसिंहनगर	15383840
पिथौरागढ	858880
चम्पावत	3708800
बागेश्वर	1180960
चमोली	1444480
टिहरी	2806240
उत्तरकाशी	4045600
देहरादून	26613840
पौड़ी गढ़वाल	9458880
हरिद्वार	16201600
	100000000

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुये किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जावेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है. उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।
(3) आगानी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं लाभार्थियों का विस्तृत विवरण भी वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) गौरादनों को धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंचित गौसदनों द्वारा उनसे सम्बन्धित समस्त ऑनलाईन डाटा निर्धारित सॉफ्टवेयर पर अपलोडध्अपडेट कर दिया गया है। पशुओं की ज्हहपदह के सम्बन्ध में भी सुनिश्चित हो लिया जायेगा।
(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त अनुदान से गौसदनों द्वारा निराश्रित पशुओं का ही संरक्षण किया जा रहा है एवं कोई अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप जैसे डेरी उद्योग आदि संचालित नहीं किये जा रहे है।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा वी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों. के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) प्रशासनिकध्बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए गिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शारान को भी प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण (**Doubling**) पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
(9) संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा संस्था में रखे गये निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित संस्था द्वारा गोसदन में रखे गये निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
(10) पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।
(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(12) इस संबंध में पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 909 दिनांक 02.06.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सचिव, पशुकल्याण बोर्ड गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित रामिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(13) उक्त राजकीय अनुदान उन्हीं पंजीकृत गौसदनों को अवमुक्त किया जायेगा जिनके द्वारा गोसदन पोर्टल पर सभी प्रविष्टियां पूर्ण की गई हों।
2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–23–गौ संरक्षण को बढ़ावा–42–अन्यव्यय में आबकारी सेस के अन्तर्गत बहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1/287566/E–79713/ 9(150)2019 /XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्याः 1882 (1)/XV–1/22–1(3) तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. निजी सचिव मा० पशुपालन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक, पशुपालन/सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून को इस आशय से कि अपने पत्र दिनांक 29.09.2025 के कम में अनुपालन सुनिश्चित करायें।
5. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(करम राम)
अनु सचिव

संख्याः 238/XV–1/2026/1(8)2022/32017

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 04 फरवरी, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–5238–41–UAWB(52)/2025–26 दिनाक 05 जनवरी, 2026 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में राजकीय अनुदान के तहत अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गौ सदनों का संचालन–42–अन्य विभागीय व्यय में मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों/ग्राम्य गोसेवकों में शरणागत

गोवशीय पशुओं हेतु भरण–पोषण हेतु अवशेष बजट प्रावधान के सापेक्ष तृतीय किश्त रू० 176568400/– (रुपये सत्रह करोड़ पैसठ लाख अड़सठ हजार चार सौ मात्र) की धनराशि निम्न तालिकानुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

जनपद का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० में)
अल्मोड़ा	8706800
नैनीताल	28672800
ऊधमसिंहनगर	21050320
पिथौरागढ	1826640
चम्पावत	9737840
बागेश्वर	3939200
चमोली	3005360
टिहरी	8250560
उत्तरकाशी	5431200
देहरादून	32581520
पौड़ी गढ़वाल	19677200
हरिद्वार	33688960
योग	**176568400**

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रकियाओं एव योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित् कर लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।

(3) आगामी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय कप विवरण ६ उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं लाभार्थियो का विस्तृत विवरण भी वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) आगामी प्रस्ताव के साथ Updatedडेटा एवं गोसदनों का ऑनलाईन डाटा का लिंक भी उपलब्ध कराया जायेगा। पशुओं की Tagging के सम्बन्ध में भी सुनिश्चित हो लिया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त अनुदान से गौसदनों द्वारा निराश्रित पशुओं का ही संरक्षण किया जा रहा है एवं कोई अन्य व्यावसायिक कियाकलाप जैसे डेरी उद्योग आदि संचालित नहीं किये जा रहे है।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एव पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान,

अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर जिलाधिकारी एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा संस्था में रखे गये निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन/जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित संस्था द्वारा गोसदन में रखे गये निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे ।

(10) पशुकल्याण बोर्ड एवं इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(12) सचिव पशुकल्याण बोर्ड गोसदनों में शरणागत निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में जनपदवार अपेक्षित अनुदान की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–07 गोसदनों की स्थापना–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1/287566/E–79713/9(150)2019/XXVII (1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

<u>संख्याः 238/XV–1/2026/1(8)2022/32017</u> तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव मा० पशुपालन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(करम राम)
अनु सचिव

संख्याः 596 / XV–1 / 2026 / 7(02)2026 / 96968

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2026**

विषयः निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु गोसदनों के निर्माण के संबंध में।

महोदय उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–5050UAWB(220) / 2025–26 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 एवं तत्कम में निदेशक, पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–5056,UAWB(220) / 2025–26, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान राख्या–28 के लेखाशीर्षक 4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–11–गौसदन का निर्माण–53–वृहद निर्माण के अन्तर्गत जनपद देहरादून के ग्राम माजरी ग्रान्ट, विकासखण्ड डोईवाला में गोसदन के निर्माण हेतु ₹489.04 लाख के सापेक्ष उक्त मद में अवशेष बजट प्रावधान के रूप में प्रथम किश्त ₹157.498 लाख की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्षस्वीकृति प्रदान करते हैः–

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है :–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों /प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।

(3) आगामी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण / उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उका निर्माण कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता, डी०पी०आर० के संबंध में विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा। यदि कोई तकनीकी / विधिक औपचारिकतायें है, तो उन्हें भी स्वयं के स्तर से पूर्ण कर लिया जायेगा।

(5) समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 23.04.2025 एवं 12.06.2023 के आलोक में सक्षम स्थल चयन समिति से प्राप्त आख्या के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर से सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, किसी भी स्थिति में कार्य की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित गद के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से कोई चालू कार्य प्रभावित न हो।

(8) विभाग होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित कर लें।

(9) बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोपागार मेंपरिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए राम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(10) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–१ बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(12) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें। करण (Doubling) पाये जाने पर निदेशक पशुपालन एवं संबंधित

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुयेतथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं/अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 (समय–समय पर संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–11–गौसदन का निर्मार्ण–53–वृहत निर्माण के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश पशुपालन विभाग के शासनादेश संख्या 909 दिनांक 02 जून, 2025 के आलोक में कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या–1/287566/E–79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्याः 596/XV–1/26/7(01)2026/96968 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव मा० पशुपालन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक/संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(करम राम)
अनु सचिव

संख्याः 593/XV–1/2026/7(01)2026/96969

प्रेषक,

सन्तोष बहोनी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय : निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु गोसदनों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–5050 UAWB (220)/2025–26 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 एवं तत्कग में निदेशक, पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–5056, UAWB (220)/2025–26, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–11–गौसदन का निर्माण–53–वृहद निर्माण के अन्तर्गत जनपद देहरादून के ग्राम भोपालपानी, विकासखण्ड रायपुर में गोसदन के निर्माण हेतु र 190.59 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त ₹114.354 लाख (60 प्रतिशत) की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती हैः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुये किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित् कर लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।

(3) आगामी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त निर्माण कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता, डी०पी०आर० के संबंध में विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा। यदि कोई तकनीकी/विधिक औपचारिकतायें है, तो उन्हें भी स्वयं के स्तर से पूर्ण कर लिया जायेगा।

(5) समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 23.04.2025 एवं 12.06.2023 के आलोक में सक्षम स्थल चयन समिति से प्राप्त आख्या के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर से सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6) कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, किसी भी स्थिति में कार्य की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित मद के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से कोई चालू कार्य प्रभावित न हो।

(8) विभाग होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित कर लें।

(9) बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(10) प्रशासनिकध्बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(12) स्वीकृतध्आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता ध् दुरुपयोग ध् दोहरीकरण (क्वनइसपदह) पाये जाने पर निदेशक पशुपालन एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये तथा वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमोंध्प्रक्रियाओं ध् अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 (समय–समय पर संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2 उका धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–11–गीसदन का निर्मार्ण–53–वृहत निर्माण के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश पशुपालन विभाग के शासनादेश संख्या 909, दिनांक 02 जून, 2025 के आलोक में कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या–1 / 287566 / E–79713 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव

संख्या 593 / XV–1 / 2026 / 7(01)2026 / 96969 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव मा० पशुपालन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. संबंधित बरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव ।

ई संख्या 909/XV–1/25/63495

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
सयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड ।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादूनः दिनाँक 02– जून, 2025।

विषयः निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, के पत्र संख्या 3837 UAWB (52 TOP) दिनांकरू 21.03.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकरू 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11. 2023) में निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण का कार्य शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त निर्माण प्रक्रिया तथा बजट आवंटन में कई विभागों के सम्मिलित होने के कारण उक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयां एवं प्रक्रियागत विलम्ब हो रहा है।

2. अतः उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकरू 24.11.2023) को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् समेकित नीति प्रख्यापित की जाती है :–

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों / गोशालाओं की स्थापना/सुविधाए संबंधी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाया जायेगा। इस हेतु एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के सम्बन्धित मानक मद में की जायेगी। इसी प्रकार वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त गोसदनों में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदों में करते हुए उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा।

2. निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु दिये जाने वालेअनुदान एवं उनके लिये निर्मित होने वाले गोशालाओं के लिये बजट आवंटन हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मानक मदों में की जायेगी।

3. निराश्रित गोवंश हेतु निर्मित होने वाले गोशालाओं हेतु बजट एव भरण पोषण अनुदान सम्बन्धी बजट सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। गौसदनों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय निकायों द्वारा मोस अपने क्षेत्राधिकार में पूर्व की भाति गौसदनों के निर्माण/अनुरक्षण, संचालन एव पर्यवेक्षण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

4. नगर निकायों द्वारा संचालित कांजी हाउस के संचालन एवं उससे सम्बन्धित व्ययों के संबंध में पशुपालन विभाग का दायित्व मात्र निराश्रित गोवंश के चिकित्सकीय उपचार तक सीमित होगा तथा कांजी हाउसों का संचालन पूर्व की भांति नगर निकायों द्वारा ही किया जायेगा।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने नियंत्रण एवं निर्देशन में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर बजट का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। भरण पोषण हेतु निर्धारित अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से दिया जायेगा।

6. गौशाला निर्माण/विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु बजट आवंटन निम्न 04 श्रेणियों के अंतर्गत किया जायेगा–

(i) सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100% राजकीय अनुदान– जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट

की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मॉग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ii) सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40%एवं राजकीय अनुदान 60% जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/ स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने परअवशेष धनराशि की माग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) निजी भूमि भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40% एव राजकीय अनुदान 60% जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईत्तिग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण, संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60% जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला का निर्माण पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित मानकीकृत डिजाइन / लागत के आधार पर कराया जायेगा। मानक आगणन 50 पशुओं हेतु रू0 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु रू0 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्ंदक क्मअमसवचउमदज बेंतहमे को भी सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा। (मानक डिजाइन संलग्न)

8. गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की सख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में ब्ट्रीमक एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

9. निराश्रित गोवंश हेतु गोशालाओं की स्थापना पर निर्णय एवं कार्यवाही तथा भरण पोषण अनुदान निर्गत किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होगें।

10. शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। गठित राज्य स्तरीय समिति में सचिव, पंचायतीराज विभाग, सचिव, पशुपालनके अतिरिक्त निदेशक, पंचायतीराज, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय तथा निदेशक, पशुपालन भी सम्मिलित रहेगें। गोसदनों के निर्माण की प्रगति/बजटीय व्यवस्था की समीक्षा हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आहूत की जायेगी।

11. उक्त व्यवस्था इस हेतु शासनादेश निर्गत हो जाने पर लागू होगी। इससे पूर्व शहरी विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन अथवा प्रारम्भ हो चुके गोसदनों के निर्माण हेतु बजट आवंटन का कार्य सम्बन्धित शहरी विकास/पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

13. रू0 5 करोड़ तक के सभी आगणनों/प्रस्तावों की जिला स्तरीय टी०ए०सी० द्वारा अनिवार्य रूप से जॉच की जायेगी। रू० 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

14. गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष (Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।

15. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश को पकड़ कर गोसदनों में पहुंचाने की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी। इस हेतु उनके स्तर पर कैटल लिफ्टिंग की व्यवस्था की जायेगी।

16. भविष्य में उक्त नीति में यथाआवश्यक संशोधन हेतु पशुपालन विभाग अधिकृत होगा।
3. अतः उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।
सलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव ।

ई सख्याः १०१/XV–1/25/62949 तद्दिनॉकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त कुमॉऊ/गयवाल मण्डल ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक शहरी विकास / पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग जअधिकरी शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02. उत्तराखण्ड शासन ।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गयवाल मण्डल, पौड़ी / कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव।

ई संख्या : 909/XV-1/25/63495/दिनांक ०२/06/2025 का संलग्नक

निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला निर्माण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया

Category 1 सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 प्रतिशतराजकीय अनुदान (जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंन फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की २० जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा)

भूमि चिन्हीकरण

- सर्वप्रथम डी०एल०सी० के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग /पंचायतीराज विभाग / पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चाद् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

- जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु सस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन

- डी०एल०सी० द्वारा स्थानीय निकाय को कार्यदायी त्तत्या के रूप में नामित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर ज|ब करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति स 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की ज|ब हेतु भी अधिकृत होगी।

बजट आवटन

- चिन्हित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना हेतु सर्वप्रथम क्स्ब द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/त्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवत्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर तदनुसार अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायेगें।

- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू० 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य के बजट आवंटन हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु RS 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु RS 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–१)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charge को सम्मिलित करते हुए आंगणन बनाया जायेगा।
- गोत्सदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायीनिर्माण (टिन शेड़ मानक मानचित्र के अनुरूप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोत्सदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर मानक आंगणनमें Cowshedएवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वाराबजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।
- नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
- सरकारी अनुदान बजट उपलब्धता के आधार पर निर्गत किया जायेगा। सामान्यतः इसे 40:40:20 के रूप में तीन किश्तों में जारी किया जायेगा।
-

Category–2सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि चिन्हीकरण

- सर्वप्रथम डी०एल०सी० के नेतृत्व में जिला प्रशासन / शहरी विकास विभाग / पंचायतीराज विभाग / पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।
- जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन एवं निर्माण हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण एवं संवालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

- पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित किये जाने के उपरान्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रु 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TACहेतु मी अधिकृत होगी। प्रस्तावित आंगणन का 40% पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

- आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड / अनटाईड फण्ड / विधायक निधि / स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू० 01 करोड तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी। पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा। मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु RS. 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु RS. 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Chargesको सम्मिलित करते हुए आगणन प्रेषित किया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् – मानक मानचित्र के अनुरूप) को प्राथमिकता ही जागेगी।

- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshedएवं पूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेंगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।
- नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
- बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं बहन किश्त करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category –3निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि स्वामी द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को गौसदन संचालन हेतु समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज पर भूमि दिया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध की तिथि को पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था के पास न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

- मान्यता प्राप्त सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति रु 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की **TAC**हेतु भी अधिकृत होगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त डीपीआर का 40 प्रतिशत सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं शेष 60 प्रतिशत जिला स्तरीय समिति/शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

- आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम **DLC** द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि आदि) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशिकी मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू० 01 करोड तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होगे। रू० 01 करोड़ से अधिक के आगणनों

की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

- पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु RS. 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु RS.66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Chargesको सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड्–मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।
- नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

- बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	गोसदन द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं बहन किश्त करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category- 4 पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

- पूर्व से संचालित पूर्ण मान्यता प्रदत्त गोसदनों (निर्माण एवं भरण पोषण) के द्वारा गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में बयोतरी के कारण नवनिर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के आधार पर मानक मानचित्र के अनुरुप आर्किटेक्ट से आगंणन तैयार करवाकर (सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) डीपीआर मुख्यपशुचिकित्ला अधिकारी (तकनीकी सदस्य) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू० 05 करोड़ तक के आंगणन प्रस्तावों की TACहेतु भी अधिकृत होगी।

- गोसदन द्वारा मानक मानचित्र के अनुरुप प्रेषित की गयी डीपीआर की जिला सारीय समिति द्वारा दिये गये अनुमोदनोपरान्त डीपीआर की 40 प्रतिशत धनराशि गोसदन संचालक द्वारा स्वयं को संसाधनों से वहन की जायेगी।
- आंगन के शेष 60 प्रतिशत कर सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (संचिय पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू० 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

- पशुपालन विभाग, उत्तराखण्द शासन द्वारा निर्माण मद में बजट उपलब्धता के आधार पर गोसदन निर्माण हेतु बजट सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु RS. 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु RS.66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Chargesको सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त गोसदन द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।
- बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	गोसदन द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं बहन किश्त करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

- गोसदनों के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष (Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।

- तकनीकी सलाह के आधार पर अस्थायी गोसदनों के निर्माण की समय–सीमा को कम किया जायेगा। गोसदनों के निर्माण हेतु मानक आगणन को नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वैट किया जायेगा।
- निराश्रित गोवश की रामयुबद्ध गणना की जायेगी, ताकि आवश्यक गोसदनों के निर्माण की योजना बनायी जा सकें। उक्त गणना के आधार पर प्राप्त डाटा का उपयोग निराश्रित गोशाला के निर्माण हेतु किया जायेगा।

- निदेशक, पशुपालन आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट के लिए समस्त जनपदों से प्रस्तावित गोसदनों के निर्माण हेतु बजट प्रस्ताव संकलित करते हुए प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह तक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि नवम्बर/दिसम्बर माह में शासन स्तरीय समिति की बैठक के पश्चात उका बजट मांग वित्त विभाग को प्रेषित की जा सके।

उपबन्ध

(i) **Category**–1 एवं **Category**–2 में संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध से निर्धारित पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त की जा सकेगी।

(ii) गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

(iii) गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्धित संस्था को 07 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया जायेगा। दो बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अनुबन्धित संस्था का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में अनुबन्धित संस्था का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

(v) सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का स्वामित्व मात्र प्रबन्धकीय कार्यों हेतु ही होगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपदों में संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अनुबन्धित गोसदनों को भरण–पोषण मद में अनुदान दिये जाने हेतु प्रावधान

1. निराश्रित गोवंश को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले निर्धारित अनुदान (वर्तमान में रू० 80 प्रतिगोवंश प्रतिदिन) के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु प्रावधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग की सगत मदों में प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। पशुकल्याण बोर्ड एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान हेतु बजट मांग प्रपत्र जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को समयान्तर्गत प्रेषित करना होगा।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों की मासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा समस्त जनपदों की संकलित बजट मांग का प्रस्ताव समयान्तर्गत शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासन द्वारा भरण–पोषण अनुदान निर्गत होने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं का उक्त अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से दिया जायेगा।

5. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरुप जनपद स्तरीय समिति को आबंटित धनराशि जनपद अन्तर्गत संचालित गोसदनों को माह में उपलब्ध शरणागत गोवंशीय पशुओं की औसत संख्या के अनुरुप देय होगी।
6. पंजीकृत गोसदनों में गोवंशीय पशुओं की भली प्रकार देख–रेख एवं नियमित रुप से जांच किये जाने हेतु प्रत्येक गोसदन में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाये जाने अनिवार्य होंगे।
7. जनपद स्तरीय समिति द्वारा किसी भी गोसदन को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं माह मार्च का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
8. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लेते हुए (सम्बन्धित स्थानीय निकायों के माध्यम से) गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरुप ही राजकीय अनुदान देय होगा।
9. मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
10. सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रु०100/–के अनुबन्ध पत्र (समय–समय पर यथासंशोधित) में यह लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही किया जायेगा।
11. शासन/प्रशासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव ।

8.4 उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद :–

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या 450/प0म0ड0 पशुपालन/2002 दिनांक 18 जुलाई 2002 के अनुसार उत्तराखण्ड, पशुचिकित्सा ट्रिब्युनल की स्थापना की गई जिसके द्वारा गठित ट्रिब्युनल को राज्य में पशुचिकित्सापरिषदके गठन एवं कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

शासनादेश संख्या 465/xv-1/पशुपालन/2(13)/2005 दिनांक 10 अगस्त, की अधिसूचना के द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम,1984 को उत्तराखण्ड राज्य में मूल रूप में अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली, 1990 को उत्तराखण्ड राज्य में अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के द्वारा अधिसूचित करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का कार्य दिनांक 16 अगस्त, 2005 से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके अनुसार राज्य में राजकीय, निजी, अर्धशासकीय सेवाओं में सेवारत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद में कराये जाने को अनिवार्य किया गया है।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम् 1984 की धारा 32 के अनुसार राज्य पशुचिकित्सा परिषद का विधिवत् गठन निम्नलिखित सदस्यों के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है–

1– चार पशुचिकित्साविदों का चुनाव सदस्य के रूप में राज्य में पंजीकृत पशुचिकित्साविदों के द्वारा किया जाना।
2– राज्य में स्थापित पशुचिकित्सा संस्थान का मुखिया पदेन सदस्य।
3– राज्य सरकार द्वारा किन्ही तीन पंजीकृत पशुचिकित्साविदों के सदस्य के रूप में नामित किया जाना।
4– पशुपालन विभाग के विभागाध्यक्ष –पदेन सदस्य।
5– उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा सेवा संघ का कोई नामित सदस्य–पदेन सदस्य
6– रजिस्ट्रार पशुचिकित्सा परिषद– पदेन सदस्य/सचिव।

इन्हीं 11 सदस्यों के द्वारा राज्य पशुचिकित्सा परिषदके अध्यक्ष का चुनाव किये जाने का प्राविधान भी है।

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद के मुख्य उदेश्य/कार्य निम्नवत् हैं:–

1. उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का कार्य करना ।
2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनिमय 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार पशुचिकित्सा सम्बन्धी कार्यो को राज्य में यिान्वित कराना।
3. पशुचिकित्साविदों एवं वैज्ञानिकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुये राज्य के पशुधन में नई तकनीकों को प्रयोग में लाना ।
4. विभिन्न वक्रशाप, कैम्पों एवं सेमिनारों आदि के माध्यम से वैज्ञानिकों, पशुचिकित्साविदों एवं पशुपालकों को विचार विमर्श के द्वारा नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करना।
5. पशुचिकित्साविदों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी तकनीकी दक्षता एवं कार्यक्षमता का विकास करना।
6. भारतवर्ष में स्थापित पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि देने वाले संस्थानों की स्वीकृत सीटों के अर्न्तगत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत की सीटों को भरे जाने हेतु भारतीय पशुचिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित की होने वाली चयन राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के सम्पादित कराये जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् के मुख्य कार्य/उद्देश्य–

1. उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का कार्य करना ।
2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनिमय 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार पशुचिकित्सा सम्बन्धी कार्यो को राज्य में क्रियान्वित कराना।
3. पशुचिकित्साविदों एवं वैज्ञानिकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुये राज्य के पशुधन में नई तकनीकों को प्रयोग में लाना ।
4. विभिन्न वर्कशाप, कैम्पों एवं सेमिनारों आदि के माध्यम से वैज्ञानिकों, पशुचिकित्साविदों एवं पशुपालकों को विचार विमर्श के द्वारा नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करना।
5. पशुचिकित्साविदों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी तकनीकी दक्षता एवं कार्यक्षमता का विकास करना।
6. भारतवर्ष में स्थापित पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि देने वाले संस्थानों की स्वीकृत सीटों के अर्न्तगत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत की सीटों को भरे जाने हेतु भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित की होने वाली चयन राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के सम्पादित कराये जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद

उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण सम्बन्धी विवरण की प्रगति वर्ष 2005–06 से माह मार्च 2025 तक।

0सं0	वर्ष	स्थायी पंजीकरण विवरण			कुल पंजीकरण (3–4)	अस्थायी पंजीकरण विवरण		नवीनीकरण किये गये पंजीकरण		कुल प्राप्त शुल्क
		किये गये पंजीकरण	निरस्त किये गये पंजीकरण	प्राप्त शुल्क		किये गये पंजीकरण	प्राप्त शुल्क	संख्या	प्राप्त शुल्क	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2005–06	105	0	2625	105	69	1035	0	0	3660
2	2006–07	76	9	2125	67	69	885	0	0	3010
3	2007–08	115	11	3150	104	59	885	15	375	4410
4	2008–09	110	8	2950	102	49	735	37	925	4610
5	2009–10	59	12	1775	47	56	840	26	650	3265
6	2010–11	44	8	1300	36	60	900	18	450	2650
7	2011–12	56	8	1600	48	50	750	71	1775	4125
8	2012–13	40	9	1225	31	47	705	90	2250	4180
9	2013–14	36	3	975	33	36	540	77	1925	3440
10	2014–15	33	1	850	32	60	900	64	1600	3350
11	2015–16	64	5	1650	59	55	825	76	1900	4375
12	2016–17	56	14	1400	42	74	1110	112	2800	5310
13	2017–18	63	6	1725	57	60	900	101	2525	5150
14	2018–19	52	5	1425	47	69	1035	116	2900	5360
15	2019–20	69	8	1825	61	50	750	80	2000	4575
16	2020–21	46	6	1275	40	38	570	82	2050	3895
17	2021–22	31	24	1225	7	57	1435	232	5800	8460
18	2022–23	64	23	10405	41	62	1550	181	361930	373885
19	2023–24	80	12	10405	41	62	15750	154	145020	322570
20	2024–25	71	14	157775	57	61	15250	159	282985	456010
21	2025–26	71	14	157775	57	61	15250	159	282985	456010

उत्तराखण्ड सरकार
पशुधन अनुभाग–1
अधिसूचना

संख्या 2956/12–प–1–1–91–भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1984 की धारा 65 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली 2002
अध्याय–एक
प्रारम्भिक

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली 2002 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं–

(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) 'अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) से है।

(ख) "निर्वाचन या पुनः निर्वाचन" का तात्पर्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में निर्वाचन या पुनः निर्वाचन से है।

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है।

(घ) "नामनिर्देश या पुनः नामनिर्देशन" का तात्पर्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में नाम–निर्देशन या पुनः नामनिर्देशन से है।

(ङ.) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार से है।

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है।

(छ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(ज) "अधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकरण से है।

(झ) इस नियमावली में प्रयुक्त बिन्दु पृथक से अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये है।

राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में सदस्यों का निर्वाचन
(धारा–37)

3– निर्वाचन की सूचना– धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार निर्वाचन के प्रस्तावित दिनांक के सम्बन्ध में राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों की सूचना के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करेगी।

4–निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना– नियम 3 के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रजिस्ट्रार नामावली तैयार करेगा जिसमें पशुचिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों का नाम व पता उल्लिखित किया जायेगा।

5– निर्वाचन नामावली का प्रकाशनः– रजिस्ट्रार नियम 4 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को प्रकाषित करेगा और राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के कार्यालय में उसकी एक प्रति संप्रदर्शित कर निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा।

6– **दावे और आपत्तियां:–** निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने का प्रत्येक दावा और उसमें की सभी किसी प्रविष्टि पर प्रत्येक आपत्ति नियम 5 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के भीतर मशः प्रपत्र एक और दो में की जायेगी।

7– दावा और आपत्ति के प्रपत्र और उनके निस्तारण की रीति–

(1) प्रपत्र एक में प्रत्येक दावे पर रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(2) प्रपत्र दो में प्रत्येक आपत्ति से रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है और उस पर ऐसे किन्ही अन्य रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित किया गया हो।

(3) दावों और आपत्तियों पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जायेगा जो किसी दावे की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी दावे या आपत्ति की अनुमति देने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

8. नामावली का अन्तिम प्रकाशानः–

(1) रजिस्ट्रार ऐसे संशोधनों यदि कोई हों, के पश्चात् जिन्हें वह आवश्यक समझे अन्तिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

9 **रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारीः–**

(1) राज्य सरकार, नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्राप्त करने के पश्चात् एक रिटर्निंग अधिकारी पदनिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेंगे और जो राज्य सरकार के अधिकारी होंगे।

(3) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये सक्षम होंगे परन्तु सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के ऐसे किन्हीं कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा जो मतपत्रों को देने, मतपत्रों को गिनते या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से सम्बन्धित हो।

10 **नाम निर्देशन नामांकन आदि के लिए दिनांक का निर्धारण–**

(1) रिटर्निंग अधिकारी सरकारी गजट में या किसी स्थानीय समाचार–पत्र में या ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित अधिसूचना द्वारा–

(एक) नाम निर्देशन के लिए दिनांक निर्धारित करेगा जो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक का सातवां दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्‌टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(दो) अभ्यर्थिता वापस लेने का दिनांक निर्धारित करेगा जो नामनिर्देशन की संविक्षा के दिनांक का दूसरा दिन होगा या उस दिन सार्वजनिक छुट्‌टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(तीन) मतदान का यदि आवश्यक हो, दिनांक निर्धारित करेगा जो अभ्यर्थिता वापस लेने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व का न होगा।

(चार) मतों की गणना करने के लिए और परिणाम की घोषणा करने के लिए जो मतदान के दिनांक से तीन दिन के भीतर होगी दिनांक, समय और स्थान निर्धारित करेगा।

10–(2) उप नियम (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में राज्य परिषद् में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी स्थान विनिर्दिष्ट होगा जहां नाम निर्देशन पत्र प्रदत्त किये जायेगें।

11– विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षायें और उनका प्रस्तुतीकरणः–

(1) नियम 10 के अधीन नामनिर्देशन के लिए निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक सहित एक रजिस्ट्रीकृत पत्र प्रपत्र 3 में सम्यक रूप से भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा या स्वयं उसे देगा।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर दो मतदाताओं द्वारा एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा अनुमति दी जायेगी।

परन्तु कोई मतदाता प्रस्तावक या समर्थक के रूप में भरी जानी वाली सीटों की संख्या से अधिक नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई मतदाता भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में, यथास्थिति प्रस्तावक या समर्थक के रूप में, नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर प्रथम प्राप्त नामनिर्देशन पत्र, यदि वे अन्यथा ठीक हैं, विधिमान्य समझे जायेंगे और ऐसे समस्त अन्य नामनिर्देशन पत्र, जो उसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित और साथ–साथ प्राप्त किये गये हैं, अधिमान्य समझे जायेंगे।

12–नामनिर्देशन पत्र का अस्वीकार किया जानाः–

ऐसे किसी नामनिर्देशन पत्र को जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्धारित नामनिर्देशित करने के दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा, अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13– नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षाः–

(1) नामनिर्देशन पत्रों की संविक्षा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत दिनांक और समय को अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों के ऐसे नामनिर्देशन पत्रों की, जो उसके द्वारा उपर्युक्तानुसार द्वारा प्राप्त हुए हों,परीक्षण करने की अनुमति देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी नामनिर्देशन पत्र की विधिमान्यता के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों का विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

14– अभ्यर्थिता वापस लेना–

(1) कोई अभ्यर्थी, नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (दो) के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित सूचना देकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, ऐसी वापसी को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

15– निर्वाचन लाने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशनः–

(1) ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिसके अभ्यर्थी नियम 14 के अधीन अपने नाम निर्देशन वापस ले सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और प्रकाषित करेगा जिनके नामनिर्देशन विधिमान्य हैं और जिन्होंने उक्त अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के नाम (वर्णमाला म में) और पते होंगे व जैसा कि नामनिर्देशन में दिया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची को गजट में और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा उसका ऐसी रीति से, जैसा रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे, व्यापक प्रचार किया जायेगा।

16–मतदान

(1) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम हो तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियत दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व विदेष में निवास करने वाले या व्यवसाय करने वाले प्रत्येक निर्वाचक हवाई डाक द्वारा और देष के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक अन्य निर्वाचक को डाक द्वारा प्रपत्र चार में मतपत्र और साथ–साथ प्रपत्र पांच में संख्यांकित घोषणा–पत्र, प्रपत्र छः में सूचना का एक पत्र जिसमें वर्णमाला म में अभ्यिर्थियों के नाम होंगे और उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप होगा। रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित मतपत्र आवरण और उक्त अधिकारी को सम्बोधित एक अन्य आवरण भी भेजा जायेगा।

(क) प्रतिबन्ध यह है कि रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करने पर किसी निर्वाचक को मतपत्र और सम्बन्धित पत्र रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाने पर कि पत्रादि उसे नहीं भेजे गये हैं, मतदान के लिए नियत दिनांक से पूर्व भेजे जा सकते हैं।

(3) निर्वाचक को भेजे गये ऐसे प्रत्येक सूचना पत्र के सम्बन्ध में डाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई निर्वाचक जिसने डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त नहीं किये हैं या जिसने उन्हें खो दिया है या जहॉ रिटर्निंग अधिकारी को पत्रादि लौटाने के पूर्व असावधानी से खराब हो गये हों तो इस आषय का लिखित रूप में घोषणा पत्र भेज सकता है और मतदान के लिये नियत दिनांक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी से पत्रादि भेजने के लिए अनुरोध कर सकता है और यदि बचे पत्रादि खराब हो चुके हैं तो खराब पत्रादि रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा और जिन्हें प्राप्त होने पर वह रद्द कर देगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें नये पत्रादि जारी किये गये हैं, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के नाम से सम्बन्धित संख्या पर यह बताने के लिये निर्वाचक नामावली कि उसे नये पत्रादि जारी कर दिये गये है, एक चिन्ह लगाया जायेगा।

(6) किसी मतदाता द्वारा मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्र प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा।

(7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले हों और मत अनन्तरणीय होगा।

(8) अपने मत का अभिलेख कराने के लिए इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक सूचना पत्र (प्रपत्र चार) में दिये गये निर्देषों के अनुसार घोषणा पत्र (प्रपत्र पांच) और मतपत्र (प्रपत्र छः) भरने के पश्चात् मतपत्र आवरण में मतपत्र संलग्न करेगा, उक्त आवरण को घोषण पत्र सहति रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोन्धित बाहरी लिफपशुा चिपकायेगा और उस बाहरी लिफाफेको निर्वाचक के निजी खर्च पर डाक द्वारा या हाथों–हाथ स्वयं रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा जिससे कि वह मतदान के लिये निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय तक पहुंच जाय।

(9) घोषणा पत्र वाले लिफाफेऔर मतपत्र वाले बन्द आवरण को डाक द्वारा या स्वयं द्वारा प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी बाहरी लिफाफे पर उसकी प्राप्ति का दिनांक और समय पृष्ठांकित करेगा।

(10) मतदान के लिए निर्धारित दिनांक और समय के पश्चात् प्राप्त समस्त लिफाफे अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

17– आवरण को खोला जानाः–

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के तुरन्त पश्चात् बाहरी लिफफे पर उसको सम्बोधित स्थान पर खोलेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस समय जब बाहरी लिफाफे खोले जांय, उपस्थित होने के लिए भेज सकता हैं।

मतपत्र आवरणों का अस्वीकार किया जाना–

(1) किसी मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि

(क) बाहरी लिफाफे में मतपत्र आवरण के बाहर कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ख) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया वही घोषणा पत्र न हो, या

(ग) घोषणा पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या

(घ) मतपत्र आवरण के बाहर मतपत्र रखा गया हो, या
(ड़.) एक ही बाहरी लिफफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र आवरण संलग्न किये गये हों।
(2) अस्वीकार किये जाने के प्रत्येक मामले में, मतपत्र आवरण और घोषणा–पत्र पर शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित किया जायेगा। अस्वीकृत किये जाने के कारण भी संक्षेप में मतपत्र आवरण पर अभिलिखित किये जायेंगें।
(3) अपना समाधान करने के पश्चात् कि निर्वाचकों ने घोषणा–पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, रिटर्निंग अधिकारी नियम 21 के अधीन निस्तारण होने तक समस्त घोषणा–पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

19– मतों की संवीक्षा और गणना–

(1) मतों की गणना के लिए नियत दिनांक को, नियम 18 के अधीन अस्वीकृत किये गये मतपत्र आवरणों से भिन्न मतपत्र आवरणों को खोला जायेगा और मतपत्रों को निकाला जायेगा और उन्हें एक साथ मिला दिया जायेगा।
(2) तत्पश्चात मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी और विधिमान्य मतों की गणना की जायेगी।
(3) गणना की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या लिखित और सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है।
(4) कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदिः
(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप नहीं है, या
(ख) कोई मतदाता मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है या उस पर कोई ऐसा चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचान हो जाय कि वह उसका मतपत्र है,या
(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय, या
(घ) वह अभिलिखित मत की अनिश्चितता के कारण शून्य है, या
(ड) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने की संख्या से अधिक हो, या
(च) मतों का अभिलेखन इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित स्थान से भिन्न स्थान पर किया गया हो।
(5) रिटर्निंग अधिकारी मतों की संवीक्षा और गणना के समय अनुरोध किये जाने पर मतपत्रों को अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की दिखायेगा।
(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि मतपत्र को इस आधार पर स्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है कि वह मतपत्र विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है यहां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तुरन्त विनिश्चय किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(20) परिणाम की घोषणाः–

(1) जब मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाय तब रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम् मदों के म में अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उस म में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार घोषित करेगा।
(2) यदि इस प्रकार घोषित किया गया निर्वाचित कोई अभ्यर्थी निर्वाचन स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से ऐसा अभ्यर्थी जिसने उसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किये हों, निर्वाचित समझा जायेगा और जब कभी भी इस प्रकार रिक्ति हो जाय इसके लिये भी यही प्रयिा अपनाई जायेगी।
(3) जब दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मतों की संख्या बराबर–बराबर हो, तब यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को जिसें या जिन्हें निर्वाचित समझा जायेगा, उनके निर्वाचन की अवधारणा रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पर्ची डालकर ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसी वह अवधारित करे।
(4) जैसे ही परिणाम की घोषणा कर दी जाय रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को राज्य पशुचिकित्सापरिषदमें उसके निर्वाचित हो जाने की सूचना तुरन्त देगा।

21–मतपत्रों का रखा जाना–

(1) मतगणना पूरी होने पर और परिणाम की घोषणा करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य दस्तावेजों को मुहरबन्द करेगा और उन्हें छः मास की अवधि के लिये

रखेगा और उक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा और न नष्ट करायेगा।

22—निर्वाचन के परिणाम की सूचना—

(1) रिटर्निंग अधिकारी अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना गजट में प्रकाशन के लिये देगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में जिसे उस निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 15 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे अधिनियम की धारा 37 के अधीन विनिश्चय के लिये राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

अध्याय—3
राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन
(धारा—36)

23— राज्य पशुचिकित्सा परिषदके सदस्यों का रजिस्टर—

राज्य पशुचिकित्सापरिषदका कार्यालय प्रपत्र—सात में एक रजिस्टार रखेगा, जिसमें समय—समय पर निर्वाचित या उसमें नाम निर्देषित सदस्यों के नाम और अन्य ब्योरे दिये जायेंगें।

24— राज्य पशुचिकित्सापरिषदके अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रयि—

(1)राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा। निर्वाचन उक्त परिषद् के यथास्थिति, गठन या पुर्नगठन के चात् उसकी प्रथम बैठक में किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार उस बैठक में उपस्थित सदस्यों को अध्यक्ष के पद के लिये अपने नाम निर्देशन के लिये आमंत्रित करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन का समर्थन उस बैठक में उपस्थित किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में किया जायेगा—

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की अभ्यर्थिता के लिये एक से अधिक सदस्य को न तो नामनिर्दिष्ट करेगा और न ही उसका समर्थन करेगा।

(3) यदि इस प्रकार केवल एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट हो तो वह राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(4) फिर भी यदि अध्यक्ष को अभ्यर्थिता के लिये सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट और समर्थित एक से अधिक सदस्य हों तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित रीति से मतदान कराने की कार्यवाही करेगा।

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक पर्ची दी जायेगी जिस पर सदस्य उस प्रतियोगी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में वह मत डालना चाहता है तत्पश्चात् वह पर्ची को मोड़ेगा और उसे रजिस्ट्रार को देगा।

(ख) समस्त पर्चियां प्राप्त हो जाने पर रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को गिनेगा और उस सदस्य को जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता हैं राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(ग) यदि दो या अधिक प्रतियोगी बराबर—बराबर मत प्राप्त करते हैं जिससे कि यह विनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि किसने अधिकतम मत प्राप्त किये हैं तो रजिस्ट्रार ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझें, पर्ची डालकर कर सकता है और इस प्रकार पर्ची द्वारा अभिज्ञात सदस्य को राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

अध्याय—चार
राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के कार्य सम्पादन की प्रकिया
धारा—38 (6)

25— कार्य का समय व स्थान—

(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की कार्य सम्बन्धी बैठकें साधारणतया प्रत्येक तीन मास में एक बार ऐसे समय और स्थान पर की जायेगी जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय। प्रतिबन्ध यह है कि चयनित स्थान उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होगा।

(2) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष उक्त परिषद् के कार्य सम्बन्धी किसी बैठक के दौरान उसकी अगली बैठक के लिये दिनांक का विनिश्चय कर सकता है।
(3) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की कोई विषेष बैठक यदि आवश्यक समझी जाय अध्यक्ष द्वारा सात दिन की सूचना पर किसी भी समय बुलाई जायेगी।
(4) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की प्रथम बैठक जो किसी वित्तीय वर्ष में हुई हो वह राज्य पशुचिकित्सा परिषद की उस वर्ष की वार्षिक बैठक समझी जायेगी।
(5) उपनियम (3) के अधीन बुलायी गई किसी विषेष बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं दिया जायेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उन्हें उक्त बैठक के पश्चात् कम से कम तीस दिन के अन्दर संप्रेषित किया जायेगा।
(6) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की किसी साधारण त्रैमासिक बैठक की प्रारम्भिक कार्य–सूची पर कार्य के मदों की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों की बैठक के बहुत पूर्व और किसी भी स्थिति में बैठक के लिये निर्धारित दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व दी जायेगी।
(7) फिर भी, किसी विशेष बैठक की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस बैठक के लिये निर्धारित दिनांक के कम से कम सात दिन पूर्व उक्त बैठक के लिये सूचना के साथ–साथ उस बैठक में प्रस्तावित कार्य–सूची पर कार्य की मदें भेजेगा।
(8) ऐसा कोई सदस्य जो किसी साधारण बैठक की कार्य–सूची में सम्मिलित न किये गये किसी प्रस्ताव को रखना चाहता है या इस प्रकार सम्मिलित की गई कार्य–सूची के किसी मद में संषोधन करना चाहता है तो उसकी लिखित सूचना रजिस्ट्रार को बैठक के लिये निर्धारित दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देगा। तत्पष्चात् रजिस्ट्रार राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष की सहमति से, बैठक के लिये अन्तिम कार्य–सूची में ऐसे किसी अनुरोध को स्थान देगा।

26–कार्य सत्र–

राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष उपस्थित होने पर ब्योरा या अनुपस्थिति की दशा में उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये किसी अन्य सदस्य द्वारा की जायेगी।

27– गणपूर्ति–

(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की किसी बैठक में कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक गणपूर्ति छः होगी अर्थात् संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।
(2) यदि किसी बैठक के लिये नियत समय पर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक गणपूर्ति के पूरी होने तक प्रारम्भ नहीं होगी और यदि बैठक के नियत समय से एक घंटे की समाप्ति पर भी गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उसी तिमाही में ऐसे भावी दिनांक और समय के लिये स्थगित कर दी जायेगी जैसा राज्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद काअध्यक्ष नियत करे।

28– कार्य कलाप–

(1) ऐसे सभी प्रश्न जो राज्य पशुचिकित्सा परिषद के किसी बैठक समक्ष आये, उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा विनिष्चित किये जायेंगें।
(2) मतों की बराबरी की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।
(3) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक बैठक के चाहे साधारण हो या विषेष कार्यवृत की एक प्रति बैठक के दो दिन के भीतर उसके अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अभिप्रमाणित करने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी जैसा कि नियम–25 के उप नियम (5) के अधीन व्यवस्थित है।

अध्याय–पाँच
कार्यपालिका और अन्य समितियॉ (धारा 40)

29– कार्यपालिका समिति और अन्य समितियॉ –

(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा–40 के अधीन अपने सदस्यों में से एक कार्यपालिका समिति और अन्य समितियॉ ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसा यह आवष्यक समझे इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण पर, गठित कर सकती है और उक्त प्रस्ताव में स्वयं ऐसे प्रत्येक समिति का प्रयोजन और कृत्य परिनिश्चित कर सकती है।
(2) राज्य पशुचिकित्सा परिषद कार्यपालिका समिति से भिन्न किसी समिति में किसी विषय पर सलाह देने के लिये विषेष रूप से अर्ह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण द्वारा सहयोजित भी कर सकती है।
(3) यथास्थिति, कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति उसके गठन के समय विनिर्दिष्ट की जायेगी। गणपूर्ति इस सम्बन्ध में नियत सदस्यों के साधारण बहुमत से कम नहीं होगी।
(4) इस प्रकार गठित कार्यपालिका समिति और अन्य समितियॉ राज्य पशुचिकित्सापरिषद् के रजिस्ट्रार को ऐसे प्रस्ताव में, जिसमें समिति का गठन किया गया है, निर्दिष्ट विषयों पर प्रस्ताव में इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट करेगी।
(5) आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, उपनियम (1) के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद द्वारा गठित किसी समिति के समय को बढ़ाया नहीं जायेगा।
(6) रजिस्ट्रार राज्य पशुचिकित्सा परिषद की अगली बैठक में उसके समक्ष समिति की उक्त रिपोर्ट रखेगा।

अध्याय–छः
फीस और भत्ते (धारा–41)

30– यात्रा और दैनिक भत्ता–

(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष और राज्य सरकार के पदाधिकारियों और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों को, यथास्थिति राज्य पशुचिकित्सा परिषद या समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्रयोज्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जायेगा जैसा कि राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों को अनुमन्य हो।
31–फीस–
(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद या कार्यपालक समितियों या अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिये राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्य या पदेन सदस्य (अध्यक्ष से भिन्न) को पचास रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष को, यदि वह राज्य सरकार का पदाधिकारी नहीं है, राज्य पशुचिकित्सा परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिये एक सौ रूपये की फीस और किसी समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिये पचास रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

(3) जहां राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कोई सदस्य नियम 26 के अधीन उसकी किसी बैठक की अध्यक्षता करता है, वहां उसको एक सौ रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय–सात
रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते

{(धारा–42 (2)}

32–राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार और परिषद् द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वही होंगी जैसा राज्य सरकार की सेवा नियमों के अधीन उसी प्रास्थिति के राज्य सरकार के पदाधिकारियों पर प्रयोज्य हो।

अध्याय–आठ
राज्य पशु चिकित्सा रजिस्ट्रार

33– यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य पशुचिकित्सा परिषद ,, जैसा कि अधिनियम की धारा 44 के अधीन उपबन्धित है, उत्तराखण्ड के लिये प्रपत्र आठ में राज्य पशुचिकित्सा का रजिस्टर रखेगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य सुसंगत विशिष्टियां होंगी जो मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हतायें रखते हों और अधिनियम के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों।

34– प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र और रजिस्ट्रीकरण फीस (धारा–45)

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता रखता है और उत्तराखण्ड राज्य का निवासी है और जो राज्य पशुचिकित्सा परिषद में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराना चाहता है, रजिस्ट्रीकरण के लिये धारा 45 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण अधिकरण को आवेदन करेगा, आवेदन पत्र रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद को सम्बोधित होगा और उसके साथ पच्चीस रूपये की रजिस्ट्रीकरण फीस होगी।

(2) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट होने पर, रजिस्ट्रार उसे प्रपत्र दस में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

35– रजिस्ट्रीकरण के लिये नवीनीकरण फीस धारा(48)–

(1) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में नाम को बनाये रखने के लिये किसी व्यक्ति को राज्य पशुचिकित्सा परिषद को पांच वर्ष पर पन्द्रह रूपये का रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण फीस उस वर्ष के, जिसमें उसे रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण कराना हो, पहली अप्रैल से पूर्व भुगतान करना पड़ेगा।

(2) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में फीस की पुनःस्थापना (धारा 50)

राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर से हटाये गये किसी व्यक्ति के नाम को पुनःस्थापित करने के लिये पन्द्रह रूपये फीस होगी।

36–राज्य पशुचिकित्साकी मुर्दित प्रति की लागत (धारा–51)–

राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां दस रूपया प्रति कापी की दर प्रभार का भ्पशुगतान करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

37– प्रमाण–पत्रों की दूसरी प्रति का जारी किया जाना–

(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति दस रूपये की फीस का भ्पशुगतान करने पर जारी की जायेगी।

(2) उक्त प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति प्रपत्र ग्यारह में होगी।

टिप्पणी– राज्य पशुचिकित्सा परिषद को भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

प्रपत्र–एक
निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिये दावा
(नियम 6 और 7 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्,
देहरादून।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–52, सन् 1984) की धारा 32 की उपधारा(1) के खण्ड(क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के लिये नामावली में नाम सम्मिलित करने का अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई उत्तराखण्ड राज्य पष्पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2002 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूँ। सुसंगत ब्योरे नीचे दिये गये हैं।

नाम (बड़े अक्षरों में)——————————————————————
पता——————————————————————————————
——————————————————————————————————
शैक्षिक अर्हतायें—————————————————————————
पदनाम और कार्यालय का पता, यदि कोई हो—————————
——————————————————————————————————
दावा के लिये आधार————————————————————————
(सबूत सहित, यदि कोई हो)——————————————————

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ————————————राज्य में निवास करता/करती हूँ और उत्तराखण्ड में पशुचिकित्सा औषधि का व्यवसाय करता/करती/नियोजित हूँ।

स्थान——————————

दिनांक—————————

(दावेदार के हस्ताक्षर)

प्रपत्र–दो

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति

(नियम 6 और 7 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्,
देहरादून।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनिमय, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन्, 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्तावित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में निम्नलिखित प्रविष्टि पर अपनी

आपत्ति उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली, 2002 के नियम 6 और नियम 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूँ–

1– उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है (बड़े अक्षरों में)

——————————————————————

2– उस प्रविष्टि की विषिष्टियां जिस पर आपत्ति की गई हैं ——————————————

3– प्रविष्टि पर आपत्ति के आधार——————————————

स्थान——————————

दिनांक—————————

(आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर)

आपत्तिकर्ता की म संख्या और उसका नाम जैसा कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है——————————

आपत्तिकर्ता का नाम————————————————

स्थान——————————

पता——————————

——————————

——————————————————————

(प्रतिहस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की म संख्या और नाम जैसा कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है –

——————————————————————

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता——————————

——————————————————————

प्रपत्र–तीन

नाम निर्देशन–पत्र

(नियम 11 देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा–32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद का निर्वाचन।

1– अभ्यर्थी का नाम ——————————————————

2– पिता का नाम ——————————————————

3– आयु और जन्म तिथि——————————————————

4– अर्हता की प्रकृति ——————————————————

5– रजिस्ट्रीकृत संख्या (राज्य पशुचिकित्सारजिस्टर में)—————

6– राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर या उसके अनुपूरक(वर्ष उल्लिखित किया जाय) में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो————————————

7– नामावली में म संख्या——————————————————————————

8– पता–गृह संख्या, खण्ड / गली संख्या, ग्राम / कस्बा————————
—————————————————————————————————————

डाकघर———————————————पिनकोड——————————————

9– प्रस्तावक का नाम ————————————————————————————

10–प्रस्तावक का हस्ताक्षर——————————————————————————

11–राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में प्रस्तावक की रजिस्ट्रीकृत संख्या और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाय) में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो——————————————————

12– नामावली में म–संख्या——————————————————————————

13– समर्थक का नाम ——————————————————————————————

14– समर्थक का हस्ताक्षर————————————————————————————

15– राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में समर्थक की म–संख्या और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाय) में पृष्ठ सं0 जिसमें नाम हो ————————————————————————————————

16– नामावली में म संख्या————————————————————————————————

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नाम निर्देशन–पत्र मेरे द्वारा ——————————(स्थान) पर——————————— (दिनांक) को ——————————(समय) बजे प्राप्त किया गया था।

——————————————

(रिटर्निंग अधिकारी का हस्ताक्षर)

अनुदेश

ऐसे नाम निर्देशन–पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक—————————को —————बजे के पूर्व प्राप्त न हो, अविधिमान्य समझें जायेंगे

प्रपत्र–चार
मतपत्र
(नियम 16 (2) देखिये)

मतपत्र की म संख्या————————

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–52 सन् 1984) के अधीन उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में सदस्य निर्वाचित किये जाने हैः–

0सं0	सम्यक रूप में नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम व पते	मत
1.		
2.		

3.		
4.		
5.		
रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर/उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप		

अनुदेश

1– प्रत्येक मतदाता को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा,जितने निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या हो।

2– वह उस/उन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के, जिसे (जिन्हें) बनाकर वह पसन्द करता है नाम के सामने "X" चिन्ह का मत देगा।

3– मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा, यदि–

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो, या

(ख) मतदाता उस पर अपना हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या कोई चिन्ह बनाता है, जिससे उसकी पहचान हो जाय कि वह उसका मतपत्र है, या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय, या

(घ) यदि कोई चिन्ह "X" इस प्रकार लगाया जाय, जिससे कि यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिये अभिप्रेत है, या यदि उसे निर्वाचित किये जाने के लिये अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या इंगित की जाय,संख्या से अधिक संख्या के नामों के सामने लगाया गया हो ।

प्रपत्र–पांच
घोषणा–पत्र
(नियम 16 (2) देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32(1) (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद का निर्वाचन

मतदाता के नाम––

राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर संख्या और इस रजिस्टर
या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाय) में
पृष्ठ संख्या, जिसपर नाम हो––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

मतदाता की घोषणा

मैं————————————————————(पूरा नाम और पदनाम, यदि कोई हो) घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन मण्डल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद में सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतदाता हूँ और यह कि मैंने इस निर्वाचन में कोई अन्य मतपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

केन्द्र——————————
दिनांक——————————

————————————
(मतदाता का हस्ताक्षर)

प्रपत्र—छः
सूचना का पत्र
(नियम 16 (2) देखिये)

श्रीमान् / श्रीमती————————————————————————————

ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम संलग्न मतपत्र पर मुर्दित है, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 298) की धारा 32 (1) (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किये गये हैं यदि आप निर्वाचन में मत देने की इच्छा करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप—

(क) घोषणा—पत्र (प्रपत्र पांच) को भरेंगें और उस पर हस्ताक्षर करेंगें।

(ख) मत—पत्र (प्रपत्र चार) में इस प्रयोजन के व्यवस्थित स्तम्भ में अपना मत चिन्हित करेगें जैसा कि मतपत्र पर निर्देषित है।

(ग) अपेक्षाकृत छोटे आवरण में मतपत्र को संलग्न करेगें और चिपका देंगें, और

(घ) अपेक्षाकृत छोटे आवरण और घोषणा—पत्र को बाहरी लिफाफे में संलग्न करेंगें जो अपेक्षाकृत बड़ा और जिस पर मेरा पता पहले से मुद्रित है और उसे मुझे डाक द्वारा अपने खर्च पर वापस करेगें या उसे मेरे कार्यालय में स्वयं देंगें जिससे वह दिनांक————————को————————बजे अवश्य मेरे पास पहॅुच जाय।

2— मतपत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि—

(क) बाहरी लिफफा जिसके साथ मतपत्र आवरण और घोषणा पत्र संलग्न है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है या मेरे कार्यालय में स्वयं नहीं दिया जाता है या मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होता है,या

(ख) बाहरी लिफाफे में अपेक्षाकृत छोटे आवरण के बाहर कोई घोषणा—पत्र न हो, या

(ग) मतपत्र आवरण के बाहर रखा गया हो, या

(घ) घोषणा पत्र वह न हो जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजा गया हो, या

(ड.) एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र संलग्न किये गये हों, या

(च) घोषणा पत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो, या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य हो।

3— कोई मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा, यदि—

(एक) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो, या

(दो) मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है, या उस पर कोई ऐसा चिन्ह बनाता है, जिससे यह पहचाना जा सके कि वह उसका मतपत्र है, या

(तीन) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय, या

(चार) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, या

(पांच) वह प्रयोग किये गये मत की अनिष्चितता के कारण शून्य हो।

4— यदि कोई मतदाता अनजाने से कोई मतपत्र खराब करता है तो वह उसे मतदान के लिये नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकता है जो यदि ऐसे अनजानेपन से सन्तुष्ट हो जाय तो उसे एक दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5— मतों की संवीक्षा और गणना दिनांक——————————को ————————बजे से प्रारम्भ होगी।

6— रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें वह अपनी सहायता के लिये नियुक्त करे, अभ्यर्थियों या उनके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सिवाय, कोई व्यक्ति सवीक्षा और गणना में उपस्थित नहीं होगा।

रिटर्निंग अधिकारी

प्रपत्र—सात

उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद के सदस्यों का रजिस्टर

(नियम 23 देखिये)

0सं0	सदस्यों का नाम	पता	जन्म का दिनांक	निर्वाचित हैं या नाम निर्दिष्ट	खण्ड जिसके अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

सरकारी गजट में नाम की अधिसूचना की संख्या और उसका दिनांक	पद का कार्यकाल प्रारम्भ होने का दिनांक	पद की समाप्ति का नियत दिनांक	नियत दिनांक के पूर्व पद की समाप्ति का दिनांक और कारण यदि कोई हो	अभ्युक्ति यदि कोई हो
7	8	9	10	11

प्रपत्र–आठ

भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 की धारा 44 के अधीन रखा गया उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर

0सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पूरा नाम	जन्म का दिनांक	राष्ट्रीयता	आवासीय पता	राज्य पशुचिकित्सा परिषद में प्रवेश का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हता			वृत्तिक पता	स्थाई पता
अर्हता	दिनांक जब प्राप्त किया गया	अर्हता प्राप्त करने वाला प्राधिकारी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय		
7	8	9	10	11

अन्य शैक्षिक अर्हता, यदि कोई हो			वर्तमान व्यवसाय			अभ्युक्ति
अर्हता	संस्था जिससे प्राप्त किया	वर्ष (दिनांक सहित)	सरकारी सेवा	प्राइवेट कार्य	सेवाानिवृत्त	
12	13	14	15	16	17	18

प्रपत्र–नौ

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन "रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्साव्यवसायी" के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन–पत्र

(नियम–34 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद्,
देहरदून।

महोदय,

मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन आपके द्वारा रखे जाने वाले/रखे गये उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम, पता, अर्हतायें और अन्य विशिष्टियां जैसा नीचे दिया गया है, रजिस्ट्रीकृत करने और यथावधि पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये आपसे अनुरोध करता हूँ।

(2) मैं आपके सत्यापन के लिये अपनी अर्हताओं के सम्बन्ध में अपनी उपाधियां/डिप्लोमा मूल रूप में संलग्न करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि उन्हें मुझे वापस कर दिया जाय, जब उनकी आवष्यकता न हो मैं आपके अभिलेख के लिये उनकी प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करता हूँ।

(3) ————————रूपये की विहित रजिस्ट्रीकरण फीस भी इसके साथ संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसकी संख्या———————और दिनांक——————है, के माध्यम से भेजी जाती है और उसे रेखांकित किया जाता है और आपको ——————पर देय किया जाता है।

(4) मेरी ऊपर निर्दिष्ट विशिष्टियां निम्नलिखित हैं–

(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)————————————————
(ख) जन्म का स्थान और दिनांक———————————————
(ग) राष्ट्रीयता———————————————
(घ) आवासीय पता ————————————————————
(ङ.) वृत्तिक पता ————————————————————
(च) पशुचिकित्सा अर्हता ————————————————

अर्हता	उत्तीर्ण होने का विष्वविद्यालय या संस्था दिनांक और वर्ष

(छ) अन्य शैक्षिक अर्हतायें, यदि कोई हों————————————
(ज) वर्तमान व्यवसाय (क) सरकारी सेवा———————————
(ख) प्राइवेट कार्य ————————————
(ग) सेवा निवृत्त व्यक्ति ——————————
(झ) कोई अन्य सुसंगत सूचना————————————————

5– मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऊपर दी गई समस्त विशिष्टियां सही हैं।

स्थान——————

दिनांक—————

भवदीय,

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रपत्र–दस
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र
(नियम 34 (2) देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (अधिनियम सं0–52 सन् 1984) की धारा–32 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद

संख्या———————— (मुहर) दिनांक———————

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0————————————————— निवासी ————————————————————————————को रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्साव्यवसायी के रूप में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है और वह भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन ऐसे व्यवसायी को स्वीकृत समस्त सुविधाओं के हकदार हैं, उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या—————————है। उक्त अधिनियम के अधिनियम के अधीन उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद में यह रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

इसके साक्ष्य में इस पर उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद की मुहर लगाई जाती है और उक्त राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर किया जाता है।

(मुहर) (रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

(यह प्रमाण–पत्र भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद की सम्पत्ति है और उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली 2002 के नियम 10 (3) के अधीन ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी को दिया जाता है।)

प्रपत्र–ग्यारह
रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का द्वितीय प्रमाण–पत्र
(नियम 37 देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्

(मुहर)

रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का द्वितीय प्रमाण–पत्र इसी पैटर्न पर होगा, जैसा मूल प्रमाण–पत्र, परन्तु यह कि शब्द "द्वितीय प्रति" उक्त प्रमाण–पत्र के दाहिने कोने पर सबसे ऊपर लाल स्याही में मुद्रित होगा।

Veterinary Council Of India Standard Of Professional Conduct Etiquette And Code Of Ethics For Veterinary Practitioners Regulations 1992

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

Notification
New Delhi, the 1st April, 1992

G.S.R. 395(E).- In exercise of the powers conferred by section 66 read with section 31 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Veterinary Council of India, With previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely;

1-Short title and commencement.- (1) These regulations may be called, the Veterinary Council of India (Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics,for Veterinary Practitioners) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of it publication in the Official Gazette.

2-Definitions-. (1) In these regulations, unless the context otherwise require. **'Veterinary'** means a registered veterinary practitioner as defined in the Act.

'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984(52 of 1984).

'Regulations' means the Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics Regulations. This definition limits its meaning to the terms used within the said regulations.

'Patient' shall mean an animal, bird or a group of them being treated or managed or advised to be treated or managed by a veterinarian.

'Client' means the legal owner of the patient or his representatives or the person or persons directly assigned responsibility of the patient.

'Profession' means veterinary profession covering all its branches, namely, animal health, animal production and technology, and shall include any sister profession wherein veterinary service is extended or is sought or is made use of, namely, laboratory animal medicine, animal experimentation and vaccine production.

3. Declaration and oath by a Veterinarian.- Being admitted to the profession of veterinary medicine. 1 solemnly swear to use my scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal health, the relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health, and the advancement of knowledge in veterinary science.

I shall practise my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles of veterinary medical ethics.

I accept as a lifelong obligation the continuous improvement of my professional knowledge and competence

GENERAL PRINCIPLES

4. Character of the veterinarian.- The primary object of the veterinary profession is to render service to humanity by facilitating better animal production, ensuring veterinary public health as also caring for the sick animals and alleviating their suffering; financial reward is always a subordinate consideration. Whosoever chooses the profession, assumes the obligation to conduct oneself in accordance with the noble ideals of serving the-dumb and mute creatures. The veterinarian shall be an upright person and shall be sincere and diligent in caring for the sick and managing the healthy animals. He/She shall be modest, sober, and prompt in discharging his/her duties.

He/She shall conduct himself/herself with propriety in his/her profession and in all actions of his/her life.

5. Standards of character and morals. - The veterinary profession expects from its members the highest level of character and morals. Every veterinarian owes to the profession and the public a duly to achieve such a level. It shall be incumbent on veterinarians to be temperate in all matters of practice of the profession and to exercise clear and vigorous application of mind.

6. Veterinarian's responsibility. ,- A veterinarian shall merit the trust and confidence of his/her clients, rendering their animals full measure of service with devotion. The honoured ideals imply that responsibilities of a veterinarian extend not only to one-client and.the animals he brings but also to the entire society.

7. Advertising.- Soliciation of clients by a veterinarian directly or indirectly through an advertisement in news papers, circular cards,placards, or handbills in a manner projecting himself/herself to be in a position of superiority which he/she himselt/herself has not achieved, is unethical.

8. A veterinarian should not make use of or let others make use of him/her or his/her name as a subject of any form or manner of advertising or publicity through lay channels which shall be of such a character as to invite attention to him/her or his/her pro(essional position or skill or as would ordinarily result in his/her selfaggrandisment; provided that a practitioner is permitted formal announcement in press about the following matters namely:

(1) starting of his/her practice,
(2) change of type of practice,
(3) change of address,
(4) temporary absence from duty,
(5) resumption of practice,
(6) succeeding to anolher's practice.

He/She shall further not advertise directly or indirectly through price lists or publicity materials of manufacturing firms or traders with whom he/she may be connected in any capacity, nor shall he/she publish cases, operations or letters of thanks from patients in non professional newspapers or journals; provided that it shall be permissible for him/her to publish his/her name in connection with a technical expert's report or publication in a professional journal.

8. Fee for professional service.- A veterinarian engaged jn practice/advisory service/consultancy, shall limit the source of his/ her income to the fee received for services

rendered to the client. Remuneration received for such services shall be in the form and amount specifically announced to the client at the time the service is rendered.

9. Patent and Copyrights.- A veterinarian may patent surgical instruments, appliances and medicine or copyright applications of methods and procedure.

10. Running an Open Shop.- (Dispensing of drugs and appliances by veterinarians).

A veterinarian shall not run an open shop for sale of medicine for eispensing prescriptions by doctors other than himself.

11. Rebates, gifts and commissions.- A veterinarian shall not give solicit of receive nor shall he/she offer to give solicit or receive, any gift, gratuity, commission or bonus in consideration for the referring or procuring of, any client for specialisUexpert service or exclusive treatment advice thereof; nor shall he/she receive any commission or other benefit from a professional colleague, trader of medicine or appliances or from a technologist.

12. Secret Remedies.- The prescribing or dispensing by a Veterinarian of secret medicines or other secret remedial agents, of which he/she does not know the composition or the manufacture, or ;,promotion of their use, is unethical.

13. Evasion of ’Legal Restrictions.- A veterinarian shall observe i"the laws of the country in regulating the practice of veterinary medicine ’and will not assist others to evade such laws. He/She should co-operate in the observance and enforcement of sanitary laws and Pegulatians in the interest of public health. A veterinarian shall observe ``"e provisions of the State Acts like Drugs Act, Pharmacy Act, Rules and Regulations made by the Central Government, State Governments or Local Self Governments and Administrative Bodies for protection and promotion of veterinary public health.

'DUTIES OF VETERINARIANS TO THEIR CLIENTS AND PATIENTS

14. Obligation to the patient.- Though a veterinarian is not bound to treat cases of each and every one asking for his/her service, except in emergencies, he/she shall for the sake of humanity and the noble tradition of the profession, not only be ever ready to respond to the need of the sick and injured animals birds, but shall also he mindful of the high character of his/her mission and the responsibility . he/she incurs in the discharge of his/her professional duties.

15. Patient not to be neglected.- A veterinarian is free to choose whom he/she will serve, provided that he/she shall respond to any request for his/her assistance in an emergency or whenever temperate public opinion expects the service.

Once having undertaken a case, a veterinarian shall not neglect the patient nor shall he/she withdraw from the case without giving notice to the client sufficiently in advance, to allow him secure another professional veterinarian.

16. Termination of service.-(a) A veterinarian shall withdraw his/ her service under following valid reasons:

(1) Where he/she finds another veterinarian in attendance.

(ii) Where remedies/advice other than those prescribed by him/ her are being used.

(iii) Where his/her remedies/advice and instructions are refused.

(iv) Where he/she feels that the illness or the need of his/her service is an imposture and that he/she is being made a party to a false pretence.

(v) Where a client is resorting to the use of intoxicating drugs means of quackery or witchcraft against medical advice: and

(vi) Where complete information/history concerning the fact and a client does not supply circumstances of the case.

(b) The discovery that the malady is incurable/the client's problems are unsolvable, is no excuse to discontinue attendance by a veterinarian as long as his/her client desire the service.

17. Act of negligence.-(1) No veterinarian shall willfully commit an act of negligence that may deprive patient of the care that is absolutely necessary.

(2) A veterinarian is expected to show such diligence and skill in service as would be expected of another veterinarian of similar qualifications, experience and attainments.

(3) His/Her acts of commission or omission shall not be judged by any non-veterinary standards, but as those expected from a veterinarian of his/her training, standing and experience.

(4) A veterinarian shall use any drug prepared under standard pharmacological principles and shall adopt all 'necessary preparations/precautions, like sterilization and verification of doses as are normally prescribed for that drug.

18. Behaviour to patients.

The demeanour of a veterinarian towards his/her patient shall always be kind, tender and full of patience. Every patient shall be treated with attention, consideration and concentration.

19. Visit.

Notwithstanding the tact that a veterinarian is not bound to visit his/her patient/client, he/she shall make it at the indicated hour, once heishe had committed to do so.

20. Prognosis.

(a) A veterinarian shall neither exaggerate nor minimise the gravity of a patient's condition. He/she shall ensure that the legal owner of the patient has such knowledge of the patient's condition as will serve the best interest of the patient and its owner (client).

(b) In case of dangerous manifestations, or when grave and highly communicable diseases are encountered he shall not fail to inform the client and those to whom the disease can be of potent danger.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THE PROFESSION

21. Upholding the honour of the profession.

A veterinarian is expected to uphold the dignity and honour of his profession.

22. Membership of societies.

For the advancement of his/her profession a veterinarian may affiliate himself/herself with professional societies and contribute his/ her time, means and energy to their progress, so that they may represent and promote the ideals of the profession better.

23. Safeguarding the profession.

Every veterinarian shall laid in safeguarding the profession against admission to it of those who are deficient in moral character or education. He/she should not employ in connection with his/her professional practice any unqualified personnel to treat or perform operation upon patients.

24. Exposure of unethical conduct.

Exposure of unethical conduct on the part of any member of the profession shall be done without fear of favour. The incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of any member of the profession shall be discouraged at any cost.

25. Appointment of substitute.

Whenever a veterinarian (hereinafter mentioned as absent veterinaran) requests another veterinarian to attend to his/her patient/clients during his/her temporary absence from practice professional courtesy requires the acceptance of such an appointment by the latter. It consistrnt with his/her other duties. The veterinarian under such appointment shall give utmost consideration to the interest and reputation shall give utmost consideration to the interest and reputation of the absent veterinarian he/she shall not charge either the patient or the absent veterinarian or his/her services . Except in case of special arrangment between them. All such patients shall be restored to the care of the absent veterinarian upon his/her return.

26. Professional services of veterinarians to one another.

(1) There is no rule that a veterinarian shall not chage another veterinarian or a member of a sister profession for service rendered. But a veterinarian shall consider it a pleasure and privilege to render gratuitous service to hes/her professional brethren, if they are in his/her vicinity or to a veterinary student.

(2) When a veterinarian is called from a distance to attend to a case of a fellow veterinarian or a member of a sister profession reimbursement shall be made for traveling and other incidental expenses.

(3) A veterinarian called in any emergency to visit a patient under the care of another veterinarian shall when the emergency is over retire in favour of the latter but shall be entitled to charge the client for his/her services.

(4) When a veterinarian is consulted at his/her own residence it is not birding on him/her to enquire if the patient has been under the care of another veterinarian but in the interests of the patient he/she shall while ascertaining history go through the treatment followed if any however it is unethical that his information be used to malign or instigate against directly directly or indirectly, the veteinarian who happened to attend on the patient previously . When a veterinarian sees a patient at the request of another veterinarian it shall be the duty of the first veterinarian to write a letter to the veterinarian making the request stating his/her opinion of the case with the modes of treatment he/she thinks proper to be adopted.

27 **(1)** If a veterinarian is engaged to attend on a patient of dystokia or a similar distress he/she shall do so . Refusal to do so under exfuse of another engagement is unethical except when he/she is already engaged in similar or another serious case (s).

(2) When a veterinarian engaged to attend a serious case is absent and another veterinarian is sent for the latter shall be entitled to legitimate lees provided that he/she shall secure the clients consent to withdraw on arrival of the former at a mutually consented or logical phase.

28. It become the duty of a veterinarian occupying an official position to see When and report on an illness or injury or any other professional problems concearian in attendnce so as to give him/her an option to be present . The former shall avoid remarks on the diagnosis or treatment that has been sdopted. |This does not prevent him/her from discussing the matter with the later in isolation.

DUTY OF PRACTITIONERS IN CONSULTATION

29. Consulation shall be encouraged .

In case of serious illness/doubtful or difficult conditions a veterinarian shall always request consultation he/she shall also do so in the case of major surgical interventions out break of herd diseases poisoning endemics or undiagnosible situations.

30. Punctuality in consultations.

A veterinarian in attending a consultation shall observe Punctulity. If a consultant veterinarian does not arrive within reasonable time keeping in view the disance he/she has to travel aand other relevant factors the consulting veterinarian shall be at liberty to see patient provided that he/she shall leave his/her conclusion in writing in a closed envelope. The same rule is applicable if the consulting veterinarian fails to turn up in time.

31. Patient referred to another veterinarian.

(1) When a patient is rererred to another veterinarian a statement of the history. Obsevation clinical and laboratory examination as well as the tentative treatments undertaken shall be given.

(2) On receipt of the above statement the veterinarian receiving the referd case shall communicate his/her opinion to the attending veterinarian and either shall continre the treatment as per his/her opinion or retun the case along with his/her opinion communicated.

32. Consultation for patients benefit .

In every consulation the benefit of the patient shall be of prime importance it should not be done with an ulterior motive of evasion of responsibilities or on monitary considerations.

33. Conduct of consulation.

(1) In consultation there shall be no place for insincerity rivalry or envy all due respect shall be shown to the veterinarian in charge of the case and no statement or remark shall be made which would impair the confidence reposed in him/her by the client for this purpose no such discussion shall therefore be made before the client.

(2) All statements to the client shall be made in the presence of consulting veterinarian except as otherwise agreed . Announcement to the client also shall be made by the consulting veterinarian to the extent possible .

(3) Difference of opinion shall not be divulaged unless both feel that it would be in the interest of the patient or dignity of the profession .

(4) It shall be open to the client to take further advice and the consultiong veterinarian with the consent of the client may consult yet another veterinarian the rules of ethics remaining the same.

34. Cessation of consultation.

Attendence of consulting veterinarian shall cease when consultation is concluded unless the attending veterinarian arranges another appointment.

35. Treatment after consultation.

(1) No decision shall restrain the attending veterinarian from making such subsequent variation in the treatment as any unexpected change or development may demand provided that at the next consultation reasons for variations are stated.

(2) The same privlege with its obligations belongs to the consultant when sent for in an

emergency during the anbsence of attending veterinarian . The attending veterinarian may prescribe at any time but the consultant only in case of emergency or instant need . All treatments by both shall be stated to each other.

36. Consultant not be take charge of the case .

When a consultant veterinarian is called upon to be consulted none but the rarest and most exceptional circumstances shall justify the consultant taking charge of the case. He must not do so merely on solication of the client of his represenlative.

37. Bar on consulting non-regigtered veterinary practitioners.

No veterinarian shall have consultation with a veterinary practotoner who is not registerd.

DUTIES OF VETERINARIANS TO THE PUBLEC

38. Veterinarian as citizen.

Veterinarians as good citizens possessed of special traing shall advise concerning the health and husbandry of the animals in the localities wherein they dwell . They shall play their part in enforcing the laws of the community not lavolving any communal overtones or prejudices and in substantiating the institutions that advance in the observance and enforcement made for the protection of health.

39. Public health.

A veterinarian engaged in public work shall enlighten the public concerning quaratine regulations and measures for the prevantion of epizootic , zoonotic and food borne disease and intoxications and communicable diseases. At all times the veterinarians shall notify the respective authorities of every case of communicable diseases under their care in accordance with the laws. Rules and regulations of the authorities . When and epidemic prevails the veterinarian shall continue his/her labour without regard to the risk to his/her own health. He/she shall endeavour to ensure hygienic handling of animal products and wastes there of and educate the public of food-borne diseases and intoxications.

40. Livestock production and technology.

A veterinarian shall shive for the bettement of animal production through timely advice/propaganda on scientific management involving economically viable and hygienic housing adoption of scientific breeding schedule disease prevantion of routines reproductive health montoring hygienic and systematic care before at and following Partuntion anre of new born hygienic collection of farm products and proper disposal of animal profucts and wastes there of .

He/she should strive to educate the public and paraveterinary staff personnel regarding timely insemination and aseptic handling during A.I. and discourage the unscientific unhygienic inseminations.

DISCIPLINARY ACTION

41. The veterinary council of India brings to the notice of the registerd veterinary practitioners the following.

In matters regarding offences and from of professional misconduct which may be brought before the appropriate veterinary council for disciplinary action in view of the authority conferred by section 31 of the Act the appropriate veterinary councils may award such punishments as deemed necessary or may direct the removal altogether or for a specific period

from the register the name of any registered veterinary practitioner who has been convicted of any such offence as implies in the opinion of the veterinary council (s) a defact of character or who after an enquiry at which opportunity has been given to such registered veterinary practitioners to be heard in person or through a pleader has been guilty of serious profissional misconduct . The appropriate veterinary council may also direct that any name so renmoved shall be restored.

It must be clearly understood that the instances of offences and of professional misconduct which are given do not constitute and are not intended to constitute a coplite list of the infamouse acts which may be punished by erasure from the register and that by issuing this notice the veterinary council of India and/or state veterinary cauncil (s) is/are in no way precluded from considering and dealing with any peofessional nisconduct on the part of a registered veterinary practitioner . Circumstances may and do arise from time to time in relation to which may occur questions of professinal misconduct which do not come within any of these categories Every care should be taken that that the code is not violation in letter or spirit in such instance as in all others the veterinary council of India and/or state veterinary council (s) has/have to consider and deside upon the facts brought before the veterinary council of India and/or state veterinary council (s).

42. The following actions shall constitute professional misconduct .

1. Improper conduct with a patient or maintaining an improper association with a client.
2. Conviction by a court of law of offences invoiving moral turpitude.
3. Tampering with or falsely providing professional certificates reports and other documents the registered veterinary practitioners are in certain cases bound by law to give or may from time to time be called upon or requested to give signed certitficates reports and other document of kindred character by courts administrative offices banks as part of veterinary service see section 30 of the act.

1- Not with standing the existence of other similar and/or kindred document such document shall include: -

(b) A vaccination certificates for licensing of pets .

(c) A vaccination certificates for transport across border from one state to another.

(d) A vaccination certificate for export of animals.

(e) A soundness certificate for a horse or health certificate for cattle for the purpose of insurance registration etc.

(f) A certificate indicating results of test diagnostic like tuberculin test.

(g) Post mortem reports in vetrolegal cases for purpose of insurance claims etc.

(h) Trauma certificate indicating the extent and nature of damage and/or delerioration in veteo legal cases involving accidents crueltly or vindication .

(i) Birth certificates required at times for purpose of insurance registrations loans etc.

(j) A cetificate indicating reproductive defects diseases and other conditions rendering an animal uneconomic fit for colling .

(k) A cetificate for euthanasia where treatment is unlikely to be rewarding and a certificate of performance of euthanasia.

(l) Quarantine clearance certificate for having cleared quarantine at places of

disembarkation of animals/birds/livestock products.

(2) Any registered veterinary practioner who shall be proved to have signed or given under his/her name and authority any such certificate report or document of a kindred character which is untrue misleading or improperty relating to the several matters some of which are specified above is liable to have his/her name erased from the Indian veterinary practitioners Register.

(3) A registered veterinary practitioner shall maintain a register of veterinary medical certificates giving full detalls of certificates issued.

(4) When issuing such a certificates the identification mark of the patient name or number if any age and other details including owners name and keep a copy of the certificate for record with him . The clients signature and/or thumb impression and a declaration that he is the genuine owner of the patient or is his authorized represntative shall invariably be obtained.

4. Contravention of the provisions of law relation to drugs and regulations made thereunder.

5. Selling a drug or poison regulated b law to the public or his/her clients save as provided by that law.

6. Performing or enabling an unqualified person to perform any illegal operation for which there is no medical surgical or psychological indication.

7. Affixing a signboard on a chemist s shop or in place where the veterinatian does not reside or work this should not be construed to mean announcement boards or direction indicators.

8. While displaying a board a name plate to write anything other than his/her name qualifications obtained from a university or a statutory body titles and names of his/her speciality if any such name being the content of his/her presription papers and the registation number.

9. Before euthanasia or before performing an operation not obtaining in writing the consent from the client.

10. Using touts or agents for procuring patients.

43. Disciplinary committees

There shall be a Disciplinary committee charged with the duty of considering and determining :-

(a) Any case of indiscipline referred to them by state veterinary council or appeal by aggrieved registered veterinary practitioners.

(b) Any other case of which the Disciplinary committee has cognizance .

44. The satate veterinary council shall investigate. Through committee (s)/sub committee (s) (by fact-finding and receiving complaints) regarding.

(a) Registered veterinary practitioners being convicted of any criminal offence which in the opinion of the committee renders unfit to practise veterinary profession.

(b) Any such veterinarian detected/judgedto have been quilty of disgraceful conduct in any professional respect.

(c) Any person whose name is fraudulently entered in the register.

45. The state veterinary council (s) shall in receipt of complaints regarding any unregistered individual and individuals who while rending minor veterinary services described under sub-section (b) of section 30 of the act. Undertake unsupervised treatment/veterinary service assuming himself/herself to be a veterinarian shall make necessary investigations and advise the concerned state govermment to take appropriate action or shall themselves initiale action under the law.

[No. 4-4/91-VCI/3]

Part. (Dr) Rama Kumar

V. Secy.

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 एवं उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद की नियमावली 2002 के धारा –36 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद, देहरादून में 31.03.2025 की कार्यकारिणी निम्नवत् है :–

1– डा0 कैलाश उनियाल – अध्यक्ष
2– डा0 नीरज सिंघल , (निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड) – पदेन सदस्य
3– डा0 प्रलयंकर नाथ (रजिस्ट्रार, उ0प0चि0प0) – पदेन सदस्य
4– डा0 ए0एच0 अहमद (अधिष्ठाता, गो0ब0पंत – पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पंतनगर) पदेन सदस्य
5– डा0 शैलेन्द्र सिंह बिष्ट – नामित सदस्य (शासन द्वारा नामित)
6– डा0 नारायण सिंह नेगी – नामित सदस्य (शासन द्वारा नामित)
7– डा0 नमित मोहन – नामित सदस्य (शासन द्वारा नामित)
8– डा0 गणेश चन्द्र मैन्दोलिया – निर्वाचित सदस्य
9– डा0 रविन्द्र कुमार – निर्वाचित सदस्य
10– डा0 अभिषेक नौटियाल – निर्वाचित सदस्य
11– डा0 मनोज राणा – निर्वाचित सदस्य

8.5 उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग :–

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियाँ :–

(एक)उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 और गौशालाओं, कांजी हाऊसों, पशुमेलों और पशु बाजारों, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, जांच करना उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना।

(दो राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना।

(तीन)गोबर और गौमूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मृदा की उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके।

(चार)गौशालाओं की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करना।

(पांच)निष्यि गौशालाओं को सयि बनाना।

(छः)उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तिरत) के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में वित्तीय सहायता प्रदान करने, गााय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में तथा गाय के गोबर और मूत्र का कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के क्षेत्र में समुचित उपभोग, जिसमें गाय के गोबर पर आधारित बायो–गैस संयंत्रों का बढ़ाया जाना और उपयोग भी सम्मिलित है, के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजनों के लिए, गाय के स्वैच्छिक संघटनों द्वारा स्थापित और चलाई जा रही गौशालाओं के कामकाज तथा कार्य में सहायता करना।

(सात)आयोग या सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों और गौशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की सम्पत्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोजन को रोकने के लिए गौशालाओं पर प्रयवेक्षण करना और समुचित कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट उदाहरण को सरकार के संज्ञान में लाना।

(आठ)चारागाहों का विकास करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं और निकायों से चाहे निजी हों या सार्वजनिक, सहयुक्त होना।

(नौ) सरकार या अन्य व्यक्तियों से चारागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गौशालाओं और ऐसे अन्य निर्माणों से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, की स्थापना करने के प्रयोजन के लिए आवंटन, उपहार, पट्टा या य के द्वारा भू–भाग के लिए आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करना।

(दस)गाय से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, अभियान चलाना, और उन्हें जागरूक करना।

(ग्यारह) दुर्भिक्ष, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गाय के लिये चारा प्राप्त कराना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिये शिविर लगाना।

(बारह)कृषि विश्व विद्यालयों या गाय के प्रजनन और पालन–पोषण और जैव खाद या बायो–गैस के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्य करना और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये गाय के जैविक उत्पादन पर अनुसन्धान करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसन्धान की परियोजनाओं में सहयोग करना।

(तेरह)गाय की स्वदेशी प्रजाति की अच्छी नस्लों के सांडों को उत्पन्न करने और चारा उत्पादन करने के प्रयासों में गौशालाओं की सहायता करना जहाँ प्रचुर मात्रा में सुगमता पूर्वक चारा और पानी उपलब्ध हों।

(चौदह) जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देना और सरकार से उचित उपायों की सिफारिश करना, जिनमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैविक खाद और कीटनाशक दवाओं के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना सम्मिलित है और हाल में विकसित किए गए बैल द्वारा खींचे जाने वाले कृषि उपकरणों और बैल गाड़ियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(पन्द्रह) चारा विकास योजनाओ का जिम्मा लेना।

(सोलह) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्यक प्राधिकार के पश्चात सम्बन्धित स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकारियों या न्यायालयों के परित्यक्त लावारिस छोड़ी गई आवारा या अभिगृहित गायों को अभिरक्षा में लेना और उचित रूप से इनका अनुरक्षण करना या समुचित रूप से उनका अनुरक्षण करना।

(सतरह) ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गौ–मूत्र, बैलों की भारवाहक शक्ति और बायो–गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए स्वाभाविक रूप से मृत गायों के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार विचारार्य योजना बनाना और प्रस्तुत करना।

(अठारह) गाय की स्वदेशी प्रजातियों, कार्बनिक खेती, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले विकसित कृषि उपकरणों और गायों के विकास से सम्बन्धित निर्देशों, सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना और दूरदर्शन, रेडियो, संगोष्ठियों,सभाओं और निर्देशों के माध्यम से गाय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रचार और प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना और उनसे सम्बन्धित वीडियो, ऑडियो कैसेट और साहित्य प्रकाशित और वितरित करना।

(उन्नीस) गौ–शालाओं या अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों को पशुपालन और उनके प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराना।

(बीस) सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट अन्य किसी विषय का परीक्षण करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना।

<u>संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–</u>

- गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण हेतु **उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग, अधिनियम 1999** को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के द्वारा राज्य में लागू किया गया।
- उक्त अधिनियम की धारा–3 (1) एवं 3(2) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत शासन की विज्ञप्ति संख्या–281/ XV-1/ 2010 / 2(43)/ 2006 दिनांक 16 फरवरी, 2010 के द्वारा उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग का निम्नवत गठन किया गया है :–

1.	अधिनियम के अनुसार आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगें :–	
	(उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के सरकारी सदस्य)	
(क)	सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	**पदेन सदस्य/सचिव**
(ख)	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(ग)	सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(घ)	सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(ड)	सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(च)	सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
(छ)	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	**सदस्य**
(च)	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	**सदस्य**
	उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के गैर सरकारी सदस्य	
(झ)	निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पन्द्रह गैर सरकारी सदस्य अर्थात	
	(1)उत्तराखण्ड गौशाला अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड गौशाला संघ का एक प्रतिनिधि	
	(2)गाय के परिरक्षण,विकास और कल्याण के लिए राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं के एक प्रतिनिधि	
	(तीन) राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के एक प्रतिनिधि, जो पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विज्ञान के या कृषि विज्ञान के संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष हों;	
	(चार) बारह व्यक्ति जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और सरंक्षण में लगे स्वंय सेवी संगठनों से संबंधित हों;	
(ञ)	आयोग ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने गाय के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवा की हो, पांच सदस्य सहयोजित कर सकेगा, जिन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा;	
2.	आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से निर्दिष्ट किये जायेगें।	

- अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अविधि के लिए पद धारण करेगा।
- उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग का प्रमुख कार्य राज्य में गो एवं गोवंश के कल्याण के लिए कार्य करना है तथा साथ ही ''गोवंश के प्रति ूरता को रोकने हेतु उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007'' (जिसके द्वारा गौवंशीय पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की ूरता दण्डनीय अपराध है तथा उक्त अधिनियम की धारा–3 (1) की उपधारा–(क) एवं (ख) के तहत गौवध पर तथा धारा–5 के तहत गौमांस रखने, बेचने व परिवहन पर पूर्णतया प्रतिषेध है) का राज्य में कड़ाई से अनुपालन कराने के साथ–साथ आवारा, निराश्रित, अशक्त एवं केस प्रोपर्टी गोवंश को शरण दिए जाने एवं उनके उचित प्रबंधन हेतु राज्य में अधिक से अधिक गौसदनों, गौशालाओं, कांजी हाउसों का निर्माण एवं उनकी सहायता के लिए कार्य करना है।

गौवंश के सरंक्षण हेतु अब तक किए गये महत्वपूर्ण कार्यो का संक्षिप्त विवरण :–

उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 2010 में हुयी है, आयोग के अधिनियम, 2002 की धारा–11 में आयोग के कृत्य एवं शक्तियां निर्धारित हैं, जिसके तहत आयोग द्वारा कार्य संचालित किए जाते हैं, आयोग का प्रमुख कार्य राज्य में गाय और गाय के वंश के संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन के लिए कार्य करना है। आलोच्य अवधि में आयोग द्वारा सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है :–

➢ **सड़कों पर गौवंश की समस्या का निराकरण :–** पशुपालकों एवं डेरी मालिकों द्वारा गौवंश के बृद्ध, बीमार एवं अलाभकारी होने पर गौवंश को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इन निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला/शरणालय (Cluster Gaushala Shelter) की स्थापना का कार्य ''नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग'' द्वारा तथा ''ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा'' किया जाना अपेक्षित है।

इस म में आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं नगर निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों से सम्पक्र कर बैठकों एवं पत्राचार के माध्यम से सड़कों पर विचरण कर रहे गौ एवं गौवंश को उचित शरण दिए जाने हेतु पर्याप्त संख्या में गौसदनों/गौशालाओं का निर्माण करने पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर निराश्रित गौवंश की संख्या में काफी कमी आयी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त गौसदनों को निराश्रित गौवंश के भरण–पोषण एवं शरणगृहों के निर्माण हेतु राज्य पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है। **पूर्व में 50 या उससे अधिक निराश्रित गौवंश को शरण दिए जाने पर ही राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की व्यवस्था थी, राज्य सरकार द्वारा नियमावली में संशोधन करके इन मानकों को शिथिल करते हुए न्यूनतम 25 गौवंश पर भी राजकीय सहायता अनुदान देने की व्यवस्था की गई है,** ताकि छोटे–छोटे निजी गौसदनों के निर्माण हेतु लोगों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी निराश्रित गौवंशीय पशुओं को उचित सरंक्षण मिल सके।

राज्य सरकार द्वारा जहां वित्तीय वर्ष 2023–24 में निराश्रित गौवंश के भरण पोषण एवं शरणगृहों के निर्माण हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एवं अर्ह गौसदनों को राजकीय सहायता अनुदान के रूप में रू0 **2.50 करोड़** आवंटित किया गया था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024–25 में बढ़ाकर रू0 **15.00 करोड** किया गया।

➢ सड़कों पर उपलब्ध निराश्रित गौवंश को समय–समय पर गौसदनों/आश्रय स्थलों तक पहुंचाने हेतु उनके परिवहन, उपचार व चारा–दाना आदि पर आकस्मिकता के समय व्यय किए जाने हेतु जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को गौवंश सरंक्षण निधि से धनराशि रू0 3,53,667/- आवंटित की गयी।

सड़क मार्गो पर घायल गौवंश के उपचार की समस्या का निराकरण:– सड़क मार्गो पर गम्भीर रूप से घायल/बीमार गौवंश को लम्बे समय तक उपचार न मिल पाने के कारण गौवंश की मृत्यु तक हो जाती थी, जिसके लिए आयोग द्वारा आम जनमानस से सड़क मार्गो पर किसी गौवंश के घायल/बीमार पड़े होने पर उसकी सूचना तत्काल निकटतम पशुचिकित्सालय अथवा सीधे उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग को देने हेतु अपील करते हुए संबंधित क्षेत्र के पशुपालन विभाग के पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से घायल गौवंश का घटना स्थल पर जाकर निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है।

➢ **गौवंश के प्रति अपराध की घटनाओं पर रोक :–**

राज्य में गोवंश संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, जिसकी धारा–3 (1) की उपधारा–(क) एवं (ख) के तहत गौवध पर तथा धारा–5 के तहत गौमांस रखने, बेचने व परिवहन पर पूर्णतया प्रतिषेध है।

राज्य में गौवंश के प्रति अपराध को रोकने एवं गौवंश सरंक्षण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु पुलिस विभाग द्वारा पृथक से गौवंश संरक्षण स्क्वायड का भी गठन किया गया है। आयोग द्वारा प्रत्येक माह गौवंश सरंक्षण स्क्वायड से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा की जाती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को गौतस्करी, गौहत्या जैसे अपराध में गैंगस्टर एक्ट लगाने हेतु भी निर्देश दिए गये हैं, जिससे गौवंश के प्रति अपराध की घटनाओं में कमी आयी।

- आयोग द्वारा मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "वोकल फार लोकल" अभियान से जुड़ने के संकल्प को राज्य में भी आगे बढ़ाते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर भारतीय प्रजाति की गायों के गोमय–गोबर से निर्मित दियों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर देते हुए राज्य के सभी गौ प्रेमियों, गौशाला मैजेनमैंट, गौ उत्पाद व्यवसायियों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं समाजिक संगठनों से गोमय दियों एवं उत्पाद के निर्माण हेतु आगे आने की अपील की गयी।
- गायों में लम्पी स्किन बीमारी के फैलने पर आयोग द्वारा जनमानस को जागरूक कर सड़कों पर विचरण कर रही गायों में उक्त बीमारी के लक्षण दिखायी देने पर पशुपालन विभाग के माध्यम से गौवंश के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी।
- आयोग के मा0 अध्यक्ष जी द्वारा समय–समय पर जिला पशुक्रूरता निवारण समितियों की बैठकों का आयोजन कराकर गौवंश के सरंक्षण के लिए जनपदस्तर पर किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करने के साथ–साथ गौवंश से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर निराकरण कराया गया।
- आयोग द्वारा राज्य के सभी 13 जनपदों में गौचर भूमि को चिन्हित एवं अतिमण मुक्त कराने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

आयोग की स्थापना के उपरान्त कार्मिको का ढांचा स्वीकृत नहीं हुआ है, वर्तमान में प्रस्ताव तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

- हरियाणा/उत्तर प्रदेश राज्य की भांति उत्तराखण्ड में भी गोवंश सरंक्षण अधिनियम, 2007 को और अधिक सख्त/प्रभावी बनाये जाने हेतु अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए गये हैं।

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–1
संख्या–281 / XV-1/2010/02(43)/2006
देहरादूनः दिनॉक 16 फरवरी, 2010

विज्ञप्ति

गाय और गायों के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए राज्यपाल महोदय एक राज्य स्तरीय उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। आयोग का गठन निम्नवत् होगा :–

(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) सचिव, पशुपालन विभाग	पदेन सदस्य / सचिव
(ख) सचिव, वित्त	सदस्य
(ग) सचिव, कृषि	सदस्य
(घ) सचिव, वन	सदस्य
(ड़) सचिव, दुग्ध विकास विभाग	सदस्य
(च) सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(छ) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
(ज) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य

(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दस गैर सरकारी सदस्य अर्थात :

(एक) उत्तराखण्ड गौशाला अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड गौशाला संघ का एक प्रतिनिधि।

(दो) गाय के परिरक्षण विकास और कल्याण के लिए राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं के एक प्रतिनिधि।

(तीन) राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के एक प्रतिनिधि जो पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विभाग के या कृषि विज्ञान विभाग के सकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष है।

(चार) बारह व्यक्ति जो राज्य में गाय के कल्याण परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वंय सेवा संगठनों से संबंधित हो।

(ञ) आयोग ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होनें गाय के कल्याण के लिए विशिष्ठ सेवा की हो पॉच सदस्य सहयोजित कर सकेगा जिन्हें मतदान करने का अधिकार नही होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम निर्दिष्ठ किये जायेंगे।

(3) किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु होने त्याग पत्र देने या अन्य कारणों या पदावधि की समाप्ति के पहले कार्य करने के आयोग्य हो जाने की दशा में ऐसे पद की रिक्ति हुई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति को सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा जो अपने पूर्वाधिकारी की अवशेष पदावधि के लिए धारण करेगा।

विनोद फोनिया
सचिव।

संख्या – 281 (1)/XV-1/2010 तद्दिनॉक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. गोपन अनुभाग।
5. सम्बन्धित सदस्य।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी पशुपालन विभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एस0के0 पन्त)
अनु सचिव

<u>उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के मैनुअल्स सूची</u>

(2023–24)

क0 स0	विवरण
1	अधिसूचना संख्या–631 / व0ग्रा0वि0 / पशुपालन / 2002 दिनांक 8 नवम्बर, 2002 **उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम,1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (आयोग अधिनियम)**
2	उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1 विज्ञप्ति संख्या–281 / XV-1 /2010/ 02 ,43)/ 2006 दिनांक 16 फरवरी, 2010 **(आयोग की स्थापना संबंधी शासनादेश)**
3.	उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1 विज्ञप्ति संख्या–1841 / XV-1 /14/ 02 (43) / 06 दिनांक 15 जनवरी, 2014 **(आयोग के पदेन सचिव का दायित्व संबंधी शासनादेश)**
4.	आयोग का कार्य एवं उपलब्धियां
5.	आयोग में कार्यरत महानुभाव एवं अधिकारियों / कर्मचारियों का सूची
6.	आयोग का वर्तमान ढांचा

उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग का संगठनात्मक ढांच

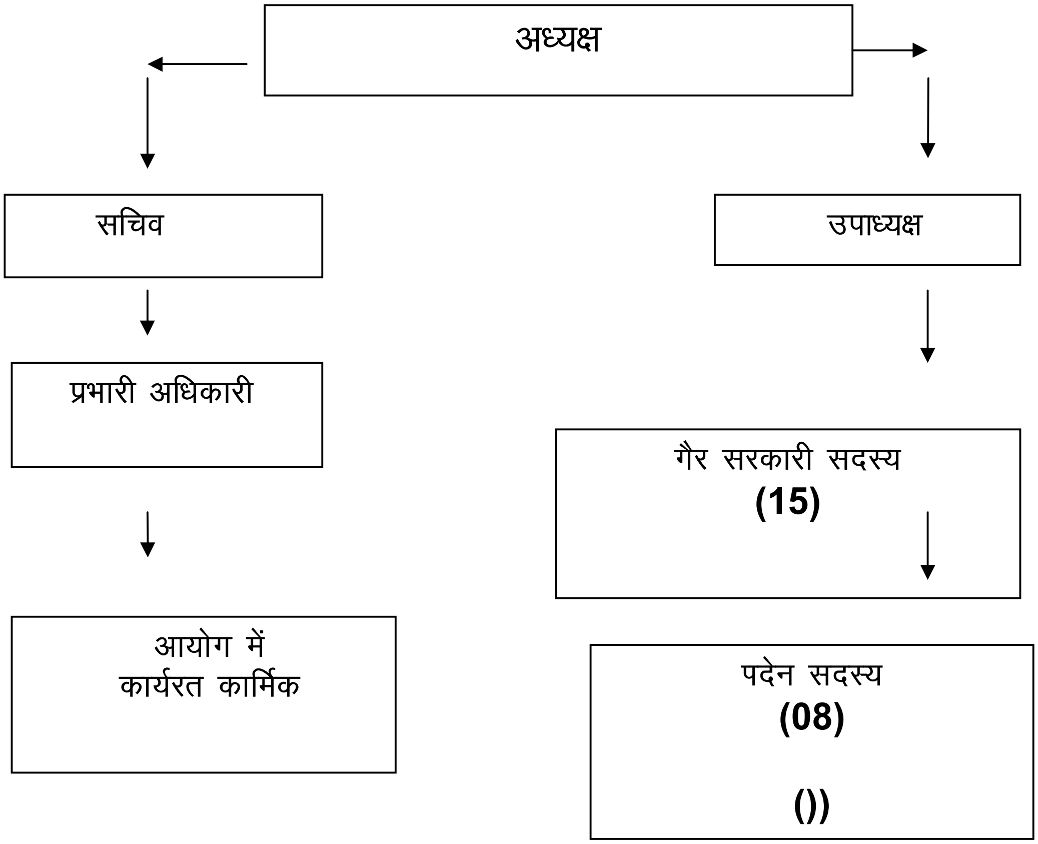

क्रम संख्या–190 (घ–7)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0

कार्तिक 17, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

पशुपालन विभाग

संख्या 631 / व0ग्रा0वि0 / पशुपालन / 2002

देहरादून, 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प0 आ0–188

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन एवं उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन होय

तथा चूँकि, उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम,1999 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा 88 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम, 1999 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल असाधारण गजट, 08 नवम्बर, 2002 ई0 (कार्तिक 17, 1924 शक सम्वत्) 2

....

....

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण

आदेश, 2002

1 **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :–**

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2 ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जानाः–

उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम 1999 में जहाँ–जहाँ शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहाँ–वहाँ वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article-348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. **631** / F&RD / Animal Husbandry/ 2002 Dated **November 8, 2002** for General information.

Government of Uttaranchal
Forest and Rural Development
Animal Husbandry Department
No- 631 / F&RD/ animal Husbandry/ 2002
Dehradun: Dated November 8 , 2002

NOTIFICATION

Whereas under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as neccessary or expedient ;

and whereas The Uttar Pradesh Go-Sewa-Ayog Adhiniyam,1999 is inforce as such in the State of Uttaranchal under Section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 .

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Section 87 of the Uttar Prdesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000) , the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Go-sewa Ayog Adhiniyam, 1999 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :

The Uttarnchal (The Uttar Pradesh Go Sewa Ayog Adhiniyam 1999) Adaptation and Modification order, 2002

1- Short title and Commencement :-

(1) This act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Go-Sewa-Ayog Adhiniyam, 1999) Adaptation and Modification ORDER, 2002 .

(2) It shall come into force at once.

2- The words “Uttar Pradesh” shall be read “Uttaranchal

In Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog Adhiniyam, 1999 wherever the expression “Uttar Pradsh” occurs, It shall be read as “Uttaranchal”.

(Anil Kumar Sharma)
Additional Secretary

क्रम संख्या–190 (घ–7)

रजि.न.डब्लू/एन.पी.बी.898
लाइसेन्स न0 डब्लू0 टी0–41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार 24 मार्च, 1999

चैत्र 3, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 780/सत्रह वि–1–1 (क) 28–1998

लखनऊ, 24 मार्च, 1999

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग विधेयक, 1999 पर दिनॉक 24, मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999)

ख्जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ,

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिये गो–सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनॉक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं

2– इस अधिनियम में,

(क) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग से है।

(ख) ''गाय'' का तात्पर्य गाय और गाय के वंश से है।

(ग) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(घ) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

(ड़) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु; यथास्थिति, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 या उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964 में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो उनमें उनके लिए समनुदेशित हैं।

आयोग की स्थापना

3– (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सम–नुदेशित कृत्यों का पालन करने लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा, लखनऊ में एक निकाय की स्थापना कर सकेगी जिसे उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग के रूप में जाना जायेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

आयोग का गठन

4– (1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) सरकार का सचिव, पशुपालन विभाग, पदेन सदस्य

(ख) सरकार का सचिव, वित विभाग, तदैव

(ग) सरकार का सचिव, कृषि विभाग , तदैव

(घ) सरकार का सचिव, वन विभाग, तदैव

(ड़) सरकार का सचिव, दुग्ध विकास विभाग, तदैव

(च) सरकार का सचिव, राजस्व विभाग, तदैव

(छ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, तदैव

(ज) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, तदैव

(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट पन्द्रह गैर सरकारी सदस्य अर्थातः–
(एक) उत्तर–प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधिः–
(दो) गाय के परिरक्षण, विकास ओर कल्याण के लिए राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के एक प्रतिनिधि :–
(तीन) राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के ऐसे एक प्रतिनिधि जो पशु चिकित्सा विज्ञान ओर पशुपालन विभाग के या कृषि विज्ञान विभाग के संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष हो;
(चार) बारह व्यक्ति जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वंय सेवा संगठनों से सम्बन्धित हो
(ञ) आयोग, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने गाय के कल्याण के लिये विशिष्ट सेवा की हो पॉच सदस्य सहयोजित कर सकेगा, जिन्हें मतदान करने का अधिकार नही होगा।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 मार्च, 1999

3

----

(2) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे।
(3) किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु होने, त्याग–पत्र देने या अनर्ह हो जाने या पदावधि की समाप्ति के पहले कार्य करने के अयोग्य हो जाने की दशा में, ऐसे पद की रिक्ति हुई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति को सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा जो अपने पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

सदस्यों की पदावधि औरउनके भत्ते

5– (1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम निर्देशिन के लिए पात्र होगा।

(2) गैर सरकारी, सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे विहित किये जाये।
(3) कोई गैर सरकारी सदस्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसे त्याग–पत्र की स्वीकृति पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।
(4) सरकार किसी गैर सरकारी सदस्य को पद से हटा देगीय यदि वहः–
(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय य
(ख) किसी अपराध के लिए, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अक्षमता अन्तग्रस्त हो, सिद्वदोष किया जायय
(ग) विकृतचित हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जायय
(घ) कार्य करने से इंकार कर दे या कार्य करने में अयोग्य हो जाय य
(ड़) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किए बिना, आयोग की निरन्तर तीन

बैंठकों से अनुपस्थित रहे, या

(च) सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग करे, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना गाय के हित या लोक हित के लिए हानि कारक हो जायय

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

गैर सरकारी सदस्य होने के अनर्हतायें

6– कोई व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने और गैर सरकारी सदस्य हे होगा, यदि वह–

(क) आयोग के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो।

(ख) विकृतचित हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो जायय या

(घ) स्वंय या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा या किसी भागीदार, सेवा–योजक या कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई हित रखता हो, चाहे वह धन संबंधी हो या किसी अन्य प्रकृति का होय या

(ङ) किसी ऐसे निगमित निकाय या किसी सरकारी समिति का, जिसका आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवा योजना में कोई अंश या हित हो, निदेशक या सचिव या सदस्य या अन्य वेतनभोगी अधिकारी होय या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तग्रस्त हो, सिद्व दोष किया जाय य

परन्तु कोई व्यक्ति मात्र सदस्य होने के कारण और धारा–5 की उपधारा (2) के अधीन भत्ता प्राप्त करने के कारण खण्ड (क) के अधीन अनर्ह नहीं होगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

7– (1) सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होगी जैसी विहित की जायें।

वेतन और भत्ते का भुगतान आयोग की निधि से किया जाना

8– गैर सरकारी सदस्यों को देय भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें धारा–7 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन भी सम्मिलित है, का भुगतान धारा–12 में निर्दिष्ट निधि से किया जायेगा।

रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगी

9– आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर अविधि मान्य नहीं होंगी।

आयोग की प्रक्रिया

10– (1) आयोग जब आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वंय विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियॉ

11– (1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थातः–

(एक) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और गोशालाओं, कांजी हाऊसों, पशुमेलों और पशु बाजारों, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को शासित करने वाली विधियों के किसी उपबन्ध के अभिकथित अतिकम्रण की स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, जॉच करना ओर उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनाय

(दो) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करनाय

(तीन) गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मृदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकेय

(चार) गोशालाओं की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करनाय

(पांच) निष्क्रिय गोशालाओं को सक्रिय बनानाय

(छ़ः) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में, वित्तीय सहायता प्रदान करने, गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में तथा गाय के गोबर और मूत्र का कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के क्षेत्र में समुचित उपयोग, जिसमें गाय के गोबर पर आधारित बायो–गैस संयंत्रों का बढ़ाया जाना और उपयोग भी सम्मिलित है, के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयो–जनों के लिए, गाय के स्वैच्छिक संघठनों द्वारा स्थापित और चलाई जा रही गोशालाओं के कामकाज तथा कार्य में सहायता करनाय

(सात) आयोग या सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों और गोशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की सम्पत्तियों के असद्भावपूर्ण अपयोजन को रोकने के लिए गोशालाओं पर पर्यवेक्षण करना और समुचित कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट उदाहरण को सरकार की नोटिस में लानाय

(आठ) चरागाहों का विकास करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं और निकायों से, चाहे निजी हों या सार्वजनिक, सहयुक्त होनाय

(नौ) सरकार या अन्य व्यक्तियों से चरागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गोशालाओं और ऐसे अन्य निर्माणों, जैसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, की स्थापना करने के प्रयोजन के लिए आवंटन, उपहार, पट्टा या क्रय के द्वारा भू–भाग के लिए आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करनाय

(दस) गाय से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, अभियान चलाना, और उन्हें जागरूक करनाय

(ग्यारह) दुर्भिक्ष, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गाय के लिये चारा उपाप्त कर उपलब्ध कराना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिये शिविर लगानाय

(बारह) कृषि विश्वविद्यालयों या गाय के प्रजनन और पालन–पोषण और जैव खाद या बायो–गैस के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्य करना और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये गाय के जैविक उत्पादन पर अनुसन्धान करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा संचालित

(तेरह) गाय की स्वदेशी प्रजाति की अच्छी नस्लों के सांडों को उत्पन्न करने और चारा उपाप्त करने के प्रयासों में गोशालाओं की सहायता करना और वर्तमान गोशालाओं को ऐसे स्थान पर अवस्थित करने में सहायता करना जहाँ प्रचुर मात्रा में सुगमता पूर्वक चारा और पानी उपलब्ध होय

(चौदह) जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देना और सरकार से उचित उपायों की सिफारिश करना, जिनमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैविक खाद और कीटनाशक दवाओं के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना सम्मिलित है और हाल में विकसित किए गए बैल द्वारा खींचे जाने वाले कृषि उपकरणों और बैल गाड़ियों के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहित करनाय

(पन्द्रह) चारा विकास योजनाओं का जिम्मा लेनाय

(सोलह) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्यक प्राधिकार के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकरणों या न्यायालयों से परित्यक्त लावारिस छोड़ी गई अधिहृत या अभिगृहीत गायों को अभिरक्षा में लेना और उचित रूप से उनका अनुरक्षण करना या समुचित रूप से उनका अनुरक्षण करानाय

(सत्रह) ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो–मूत्र, बैलों की भार–वाहक शक्ति और बायो–गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्माण के प्रयोजनों के ए स्वाभाविक रूप से मृत गायों के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के विचारार्य योजना बनाना और प्रस्तुत करनाय

(अट्ठारह) गाय की स्वदेशी प्रजातियों, कार्बनिक खेती, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले विकसित कृषि उपकरणों और गाड़ियों के विकास से सम्बन्धित निदेर्शनों, सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना और दूरदर्शन रेडियो, संगोष्ठियों, सभाओं और निर्देशों के माध्यम से गाय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रचार और प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना उनसे सम्बन्धित वीडियो, ऑडियो कैसेट और साहित्य प्रकाशित और वितरित करनाय

(उन्नीस) गौ–शालाओं या अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों को पशुपालन और उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करानाय

(बीस) सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट अन्य किसी विषय का परीक्षण करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देनाय

(2) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन हेतु आयोग को समर्थ बनाने के लिए आयोगय

(क) को वही शक्ति प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को उपस्थित होने और शपथपूर्वक बयान देने के लिए, बाध्य करने, किसी व्यक्ति को अभिलेखों और लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने और किसी व्यक्ति के बयान को अभिलिखित करने और किन्हीं अभिलेखों या लेखा बहियों का निरीक्षण करने हेतु आदेश जारी करने के लिए किसी न्यायालय को प्राप्त हैय

(ख) भिन्न–भिन्न स्तरों पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समितियां गठित कर सकता है और उन्हें समय–समय पर निर्देश जारी कर सकता है, और उनके कार्यो का पर्यवेक्षण कर सकता हैय

(ग) सरकार के पूर्वनुमोदन से किसी व्यक्ति को अवैतनिक गोरक्षक के रूप में पदाभिहित करते हुए उसे पहचान पत्र जारी कर सकता है जो ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के लिए और गाय से संम्बन्धित ऐसे अंशकालिक क्रिया कलापों के अनुसरण के प्रयोजनों के लिए होगा जैसा विहित किया जायय

(घ) राज्य में गाय से सम्बन्धित प्रवृत्त विभिन्न अधिनियमों और तद्धीन बनाये गये नियमों का पुनर्विलोकन करेगा और उनमें संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता हैय

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता पूर्वक सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर सरकार उसे समुचित बल उपलब्ध करा सकेगी।

सरकार द्वारा अनुदान

12– (1) सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगीय

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

13– (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी और ऐसे अन्तराल पर जैसे विहित किया जाय, की जायेगी।

(3) लेखा परीक्षक की बहियों, लेखों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का

निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी जैसी विहित की जाय।

वार्षिक रिपोर्ट

14– आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहिति किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया कलापों का पूर्ण विवरण देते हुए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना

15– सरकार धारा–11 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी कार्य–वाही और किसी ऐसी सलाह को अस्वीकार करने, यदि कोई हो, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनको प्राप्त होने के पश्चात् यथासमय शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्म–चारी लोक सेवक होंगे

16– भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।

आयोग की निधि

17– (1) आयोग की स्वंय की अपनी निधि होगी और आयोग की समस्त प्राप्तियॉ उसमें जमा की जायेगी और आयोग द्वारा समस्त भुगतान उसमें से किये जायेंगे।

(2) आयोग,–

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी और निजी या लोक न्यासों और व्यक्तियों से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार स्वीकार कर सकता है, और

(ख) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों या किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है।

(3) आयोग की निधि से सम्बन्धित समस्त धन, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, जमा किया जायेगा।

(4) बैकों में आयोग के लेखे, आयोग के ऐसे अधिकारियों या कृत्यकारियों द्वारा जैसा आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाय संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचालित किये जोयेंगे।

आयोग की निधि सम्पत्ति का और उपयोजन

18– (1) आयोग की समस्त सम्पत्तियॉं निधियॉं और अन्य शस्तियॉ उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारण और उपयोजित की जायेगी।

(2) आयोग द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव जिसमें वित्तीय आलिप्तता अन्तग्रस्त हो, तब तक अनुमोदित, स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे प्रस्ताव का विहित रीति से सम्यक् रूप से गठित वित्त समिति द्वारा पहले परीक्षण न कर दिया जाय।

सरकार द्वारा निदेश

19– (1) आयोग अपने कृत्य के निर्वहन में नीतिगत किसी प्रश्न पर ऐसे निदेशों द्वारा जैसे सरकार द्वारा उसे दिये जाये, मार्ग–दर्शित होगा।

(2) यदि आयोग और सरकार के बीच कोई ऐसा विवाद कि कोई प्रश्न नीतिगत प्रश्न है, या नही तो उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

20– किसी व्यक्ति के विरूद्व ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तद्न्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायेगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी। **सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण**

21– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथासमय शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

22– आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के संगत विनियमन बना सकता है। **विनियमन बनाने की शक्ति**

23– सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। **नियम बनाने की शक्ति**

24– (1) उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग, अध्यादेश, 1998 एवं उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1999 एतद्वारा निरसित किया जाता है। **निरसन और अपवाद**

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1998
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या– 3 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध अभी वर्तमान समय पर प्रवृत थे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No 780 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-28-1998

Dated Lucknow, March 24, 1999

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English trans- lation of the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24,1999.

THE UTTAR PRADESH GO-SEWA AYOG ADHINIYAM, 1999
(U.P. ACT NO. 15 OF 1999)
[As passed by Uttar pardesh Legislature]

ACT

To establish a Go-Sewa Ayog for preservation, development and welfare of the cow and its progeny and for matters of connected therewith or incidental there to.

It is Hereby enacted in the fiftieth Year of the Republic of India as follwers.

Short Title Extent and Commence ment

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Ahiniyam 1999.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh

8

----

(3) It shall come into force on such date as the Government notification, appoint in this behalf.

Definiti ons

2- In this adhiniyam:-

(a) "Ayog" means the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog establish under section 3;

(b) "Cow" means cow and its progeny:

(c) "Government" means the state Government of Uttar Pradesh:

(d) "Member" means a member of the Ayog and includes the Chairperson and Vice-Chaiperson of the ayog.

(e) Words and expressions used and not defined in this Adhiniyam but defined in the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act 1955 or, as the case may be, the Uttar Pradesh Go-shala Adhiniyam, 1964 Shall have the meanings assigned to them there in.

Establish ment of the Ayog

3- (1) The Government may, by notification, establish at Lucknow a body to be Known as the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to It under this Adhiniyam.

(2) The Ayog Shall be a body corporate.

Constitudes of the Ayog **4-** (1) The Ayog Shell consist of the following members:-

(a) Secretary to the Government in the Animal Husbandary Department , Ex-officio member

(b) Secretary to the Government in the Finance Department, „

(c) Secretary to the Government in the Agriculture Department „

(d) Secretary to the Government in the Forest Department „

(e) Secretary to the Government in the Dairy Devlopment Department „

(f) Secretary to the Government in the Revenue Department „

(g) Director General of Police, Uttar Pradesh „

(h) Director, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh „

(i) Fifteen non-official members nominated by the Government from amongst the following persons namely:- „

(I) One representative of the Uttar Pradesh, Goshala Sangh established under Uttar Pradesh Go-shala Adhiniyam, 1964;

(II) One representative of National Level institutions working in the state for preservation, development and welfare of cow;

(III) One representative of Agricultural Universitias in the state who shall be dean or the Head of the Department of Veterinary Science and Animal Husbandry of the Department of Agruculture Science;

(IV) Twelve persons, belonging to voluntary organizations engaged in the welfare. Preservation and protection of cow in the State.

(J) Ayog may co-opt five members from amongst persons having done outstanding service for the welfare of cow who shall have no right to vote.

---

(2) The Chairperson and Vice-chairperson of the Ayog shell be nominated by the Governmet from amongst the non- official members.

(3) IN the event of death, resignation or disqualification of a non-official, Member or of his becoming incapable of acting before the expiry of his term, a vacancy shall be deemed to have occurred in such office

and such vacancy shall be filled by nomination of a person there to as member who shall hold office for the remainder of the term of his predecessor

Term of office and allowances of members

5- (1) Every non-official member shall hold office for a term of three years and Shall be eligible for re-nomination.

(2) There shall be paid to the non-official members & chairperson and vicechairperson such allowances as may be prescribed.

(3) A Non-offcial member may, by writing under his hand addressed to the Government resign his office at any time and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

(4) The Government shall remove a non-offcial member from office if be-

(a) Becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted for an offence which, in the opinion of the Government, invoives moral turpitude,

(c) Become of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) Refuses to act or becomes incapable of acting

(e) is, without obtaining leave of absence from the Ayog, absent from three consecutive meetings of the Ayog; or

(f) Has, in the opinion of the Government, so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the interest of cow or the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given an opportunity of being heard in the matter.

Disqualifications for being non official member

6- A Person shall be disqualified for being nominated as, and for being a non official member if he -

(a) holds any office of profit under the Ayog;

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; Or

(c) is an undischarged insolvent; or

(d) has directly or indirectly by himself or by any member of his family or by any partner, employer or employee acquired any intrest whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employmet with, by or on behalf of, the Ayog; or

(e) is a Director or Secretary or a member or other salaried officer or any corporate body or any co-operative society, which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf on the Ayog; or

(f) has been convicted of an offence involving moral turpitude .

Provided that a person shall not, be disqualified under clause (a) by reason only of his being a member and receiving any allowance under sub-section (2) of section 5.

Officers and

7- **(1)** The Government shall provide the Ayog with Secretary and such other officers and employees as may be neccsasary for the efficient performance of the functions of the Ayog.

other employees

of the Ayog

(2) The Salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of the service of, the secretary and the other officers and employees appointed for the purposes of the Ayog shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of the Ayog

8- The allowances payable to non-official members and the admini strative expenses, including salaries allowances and pensions payable to the officers and other employees referred, to in section 7, shall be paid out of the fund referred to in section 12.

Vacancies etc. not to invali-date proceedings of the Ayog

9- No act or proceeding of the Ayog shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Ayog.

Procedure of the Ayog

10- (1) The Ayog shall meet as and when necessary at such time and place as the chair person may think fit.

(2) The Ayog itself regulate its procedure.

(3) All orders and decesions of the ayog shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Ayog duly authorized by the secretary in this behalf.

Functions and powers of the Ayog

11- (1) The ayog shall perform all or any of the following functions, namely:-

(i) enquire into, suo motu or on complaint an alleged violation of any provision of the Uttar Pradesh protection of Cow Slaughter Act, 1955 and the laws governing the Goshalas, cattle pounds, Cattle fairs and market by whatever name called and to submit its report to the Government;

(ii) work for the welfare of cow in the state;

(iii) work for the scientific use of dung and urine of cow so as to enhance their utility in the sphere of agriculture including soil ferti lity and domestic use;

(iv) work for promotion of and assistance to Gshalas

(v) activate defunct Goshalas,

(vi) in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964 assist in the working and functioning of the Goshalas, established and run by the voluntary organizations, for the purposes of providing financial assistance, training in the field of scientific rearing of various breeds of cow as also for proper utilisation of the dung and urine of the cow for agri-culture and domestic use, including propagation and use of bio-gas plant based on the dung of cow;

(vii) exercise supervision over Goshalas to check malafied diversions of fund provided by the Ayog or the Government and the property belonging to the Goshalas and other voluantry organisations and bring to the notice of the Government specific instances for

appropriate action;

(viii) develop pastures and associate with other institutions and bodies whether private or public for the said purposes;

(ix) apply for and obtain tracts of land from government or other persons by way of allotment, gift, lease or purchase for the purpose of developing pastures or growing fodder, establishing fodder banks, Goshalas and such other constructions thereon as may be necessary for purpose of this adhyadesh;

(x) educate, compaign and make people aware about the economic benefits which can be derived out of cow;

(xi) procure fodder and make I available for the cow in the areas affected by famine, drought or other natural calamities and s et up camps for the aforesaid purpose in such affected areas.

(xii) works in collaboration with aggicultural Universities or the organization of the Government ennaged in the taks of research in the fields of breeding and reaing cow and the organic manure or biogas and collaborate with research projects of Indian system of Medicine conducted b various public or private organisation for conducting research on the biogenic products of the cow for the medicinal purposes;

(xiii) assist Goshalas in their efforts in producing pedigreed bulls of indigeous speices of cow and for procuring fodder and assit in relocation of existing Goshalas, at places where plenty of fodder and water is easily available;

(xiv) promate Schems to encourage use of organic manure and recommend to the Government suitable measures including incentive schemes for use to dung or urine of cow as organic manurs and pesticides by farmers to minimise the use of chemicals fertilizers and pesticides and encourage manufacturing and use of recently developed bullock driven agicultural implements and carts;

(xv) undertake fodder development Schems;

(xvi) take into custody the abandond, stray rescued confiscated or seized cows from the concerned local bodies , other competent authorities or courts after due authorisation in accordance with law for the time being in force and maintain them or get them maintained properly;

(xvii) Formulate and submit Schems for consideration of the Government for the establishment of cottage industries in the rural areas, based on cow milk, Cow dung, cow urine, energy generation by drought power of bullocks and biogas product of cow as also based on hides or bones of naturally dead cow for the purposes of manufacturing various products;

(xviii) organise demoustration meetings and seminars pertaining to development of indigenous Species of cow organis farming developed bullock-driven agriculural implements and carts and arrange for publicity and extension programmes and regarding benefits

form cow through Television, Radios, Seminears, meeting and demonstrations and publish and distribute their video- audio, cassettes and literature;

(xix) make available tranning facilities regarding cattle rearing and their management to the managers and staffs of Ghoshals or other non-governmental organization; and

(xx) examine any other matter that may be reffered to it by the Government and submits its report there on.

(2) In order to enable the Ayog to perform the functions under this Adhiniyam, the Ayog-

(a) Shall have the same powers which a court has under the Code of Civil Procedure to compel any person to be present and give statement on oath, to comple, any person to produce records statement of any person and to inspect any records or books of account;

(b) may constitute committees at different levels consisting of official and non-official members and may issue directions form time to time to them and supervise thir work;

(c) may, with the prior approval of the Government, issue identify card to a person designating him as an Honorary Gorakshak in such form and for such period and for the purposes of pursing such part-time activities relating to cow as may be prescribed;

(d) Shall review various Acts in force in the State pertaining to cow and the rules made there under and may recommend amendments there in.

(3). The Government may provide adequate force to the commission if so required by it for efficient discharge of its functions under this Adhiniyam.

Grants by the State Government

12- (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the commission by way of grants such sum of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Adhiniyam.

(2) The commission may spend such sume as it thinks fit for per- forming the functions under this Adhiniyam and such sume shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub section (1)

Accounts and Audit

13- (1) The Ayog shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Ayog shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books Accouts, vouchers and other documents and papers for inspec- ting any of the offices of the Ayog as may be prescribed

Annual Report

14- The Ayog shall prepare annual report for each financial year in such form and at such time, as may be prescribed giving a fell account of its activities during financial year and forward a copy of thereof to the Government.

Annual report and audit report to be laid before the state legislature

15- The Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Ayog under section 11, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice and the audit report to be laid, as soon as may be after they are received, before both the Houses of the State Legislature .

Chairpersion, Member and employees of the Ayog to be pub- lic servant

16- The Chairperson, Members and employees of the Ayog shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian penal code.

Funds of the Ayog

17- (1) The Ayog shall have its own fund and all the receipts of the Ayog shall be credited thereto and all payment by the Ayog shall be made there form.

(2) The Ayog may-

(a) accept grants, subventions, donations and gifts from the Government or a local authority and private or public trusts and individuals; and

(b) receive loans from the commercial banks or any other finan- cial institutions for all or any of the puroses of this Adhiniyam.

(3) All monies belonging to the fund of the ayog shall be deposited in such manner as may be prescribed.

(4) Accounts of the Ayog in the banks shall be operated by such officers or functionaries of the Ayog jointly or individually as may be authorised by the Ayog.

Application of fund and pro-

18- (1) All properties, funds and other assets of the Ayog shall be

perty of the Ayog

held and applied by it for the purposes of this Adhiniyam.

(2) No proposal involving financial impllications shall be approved, sanctioned or implemented by the Ayog unless such proposal is first examined by a Finance committee duly constituted in the manner as may be prescribed.

Direction by The Government

19- (1) In the discharge of its function the Ayog shall be guided by such directions on a question of policy as may be given to it by the Government

10

(2) If any dispute arises beween the Government and the Ayog as to Whether a question is or not a question of policy. The decision of the Government shall be final

Protection of action taken in good faith

20- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Adhiniyam or the rules made thereunder.

Power to re-move difficulties

21- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Adhiniya, the Government may, by a notified order make provisions, not inconsistent with the provisions of this Adhiniyam as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty**.**

(2) No order under sub-section (1) shall be made after expiration of a period of two years from the commencement of this Adhiniyam.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the House of the State Legislature and the provisions of sub-sections (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall aply in respect of rules made by tke Government under any Uttar Pradesh Act.

Power to make regulations

22- The Ayog may, with the prior approval of the Government make regulation consist ent with this Adhiniyam and the rules made there under.

Power to make rules

23- The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Adhiniyam .

U.P. Ordi- nance no.20 at 1998

Repeal and savings

(1) The Uttar-Pradesh Go-Sewa Ayog Adhiniyam, 1998 and the Uttar ıdesh Go-Sewa Ayog (Sansodhan) Adhyadesh, 1999 is here- repealed.

U.P. Ordi nance

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinances referred to in sub section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act

no. 3 were in force at all material times.

at 1999

By order

Y.R.Tripathi
Pramukh Sachiv